खण्ड-281, अंक-10
सोमवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1892
(4 मई, 1970 ई0)

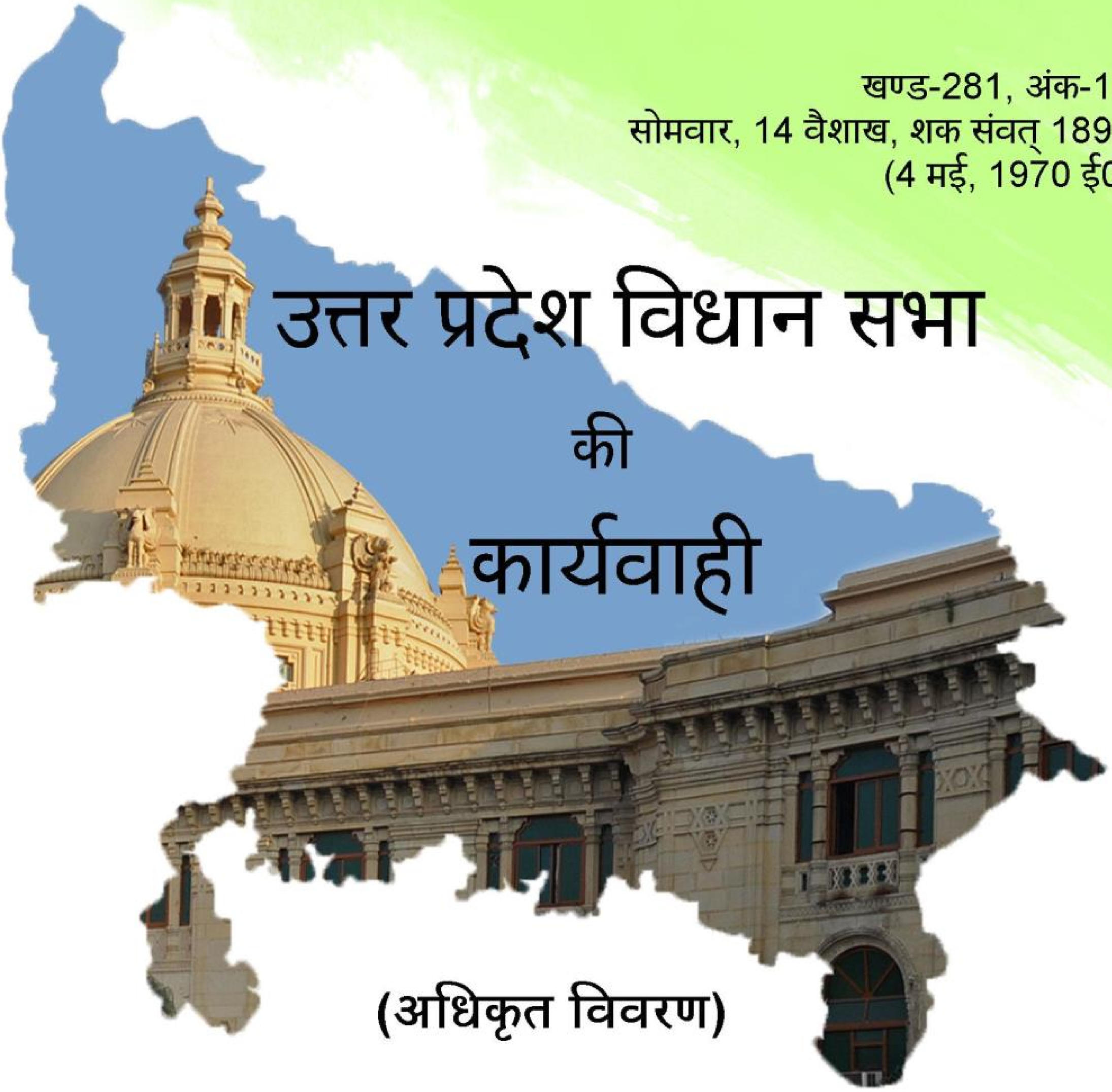

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९६३–९६७
प्रश्नोत्तर	९६७–१००६
विभिन्न व्यक्तियों को कार्यवाही के उद्धरण तथा अभिलेखों के दिये जाने के संबंध में सूचना	१००६
विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी	१००६–१००९
श्री जगन्नाथ राव को हाई कोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त होने पर भी दूसरे सदस्य को शपथ दिलाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	१००९–१०१०
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१०१०–१०३२
उत्तर प्रदेश आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१०३२–१०४२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१०४३–१०४९
मंत्रियों द्वारा जन न्यायालयों के आयोजन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (केवल वक्तव्य के लिये स्व कृत)	१०४९
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें .. .	१०४९–१०५०
सुल्तानपुर में जनसंघ कार्यकर्ता श्री त्रियुगी नारायण पर छूरे से हमले के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०५०–१०५३
परीक्षार्थियों द्वारा अध्यापकों पर परीक्षा भवन तथा उसके बाहर आक्रमण के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०५३–१०५९
नत्थियां	१०६०–१०६९

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ४ मई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३५१

अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री
(उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देन्वेद्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द्र, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री

बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज, सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)

रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़-रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबा)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ४ मई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हाउसिंग बोर्ड द्वारा गृह निर्माण ऋण

**१—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाउसिंग बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला गृह निर्माण ऋण बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी नहीं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह ऋण देने की योजना एक साल के लिये अभी हाल में स्थगित रही थी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

जी नहीं, स्थगित नहीं रही थी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले दो माह में कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना एकत्र करके बताई जा सकती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हाउसिंग बोर्ड की मीटिंग पिछले दो माह पूर्व हुई और उसके अन्दर निर्णय लिये गये कि चूंकि इस समय रुपया नहीं है इसलिये ऋण देना बन्द कर दिया जाय ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशें

*१--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को अखिल भारतीय सचेतकों की ७वीं कांफ्रेंस की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनमें से कौन-कौन-सी सिफारिशें कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशें सरकार को दिसम्बर, १९६९ में प्राप्त हुई थीं, और अभी उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी मुख्य-मुख्य सिफारिशें बतायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सम्मेलन की मुख्य-मुख्य सिफारिशें जो हैं वे इस प्रकार हैं:--

(१) राज्य में केंन्द्र की भांति एक प्रथम संसदीय कार्य विभाग की स्थापना।

(२) छठें सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार विभिन्न दलों के सचेतकों को सुविधायें देना ।

(३) विधेयकों के शीघ्र निस्तारण के लिए विरोधी दलों के सचेतकों का सहयोग प्राप्त करना और समय-समय भार साधक मंत्री के साथ उनकी बैठक करवाना ।

विवादास्पद विधेयकों को प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करना ।

(४) केंद्रीय परामर्शदात्री समिति की भांति राज्यों में परामर्शदात्री समितियों की स्थापना।

(५) पब्लिक अन्डरटेकिंग्स समिति की स्थापना।

(६) सदनों के शांति व व्यवस्था कायम रखने व अव्यवस्था न हो सके इसके लिये सुझाव जैसे नये विधायकों को बोलने का अवसर देना, प्रेसाइडिंग आफिसर्स व सचेतकों की अक्सर बैठकें, सदनों के लम्बे अधिवेशन, जानबूझ कर और बार-बार पीठासीन व्यक्ति की अवज्ञा करने वाले सदस्य को हतोत्साहित करने आदि ।

७--विभिन्न दलों के सचेतकों को कोरम कायम रखने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

८--व्यवस्था के प्रश्न नियमों की व्याख्या व उनके प्रवृत्ति के संबंध में होना चाहिये ।

९--जीरो आवर की व्यवस्था ।

१०--विधायकों व प्रशासन के बीच संबंधों के लिए आचरण संहिता ।

११--विधायकों द्वारा स्टडी टूर्स ।

१२--आश्वासनों को छांटने व उनकी पूर्ति आदि के संबंध में केंद्र की भांति प्रक्रिया।

१३--माक पार्लियामेंट (स्कूल व कालेजों में) ।

१४--सदस्यों का समितियों में नामांकन या नियुक्ति संसदीय कार्य विभाग व संसदीय कार्यमंत्री के जरिये होना चाहिये और इसके सदस्यों का एक इन्डेक्स कार्ड तैयार रखना चाहिये और किसी सदस्य को दो समितियों से अधिक में नहीं नियुक्त करना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि छठें सचेतक कांफ्रेन्स को हुये लगभग डेढ़-दो वर्ष हुये और इस सातवीं सचेतक कांफ्रेंन्स को हुये लगभग, ८-९ माह हो गये और अब तक क्या कारण है कि सरकार ने इनकी अनुशंसाओं के ऊपर कार्यवाही नहीं की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जहां तक छठें सचेतक कांफ्रेन्स की सिफारशों का संबंध है नियमों में परिवर्तन हो गया है, एडवाइजरी कमेटी का निर्माण हो गया है, और पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के निर्माण का प्रस्ताव भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत है । जो सारकारी दल के सचेतक हैं वह सामान्यत:--संसदीय मंत्री भी होते हैं लेकिन कुछ विषय इस तरह के हैं जिनमें जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे व अन्य दलों से भी कुछ परामर्श करने की आवश्यकता है, इसलिये देरी हुई और देरी हो सकती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब इन अनुशंसाओं को लागू करने में और कितना विलम्ब होगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र प्रयत्न किया जायगा कि सभी सिफारिशों पर विचार हो सके और निर्णय हो सके ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

जो सिफारिशें बाकी हैं उनको जल्दी लागू करने के लिये क्या मंत्री जी कोई कदम उठावेंगे ?

श्री नारायण दत तिवारी--

पूरा प्रयत्न किया जायगा कि इन पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो सके ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन सिफारिशों में धन नहीं लगना है उन पर शीघ्र निर्णय लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सभी सिफारिशों पर चाहे उनमें धन लगना हो या न लगना हो विचार किया जा रहा है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सम्मेलन में जो सरकारी पक्ष के लोगों ने सुझाव दिये थे वह तो मान लिये गये लेकिन जो विरोधी दलों की तरफ स सजेसन्स आये थे कार्यालय आदि की सहूलियत के संबंध में उनको मानने में क्या दिक्कत है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, ऐसा मैंने कोई संकेत नहीं दिया कि सरकारी पक्ष की सिफारिशें मान ली गईं । जो भी सुझाव आये हैं किसी भी तरफ से उन सभी पर अवश्य विचार किया जायगा और शीघ्रता की जायगी ।

सरकारी प्रशासन में चीनी मिलें

*२—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौन-कौन सी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सरकार अपने कब्जे में ले चुकी है या लेने का विचार कर रही है और इनके जिम्मे कितनी धनराशि किन-किन मदों की बकाया है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

राज्य सरकार ने अब तक २२ चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिये हैं। इन मिलों पर गन्ना मूल्य, कमीशन, गन्ना उपकर, क्रय कर तथा व्याज की जो धनराशि रिसीवर की नियुक्ति के समय बकाया थी उसे भी संलग्न तालिका में मदवार दिखाया गया है। इन बाइस में से सात मिलों को गन्ना मूल्य तथा सरकारी देयों की पूरी धनराशि अदा करने पर मुक्त कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०६०-१०६२ पर)

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, एक तो हमारी कठिनाई यह है कि हमको अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि देवरिया जिले की लक्ष्मीगंज की चीनी मिल पर कितना सरकारी बकाया था जिस तारीख को वहां रिसीवर तैनात हुआ और उसी तारीख को रामकोला मिल पर कितना बकाया था ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री रामधारी शास्त्री—

रिसीवर को मुकर्रर करना और सरकार द्वारा लिया जाना इसका आधार क्या था ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

पिछले साल का बकाया जिन मिलों पर ५ लाख से ज्यादा था उनको लिया गया। जो २२ मिलें ली गई हैं उसमें लक्ष्मी शुगर मिल्स नहीं है कुछ ऐसी मिलें है जिसमें ५ लाख से ज्यादा बकाया था और उनमें भी रिसीवर मुकर्रर नहीं कर पाये हैं क्योंकि उन मिलों के बारे में हाई कोर्ट से स्टे हो गया था। हो सकता है कि लक्ष्मी शुगर मिल्स उनमें से हो।

श्री रामधारी शास्त्री—

लक्ष्मी शुगर मिल्स पर ५ लाख रुपयों का बकाया था परन्तु उससे बहुत कम रुपया बकाया का रामकोला पंजाब मिल पर था परन्तु उस पर रिसीवर मुकर्रर हो गया है इसकी क्या वजह है ?

श्री चरण सिंह—

बात यह है कि जिन पर हाई कोर्ट से स्टे था उन मिलों में लक्ष्मी शुगर मिल्स भी हैं। मेरे पास २२ मिलों से संबंधित सूचना है अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं उसकी सूचना भिजवा दूंगा। हाई कोर्ट से उनका रियालाइजेशन स्टे हो गया था।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रामकोला शुगर मिल्स पंजाब पर कितनी रकम बकाया है जो उनके जिम्मे हैं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

देवरिया की रामकोला शुगर मिल्स पर ११ लाख १० हजार रुपये का बकाया था।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैंने मंत्री जी से लक्ष्मी शुगर मिल्स के विषय में पूछा था।

श्री चरण सिंह—

लक्ष्मी शुगर मिल्स की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। अगर उसकी सूचना चाहते हैं तो उसकी सूचना मैं मंगवा दूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिसीवर मुकर्रर किये गये हैं क्या उनकी सूची को यहां पर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उनकी सूची के लिये मुझको समय की आवश्यकता होगी। जो फैक्ट्रियां ली गई हैं उनकी सूची मेरे पास है, यदि आप चाहें तो उसको बता सकता हूं।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी भी कोई मिल है जहां पर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है परन्तु वह ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहां का मैनेजमेंट उनके साथ कोआपरेशन नहीं कर रहा है और उनको कोई कागज-पत्र आदि नहीं दे रहा है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई चीज है तो माननीय सदस्य उसको बतलायें और उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शुगर मिल्स बरेली पर कितना रुपया बकाये का है ?

श्री राजमंगल पान्डेय—

उनके ऊपर कुल १६ लाख २४ हजार रुपया बकाया है।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २२ मिलों पर किसानों का कितना रुपया बाकी है और सरकार का कितना रुपया है और उसको कब तक अदा करवा दिया जायगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

वैसे तो मेरे पास इसके डिटेल्स नहीं हैं लेकिन जहां तक मुझे सूचना है करीब ११९ लाख कुछ रुपए बाकी थे। इसमें से करीब ६६ लाख स्टेड है हाईकोर्ट से या दूसरी अथारिटी से। बाकी काफी भुगतान हो चुका है, और जो बाकी है उसके लिए रिकवरी सार्टिफिकेट इश्यू हो गया है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बतायेगी कि जिस दिन कब्जे में लेने की बात हुई उस दिन गन्ना किसानों की कितनी रकम बाकी थी और रिसीवर मुकर्रर होने के बाद कितनी दे दी गयी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि बाकी रुपया होने की वजह से रिसीवर मुकर्रर किए गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिसीवरों को यह भी इजाजत दे दी गयी है कि जिसका गन्ना चाहें लें, जिसका चाहें न लें? मुरादाबाद, रामपुर के रिसीवर साहब ने मुरादाबाद की सोसायटी का सारा गन्ना लेना १० दिन से बन्द कर रखा है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

कायदे के अन्दर जो कुछ होना चाहिए, वही किया गया है। किसी को कोई हिदायत नहीं दी गयी है कि किसी गन्ने की पोचिंग करे।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

मझोला शुगर फैक्टरी में ५० लाख का घाटा दिखाया गया है, मंत्री जी उस की जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री राजमंगल पाण्डे—

वह कोआपरेटिव फैक्टरी है और उसके घाटे के कई कारण हैं। मेरे मित्र को मालूम होना चाहिए कि प्राइसेज जो फिक्स की गयी थीं गवर्नमेन्ट की तरफ से केन ग्रोअर्स को देने के लिये, उससे ज्यादा भी उन्होंने दिया है। तो वह कोआपरेटिव फैक्टरी है उसका मामला अलग है।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि खड्डा जो रिसीवरशिप के अन्दर है वहां रिसीवर काम नहीं कर पा रहा है और गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

बाकी की धनराशि बड़ी जरूर है लेकिन ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली है कि रिसीवर को काम करने से जनरल मैनेजर या प्रोपराइटर रोक रहे हैं।

श्री रामधारी शास्त्री—

मंत्री महोदय ने कहा कि सूचना की आवश्यकता होगी। मैं आपका ध्यान अपने प्रश्न की आखिरी लाइन की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में लिखा है "और इनके जिम्मे कितनी धनराशि किन-किन मदों की बकाया है?" इस स्पष्ट प्रश्न के बाद मंत्री जी कहते हैं कि सूचना की आवश्यकता है। इस तरह से उत्तर को इवेड किया जाय, यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

एक तालिका तो दी है बाकी की।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैंने साफ पूछा है कि इनके जिम्मे कितनी धनराशि किन-किन मदों की बकाया है। फिर भी कहा जाय कि सूचना की आवश्यकता है तो कैसे काम चलेगा?

श्री अध्यक्ष —

तालिका आप के पास पहुंच गयी है?

श्री रामधारी शास्त्री—

मैंने पहले ही कहा कि जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल सका है। मैं चाहता हूं कि इस तरह इवेसिव रिप्लाई न दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---

यह समझें कि तालिका आप को मिल चुकी है, आप टोटल चाहते हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया कि अन्दाज इतना है।

श्री रामधारी शास्त्री---

अगर तालिका दी थी तो वह बताएं। उनका तो कहना है कि सूचना की आवश्यकता होगी। वह अब भी बता दें।

श्री अध्यक्ष---

यह तालिका तो लगी है और यह तालिका बहुत लम्बी है।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन १५ मिलों के रिसीवर मुकर्रर किये गये हैं वहां से किसानों का और सरकार का रुपया किस-किस मिल से कितना-कितना वसूल हुआ है?

श्री राजमंगल पांडेय---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ताकि सामग्री इकट्ठा की जा सके।

(अगले प्रश्न के उत्तर के लिये मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल---

मंत्री जी मौजूद हैं उन को उत्तर देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

मेरी जरा सी अर्ज है और मैंने उस दिन भी ध्यान दिलाया था। अब २२ मिनट हो गये और ३ सवाल ही चल रहे हैं। आप प्रश्नों की सूची देखें तो इन चीनी मिलों से भी जरूरी सवाल हैं। आप ही तय करते हैं कि ५ से अधिक सप्लीमेंटरी न होंगे लेकिन इतनी देर से इसी पर सप्लीमेंटरीज चक्कर काट रहे हैं। यदि आप तय कर दें कि इस हिसाब से लिये जायंगे तो उसी हिसाब से हम यहां आयें या न आयें और बैठें या न बैठें।

श्री अध्यक्ष---

मैं अब आगे बढ़ गया हूं।

श्री रामचन्द्र विकल---

श्रीमन्, एक भी सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया है, रिसीवर कौन मुकर्रर हुआ, क्या प्राप्त हुआ और कोई सही उत्तर नहीं आया इसलिये आप इस पर विवाद का मौका दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि जो उत्तर दिये गये हैं इस प्रश्न के संबंध में वे इवेसिव हैं। पहला प्रश्न था कि बहुत दिनों यह मिलें बन्द रहीं लेकिन उत्तर दिया गया कि नहीं रहीं। जो भी प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में कहा गया कि सूचना की आवश्यकता है। आप श्रीमन्, उनको कुछ कहें तो, आप तो ऐसी जगह बैठे हैं कि आप सबको कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप नियम ४९ में नोटिस दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उनको भी आप कहें कि उत्तरों को टालें नहीं।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि जानकारी नहीं है और सूचना चाहिये तो मैं क्या करूं।

गयाघाट बलिया जिले में गंगा का कटान रोकने के लिये झावां की खरीद

*३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि गत वर्ष सन् १९६९ में बलिया जिला में गायघाट मौजे के सामने गंगा की कटान रोकने के लिये ठेकेदार ने जितनी धनराशि की झावां की पूर्ति भट्टों से लेकर किया है उस बिक्री का उल्लेख सम्बन्धित भट्टों ने अपने-अपने बिक्री रजिस्टार में करके, उसका बिक्री कर विधिवत् किया है, यदि नहीं तो क्यों ?

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

बलिया जिले में गायघाट मौजे के सामने गंगा की कटान रोकने के लिए दो ठेकेदारों ने कुल २,४५,८७२ रु० के मूल्य के झावां की पूर्ति की थी। किन-किन भट्टों से इन ठेकेदारों ने यह झावां खरीदा था इसकी जांच की जा रही है।

इलाहाबाद के दैनिक "लीडर" के छंटनीशुदा कर्मचारियों का मुकदमा

*४—श्री जगदीश गांधी, (जिला अलीगढ़), श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर), श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद) तथा श्री अनन्तराम जायसवाल, (जिला बाराबंकी)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' के छंटनी शुदा श्रमजीवी पत्रकारों का जो मुकदमा कम्पीटेंट अथारिटी द्वारा २८ नवम्बर, १९६८ को समाप्त हो गया था क्या उसका निर्णय सरकार को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो वह क्या है और शासन उस पर क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

उभयपक्षों की सहमति के अभाव में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता था, न लिया गया। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि सेवायोजकों तथा छंटनी शुदा ११ कर्मचारियों की परस्पर सहमति न होने के कारण सक्षम अधिकारी ने उनका मामला अपनी रिपोर्ट के साथ शासन को इसलिये भेजा कि मसलों को तय करने के लिये श्रम न्यायाधिकरण को भेज दें। शासन ने यह कार्यवाही की कि मामले को श्रम न्यायाधिकरण, इलाहाबाद को अभिनिर्णय के लिये भेज दिया।

श्री जगदीश गांधी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लीडर अखबार में जो इलाहाबाद से छपता है, उसके ११ छंटनीशुदा पत्रकार हैं उन के मसले पर सरकार कब तक कोई निर्णय ले लेगी ?

श्री राजमगल पांडेय—

इस सम्बन्ध में एम्प्लायर्स और एम्प्लाईज दोनों के दृष्टिकोण और मांगों में भिन्नता है। इम्प्लाइज ने कहा है कि हमने जो मशीनरी उनके मामलात को तय करने की निश्चित की है वह काम्पीटेंट नहीं है इसलिये इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यु नल के सुपुर्द फैसला किया गया है और वही फैसला दोनों पर बाइनडिंग होगा।

श्री जगदीश गांधी--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन ११ छटनीशुदा कर्मचारियों की मांगें क्या-क्या हैं?

श्री राजमंगल पांडेय--

उनकी मांगों के बारे में तो विस्तृत विवरण इस समय हमारे पास नहीं है लेकिन उन की मांगें जो थीं और जो उन्हें एम्प्लायर्स दे रहे थे उन में काफी भिन्नता थी इसलिये उनका कोई समझौता नहीं हुआ और यह मामला इंडस्ट्रीयल ट्रिब्युनल को भेजा गया है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगे कि क्या उसके विचार में कोई ऐसी योजना है कि महामना मदन मोहन मालवीय और श्री सी० वाई० चिन्तामणि द्वारा स्थापित पत्र जिस को बिरला ब्रदर्स ने जानबूझ कर बन्द कर दिया है उसे सरकार अपने हाथ में लेकर पुनः प्रकाशित करे और जिसकी कि सरकार से मांग भी की गई है?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस किस्म की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह मामला इन्डस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इलाहाबाद को कब भेजा गया और इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं?

श्री राजमंगल पांडेय--

यह मामला २८/२९ अप्रैल, १९६९ को भेजा गया था।

श्री दीपनारायण मणि--

वहां के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने सरकार से और वहां के मालिकों से यह निवेदन किया था कि वे सहकारिता के आधार पर इस समाचार पत्र को संचालित करना चाहत हैं तो सरकार ने क्यों स्वीकार नहीं किया है?

श्री राजमंगल पांडेय--

हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

वे टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं अर्थात् सरकार ने कौन-कौन से नीति निर्देशन दिए हैं, इन्डस्ट्रियल ट्राइब्युनल को कि इन-इन मदों पर वे अपना निर्णय दें?

श्री राजमंगल पांडेय--

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है। दो प्रकार के जर्नलिस्ट हैं, एक वर्किंग जर्नलिस्ट और दूसरे नान-वार्किन्ग जर्नलिस्ट। वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी मांग को हमने मान लिया है लेकिन जो नान-वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनके मामले चल रहे हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की थी?

श्री राजमंगल पांडेय--

सक्षम अधिकारी, लेबर कमीशन को हिदायत दे दी गयी है कि एक्स-आफिशियो जो सेक्रेट्री हैं, उनसे बातचीत करके इस मामले को जल्द से जल्द समाप्त करें।

श्री भगवती सिंह विशारद—

श्रीमन्, मेरा यह प्रश्न नहीं था। मैंने माननीय मंत्री जी से केवल यह पूछा था कि समक्ष अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट कब सरकार के पास भेजी थी?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो मैं बता चुका हूं। ९ अप्रैल, १९७०।

नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमीआवाज के कर्मचारियों की वेतन मांग

*५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि नेशनल हेराल्ड, नवजीवन एवं कौमी आवाज में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की महंगाई के अनुसार वेतन की मांग को लेकर जून, १९६९ में सरकार ने त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया था? यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय हुआ था?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जी हां। इस सम्बन्ध में एक त्रिदलीय सम्मेलन दिनांक २५ व २६ जून, १९६९ को श्रम जीवी पत्रकारों/गैर-पत्रकारों के लिये केन्द्रीय वेतन मण्डलों की अनुशन्साओं का शीघ्र प्रतिपालन किये जाने हेतु बुलाया गया था। इसमें नेशनल हैराल्ड, नवजीवन एवं कौमी आवाज के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का मामला भी शामिल था। इस सम्मेलन में उक्त वेतन मण्डलों की अनुशंसाओं को तुरन्त प्रतिपालित करने और उनके प्रतिपालन को सुगम बनाने के लिये उचित 'शासन तन्त्र' की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था।

*६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि इन कर्मचारियों को वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार जो कि पत्रकारों एवं गैर-पत्रकारों कर्मचारियों के लिये गठित हुआ था, वेतन तथा महंगाई भत्ता, मिल पा रहा है? यदि नहीं, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

श्रम जीवी पत्रकार वेतन मण्डल एवं गैर-पत्रकार वेतन मण्डल की अनुशन्सायें १-७-१९६७ से कार्यान्वित होनी थीं। इन तीनों समाचार पत्रों के श्रम जीवी पत्रकार वेतन तथा मंहगाई भत्ता दिनांक १-२-१९६८ से वेतन मण्डल की अनुशन्साओं के अनुसार पा रहे हैं। इससे पूर्व की अवधि (अर्थात् १-७-१९६७ से ३१-१-१९६८ तक) के लिये उक्त अनुशन्साओं का प्रतिपालन देहली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है। जहां तक इन समाचार-पत्रों के गैर पत्रकार कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह सूचनीय है कि उक्त समाचार-पत्रों के प्रबन्धक इस को दिनांक ३० मार्च, १९६८ को हुए एक रजिस्टर्ड समझौते की शर्तों के अनुसार १-७-१९६७ से वेतन क्रम तथा महंगाई भत्ता देते आ रहे थे, जो गैर पत्रकार के लिये गठित वेतन मण्डल की अनुशन्साओं से कुछ मेल खाता था। पर जुलाई १, १९६९ से उक्त वेतन मण्डल की अनुशन्साओं के आधार पर इन कर्मचारियों को वेतन क्रम का लाभ दे दिया गया है। महंगाई भत्ते का लाभ भी जो उक्त अनुशन्साओं के अनुसार बनता है, उन्हें १-१-१९७० से प्राप्त हो गया है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि प्रबन्धकों को गैर-पत्रकारों के वेतन मण्डल की अनुशंसाओं का प्रतिपालन करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त अनुशन्साओं को अभी वैधानिक रूप से लागू नहीं किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित उक्त अनुशंसाओं को वैधानिक रूप से लागू नहीं किया गया। वैधानिकता की क्या कमी इसमें रह गई है?

श्री राजमंगल पांडेय—

पोजीशन ऐसी है कि कुछ हमारी कान्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टीज हैं। जब तक हम उन डिफिकल्टीज को पार न कर लें तब तक कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक जगह डायरेक्टिव हैं और एक जगह सजेस्टिव हैं। इसलिये रिकमेन्डेशन्स को पूरा करने के लिये जब तक कानूनी दृष्टिकोण नहीं होगा हम पूरा कराने में समर्थ नहीं हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इन अनुशंसाओं को लागू करने के लिये शासन तंत्र के बनाने की योजना बनाई गयी थी। क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह क्या है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

लेबर कमिश्नर को उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। एम्प्लायर्स और एम्प्लाईज के तीन-तीन प्रतिनिधि उसमें होंगे। इसका जो सचिव होगा उसको कन्वीनर और सेक्रेटरी कर दिया गया है। इस तरह यह आठ आदमियों की कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी जो फैसला करेगी उसको सरकार मान लेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जो समझौता गैर पत्रकार कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच में ३० मार्च, १९६८ को हुआ तथा वेतन मण्डल की जो अनुशंसायें हैं, उनमें क्या अन्तर था।

श्री राजमंडल पांडेय—

श्रीमन्, इसकी डिटेल तो नहीं है। लेकिन दोनों की मांगों में—एम्प्लायर्स की मांगों और एम्प्लाईज की मांगों में अन्तर इतना कम था कि एम्प्लाईज ने स्वयं असहमति व्यक्त की। वे जो चाहते थे वह करीब-करीब मिल गया। इसलिये इसकी कोई और जानकारी चाहें तो समय चाहिये।

श्री रामगोपाल संड—

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिये जो आयोग गठित किया गया था उसके जो वेतन मंडल की सिफारिश आई थी उस के अनुसार जो समाचार पत्र प्रदेश के अन्दर चल रहे थे क्या उन सभी श्रमजीवी और गैर श्रमजीवी पत्रकारों को उचित वेतन मिल रहा है जो उस की सिफारिश के अन्दर आये हैं। क्या ऐसी जांच सरकार करवा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इनमें दो किस्म के जर्नलिस्ट या वर्कर्स हैं। एक तो वर्किंग हैं और दूसरे नान वर्किंग हैं। वर्किंग के बारे में जो वेज बोर्ड तय कर देगा उसी को मान लिया जायगा। दूसरों के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस शासन तंत्र की स्थापना की गई है उस तन्त्र के माध्यम से आप इन गैर पत्रकार कर्मचारियों को वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिलाने के लिये प्रयत्न करेंगे ?

श्री राम मंगल पांडेय—

उस शासनतंत्र के फैसले के बाद सरकार का नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है हम उसको लागू कर सकें।

हैदरगढ़ अदालत पंचायत के मनोनीत पंचों के नाम कटना

*७—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह बात सही है कि हैदरगढ़ ब्लाक की हैदरगढ़ अदालत पंचायत के जिलाधीश द्वारा मनोनीत पंचों के नाम बिना जिलाधीश के आदेश के काट दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि आदेश से काटे गये हैं तो मेम्बरों के नाम काटने का आदेश जिलाधीश ने कब दिया ?

पंचायती राज्य मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

चूंकि यह मामला सन् १९६२ का है, पूरी जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। सूचना एकत्र की जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

प्रतापगढ़ क्षेत्र में रोडवेज बसों की शिकायत

*१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० रोडवेज प्रतापगढ़ जिले की ७० प्रतिशत बसें खराब होने के कारण रास्ते में बिगड़ जाती हैं जिससे स्थानीय जनता को यातायात में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिलों को नई बसें देने की योजना पर विचार कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

जी नहीं।

*२—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[६ठें मंगलवार के लिये प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आई० टी० आई० मेरठ द्वारा सामान की खरीद

*३—श्री मन्जूर अहमद—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि आई० टी० आई० मेरठ में सन् १९६७-६८ व १९६८-६९ में लोकल परचेज से क्या-क्या मैटेरियल लिया गया और इस मैटीरियल को बेचने के लिये किस फर्म ने अपना-अपना रेट दिया तथा उनमें से सबसे कम रेट किसका था और मैटीरियल किस फर्म से लिया गया और यह फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

† वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

श्री मंजूर अहमद—

वह कौन सी कमेटी थी जिसने कम दर को छोड़ कर ज्यादा दर पर सामान खरीदा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जितना सामान खरीदा गया उसमें ९८ परसेंट तो ऐसा था जो सबसे लोएस्ट टेन्डर पर खरीदा गया था, केवल दो परसेंट ही ऐसा था जिसमें कि कुछ मजबूरी की वजह से ज्यादा भाव पर खरीदना पड़ा और वह भी पैसे दो पैसे का ही फर्क था।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मंजूर अहमद—

इसमें लिखा गया है कि कुछ कागजात विजिलेन्स वाले ले गये, वे कौन से कागजात ले गये और क्यों ले गये ?

श्री राजमंगल पांडेय—

वे लोग रेडियो वर्ग तथा इलैक्ट्रो प्लेटिंग वर्ग के सामान के क्रय से संबंधित कागजात ले गये थे। उसकी डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कागजात को ले जाने की जरूरत उनको क्यों पड़ी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह तो सरकार की तत्परता बताती है कि किसी भी शिकायत की जांच कराने के लिये कागज सतर्कता आयोग को दे दिया, ताकि जांच हो।

श्री रामधारी शास्त्री—

वही तो जानना चाहते हैं कि शिकायत क्या है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उसके लिये सूचना चाहिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

सन् १९६९-७० में तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री ने जब आई० टी० आई० का निरीक्षण किया था तो बहुत सी शिकायतें उनके सामने आयी थीं। तो क्या उसी समय मामला विजिलेन्स को दिया गया था ?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह मामला तो १९६७-६८ का है न कि १९६९-७० का।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

१९६९-७० में मेरठ में आई० टी० आई० का तत्कालीन श्रम मंत्री जी ने निरीक्षण किया था और उन्होंने तमाम गड़बड़ी पायी थी, क्या यह सही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सूचना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी प्रदेशीय स्तर पर सारे सामान की खरीदारी और उसके वितरण की कोई व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिसके कारण यह सम्भव नहीं है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें लोकल परचेज से खरीदना पड़ती हैं।

श्री मंजूर अहमद—

क्या यह सही है कि मेरठ आई० टी० आई०, में जो सामान खरीदा गया वह रजिस्टर्ड फर्मों से नहीं खरीदा गया, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मेरी सूचना है कि जितनी दूकानों से सामान खरीदा गया वे पंजीकृत हैं, वे एप्रूव्ड लिस्ट में हैं।

रोडवेज क्षेत्र, देहरादून में बिना टिकट यात्रा के मामले

*४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून क्षेत्र में कितने केसेज १९६४ से दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ तक यातायात सरकारी वाहनों में बिना टिकट यात्रा से सम्बन्धित पकड़े गये ? उनमें से कितने तय किये गये, कितने शेष हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज, देहरादून क्षेत्र में सरकारी वाहनों में वर्ष १९६४ से ३१-८-६९ तक बिना टिकट यात्रा संबंधित ५५७ केसेज पकड़े गये। इनमें से ३१५ केसेज तय किये जा चुके हैं। ९४ केसेस दूसरे रीजनों को स्थानान्तरित किए गए हैं तथा १४८ केसेस अभी बाकी हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जितने केसेज तय किए गये, उनमें से कितने व्यक्ति दोषी पाए गये ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह जो निर्णय किए गये ३१५ केसेज, तो ३१५ आदमी ही उसमें दोषी पाए गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो बकाया १४८ केसेज हैं, वे कब तक तय हो जाएंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

उसकी निश्चित तिथि तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन शीघ्र ही तय हो जाएंगे, यह कह सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इनकी जांच कौन अधिकारी करता है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इनकी जांच विभागीय अधिकारी ए० जी० एम०, डी० जी० एम० वगैरह करते हैं।

प्रधान प्रबन्धक, रोडवेज क्षेत्र, वाराणसी के विरुद्ध शिकायत

*५—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश के यातायात विभाग के वाराणसी के सामान्य प्रबन्धक ४ जुलाई, १९६८, २६ जुलाई, १९६८ के अपराह्न तक आजमगढ़ में रहे हैं ? इन दिनों का भत्ता उन्होंने परिवहन आयुक्त से मांगा है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वाराणसी के प्रधान प्रबन्धक जुलाई, १९६८ में आजमगढ़ में केवल १२, १३, १५ एवं २४, २५, २६ तारीखों को दौरे पर रहे थे तथा इसका भत्ता भी लिया था।

*६—श्री नगीना सिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि वाराणसी यातायात सामान्य प्रबन्धक ने लखनऊ क्षेत्र के चारबाग के सहायक सामान्य प्रबन्धक के समक्ष कंडक्टर श्री रामेश्वर के विरुद्ध बयान दिया है कि उन्होंने २५ जुलाई, १९६८ को कादीपुर में उनकी बस को चेक किया है ? यदि यह सत्य है तो सरकार द्वारा वाराणसी के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

परिचालक श्री रामेश्वर के अनुरोध पर प्रधान प्रबन्धक, वाराणसी ने लखनऊ में एक बयान जरूर दिया था परन्तु उसमें यह नहीं कहा था कि बस को उन्होंने स्वयं चेक किया था।

प्रधान प्रबन्धक, वाराणसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर रोडवेज में गबन

*७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में गोरखपुर रोडवेज में कुल कितने रुपये का गबन हुआ था और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वित्तीय वर्ष १९६८-६९ में गोरखपुर रोडवेज में एक मामला कर्मचारियों की प्रतिभूति के गबन के सम्बन्ध में पकड़ा गया। प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक कुल ६९,३६४ रुपए १५ पैसे के गबन का पता चला है जो ११८ कर्मचारियों के प्रतिभूति का है। उक्त गबन में जो कर्मचारी (primafacie) दोषी पाया गया है उसे निलम्बित कर दिया गया है। उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा जांच में ११ मामलों की जांच पूरी हो गई है तथा अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा चार्ज शीट दी जा चुकी है। बाकी १०७ प्रतिभूति के मामले पुलिस जांच के अन्तर्गत हैं।

उपर्युक्त केस के अतिरिक्त ११२४ रुपए ८९ पैसे के ६ और गबन के मामले पकड़े गये हैं जिनमें ६ व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया है। उनमें से ५ व्यक्तियों को दण्डित किया जा चुका है तथा एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही जारी है। उक्त ६ व्यक्तियों में से २ व्यक्ति के ऊपर न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है। उक्त १,१२४ रुपए ८९ पैसे में से १,०३४ रुपए २३ पैसे की वसूली हो चुकी है।

परिवहन विभाग में निश्चित वेतन न पाने वाले कर्मचारी

*८—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका वेतन १ अप्रैल, १९६५ से ३० नवम्बर, १९६९ तक निश्चित नहीं हुआ ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

७३ कर्मचारियों का वेतन १-४-६५ से ३०-११-६९ तक निश्चित नहीं हुआ है।

सहकारी चीनी मिलों की बैलेन्स शीट

*९—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सहकारी स्तर पर चलने वाली चीनी मिल कितनी हैं तथा क्या सरकार उन सभी की वित्तीय वर्ष १९६५-६६, १९६६-६७, १९६८-६९ की बैलेंस शीट सदन की मज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राजमंगल पाडेय—

प्रदेश में इस समय सहकारी स्तर पर निम्नलिखित चीनी मिलें उत्पादन कार्य कर रही हैं :

१—दी बाजपुर सहकारी चीनी मिल लि० बाजपुर, जिला नैनीताल ।
२—दी बागपत सहकारी चीनी मिल लि० बागपत, जिला मेरठ ।
३—दी किसान सहकारी चीनी मिल लि० सरसावा, जिला सहारनपुर ।
४—दी किसान सहकारी चीनी मिल० लि० मझौला, जिला पीलीभीत ।

उक्त मिलों का सहकारी वर्ष १९६५–६६ तथा १९६६–६७ की† बैलेन्स शीट संलग्न है । उक्त किसी भी चीनी मिल की वर्ष १९६८–६९ की बैलेन्स शीट अभी तैयार नहीं हुई है ।

*१०—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित चीनी मिलों में रिकवरी का प्रतिशत गत तीन वर्षों में क्या रहा है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उल्लिखित सहकारी चीनी मिलों में गत तीन वर्षों का रिकवरी का प्रतिशत निम्नांकित रहा है :

मिल का नाम	रिकवरी प्रतिशत		
	१९६६–६७	१९६७–६८	१९६८–६९
१—बाजपुर सहकारी चीनी मिल लि०, बाजपुर, जिला नैनीताल ।	९.९७	९.८४	१० १९
२—बागपत सहकारी चीनी मिल लि०, बागपत, जिला मेरठ ।	८.४८	९.०५	६.९०
३—किसान सहकारी चीनी मिल लि०, मझौला, जिला पीलीभीत ।	९.७९	९.७१	१०.२२
४—किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सरसावा, जिला सहारनपुर ।	९.२३	९.३२	८.६३

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि मुझे इस प्रश्न के उत्तर में अभी-अभी इतना बड़ा पोथा मिला है । इतने अल्प समय में यह असम्भव सा है कि मैं इसको अच्छी प्रकार से पढ़ सकूं । मुझे इसकी डिटेल स्टडी करने का बिलकुल समय नहीं मिला है, इसलिये मेरे लिए सम्भव नहीं है कि मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न कर सकूं । इसलिय मैं आप से अनुरोध करूंगा कि मुझे इस पर नियम ४९ के अन्तर्गत आधे घंटे का समय दे दिया जाए ताकि मैं इस पर विस्तार से प्रश्न कर सकूं या दूसरे किसी दिन इस पर समय दे दिया जाए ।

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे दफ्तर में भी इसका जवाब बहुत लेट आया। और आपको भी इसीलिए देर से मिल सका। मैं समझता हूं इसको दूसरे रोज के लिए पोस्टपोन कर दूं तब तक आप स्टडी कर लें, यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि उसको आप नियम ४९ में ही ले लें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप उसे लिखकर भेजें, मैं देख लूंगा।

रोडवेज क्षेत्र, मेरठ में सहायक यात्रा निरीक्षकों का भत्ता

*११—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५ के जुलाई माह से अक्टूबर, १९६५ तक का दैनिक भता मेरठ डिवीजन के सहायक यात्रा निरीक्षकों (A.T.I.) को २० जनवरी, १९७० तक नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उस भत्ते को तुरन्त बटवाने की कृपा करेगी?

श्री रामजीलाल सहायक—

जुलाई, १९६५ से अक्तूबर, १९६५ तक के प्राप्त बिलों का भुगतान २०-१-७० से पूर्व कर दिया गया था।

उन्नाव जिले में न्योतनी तक बस सर्विस की मांग

*१२—श्री चिरंजीलाल (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव-हसनगंज तथा उन्नाव-मलिहाबाद मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें, सरकारी आदेश के बावजूद कस्बा न्योतनी, जिला उन्नाव नहीं जा रही हैं? यदि हां, तो कब तक उनके न्योतनी जाने की व्यवस्था हो जायगी?

श्री रामजीलाल सहायक—

ऐसी शिकायत मिली है कि उन्नाव-हसनगंज तथा उन्नाव-मलिहाबाद मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट बसें न्योतनी तक नहीं जाती हैं। उन बसों के स्वामियों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ६० के अन्तर्गत नोटिस दिये जा चुके हैं कि क्यों न उनके परिमिट को निरस्त कर दिया जाय। मोटर मालिकों के उत्तर भी प्राप्त हो गये हैं। मामला संभागीय परिवहन प्राधिकारी, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा। वह संस्था कानूनी कार्यवाही करने के पश्चात् उचित प्रबन्ध करेगी इसके लिये अभी कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

*१३—श्री चिरंजीलाल (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा न्योतनी से उन्नाव तक यात्रियों की सुविधा के लिये उक्त मार्ग पर चल रही बसों के अतिरिक्त ३ प्राइवेट अथवा राजकीय रोडवेज बसों की अलग से व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री रामजीलाल सहायक—

कस्बा न्योतनी से उन्नाव तक राजकीय रोडवेज बसों की व्यवस्था करने का विचार नहीं है। प्राइवेट बसों की व्यवस्था संभागीय परिवहन प्राधिकारी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत करती हैं। वह एक अर्ध न्यायी संस्था है और उसे शासन द्वारा किसी प्रकार के आदेश नहीं दिये जा सकते।

प्रधान प्रबन्धक रोडवेज वाराणसी द्वारा स्टाफ कार का प्रयोग

*१४—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधान प्रबन्धक रोडवेज वाराणसी ने १ अप्रैल, १९६७ से दिसम्बर, १९६९ तक कितना किलोमीटर अपनी स्टाफ कार का इस्तेमाल किया और कितना धन व्यय हुआ ?

श्री रामजीलाल सहायक—

वाराणसी क्षेत्र अगस्त, १९६७ से चालू हुआ और प्रधान प्रबन्धक वाराणसी ने अपनी स्टाफ कार द्वारा अगस्त, १९६७ से दिसम्बर, १९६९ तक कुल १,२२,०७७ किलोमीटर दौरा किया जिस पर कुल ४४,६२६·२६ रुपया व्यय हुआ ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि १ लाख २२ हजार ६ सौ ७७ किलोमीटर में कितना निजी कामों में और कितना सरकारी कामों में इस्तेमाल हुआ है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके लिए सूचना चाहिए । यह तो सरकारी कामों पर हुआ है ।

श्री रूपनाथसिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि अगस्त, १९६७ से दिसम्बर, १९६९ तक स्टाफ कार का कितने बार मीटर बदला गया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसकी सूचना चाहिए ।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि सामान्य प्रबन्धक के लिए खुली छूट है कि जितना चाहें मोटर का इस्तेमाल करें या कोई सीमा है, यदि सीमा है तो क्या है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, उनके लिए हर महीने ३ हजार से ४ हजार किलोमीटर प्रति मास दौरा करने का प्राविधान है और इसलिये निरीक्षण के लिये वह कर सकते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन से चार हजार तक की सीमा है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि दो वर्ष में १ लाख २२ हजार किलोमीटर सफर किया है । इससे लगता है कि सीमा का उल्लंघन किया है । तो क्या इस पर जवाब तलब करेंगे कि सीमा का उल्लंघन क्यों किया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, सम्भवत: यह ऐवरेज निकालने पर ४ हजार मिलोमीटर ही आता है जो कायदे में है । उससे ज्यादा हुआ तो जांच करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री बताऐंगे कि कोई ऐसा शिकायती-पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है कि वह व्यक्तिगत काम के लिये स्टाफ कार इस्तेमाल कर रहे थे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

शासन को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

*१५—श्री रामचन्द्र आजाद—

[प्रश्नकर्ता के सदस्यता से त्याग पत्र के कारण अपास्त]

[४ मई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—श्री मन्जूर अहमद—

[१०वें गुरुवार के प्र० सं० ६–७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३—श्री रामगोपाल संड तथा श्री रामचन्द्र विकल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

बिक्री कर मुक्त औद्योगिक इकाइयां

*४—श्री रामगोपाल संड—

क्या बिक्रीकर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार ने कतिपय उद्योगों को उनके माल को इस प्रदेश में बिक्री कर से ३ साल की छूट दी है ? यदि हां, तो वे कौन से उद्योग हैं ? इस छूट देने से सरकार को कितनी हानि हुई है ?

श्री बलबीर सिंह—

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में नई इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये उत्पादन की तिथि से ३ वर्ष के लिये बिक्रीकर से छूट देने का निर्णय ले रखा है । इन निर्णय का लाभ केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगा जिन्हें उत्पादन करते हुए ३ वर्ष से अधिक नहीं हुए है । अभी तक शासन ने १६ औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर से छूट दी है । छूट दी गई इकाइयों का विवरण तथा किस तिथि तक उनको छूट दी गई है संलग्न है ।

छूट देने से शासन को बिक्रीकर में कितनी हानि होगी इसका सही-सही अनुमान करना कठिन है क्योंकि छूट उनके भविष्य में अनुमानित उत्पादन से सम्बंधित है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०६३ पर)

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी इस बात की जांच करवाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद की जीप फ्लैशलाइट कम्पनी और जी० ई० सी० कम्पनी जो नैनी में है, हजारों मजदूर दोनों कम्पनियों में काम करते हैं, और तीन वर्ष से नहीं दस–बारह वर्ष से चल रही हैं, क्या सरकार को धोखा दे कर तीन वर्ष की छूट ले ली है, लाखों रुपया बैलेंशशीट में प्राफिट दिखाया जाता है, क्या वह इसकी जांच करवायेंगे कि कम्पनियां ये तीन वर्ष से चल रही हैं या दस वर्ष से चल रही हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर तफसीलवार लिख कर सब बातें देंगे तो मैं जरूर इसकी जानकारी कर लूंगा ।

श्री रामगोपाल संड—

ये दो औद्योगिक संस्थान हजारों श्रमिक अपने यहां रखे हुए हैं, लाखों रुपया राजनीतिक पार्टियों को देते हैं और अन्य १२ औद्योगिक संस्थान अलग हैं जिनमें लाभ होता है तो क्या राज्य सरकार कोई जांच कमीशन बिठायेगी जिससे बिक्रीकर का जो नुकसान हो रहा है उस सम्बन्ध में जांच हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतला दिया कि लिख कर दें। आप सब चीजें लिख कर दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रदेश में इस बात की जांच करायेंगे कि ऐसे कितने उद्योग छूट गये हैं जो ३ साल की अवधि में आते हैं और जिनको यह छूट नहीं मिल रही है ?

श्री बलबीर सिंह—

छूट के लिये दरख्वास्त स्वयं उद्योग चलाने वाले देते हैं और वह उद्योग निदेशक को दी जाती है और फिर बिक्रीकर विभाग उस पर विचार करता है। उसके बाद वह मंत्रि परिषद् के पास जाती है तब उसका फैसला होता है। उनके दरख्वास्त देने के बाद ही निर्णय लिया जाता है लिहाजा हमारी जांच का सवाल पैदा नहीं होता।

इण्टर स्टेट रूटों पर रोडवेज बसें चलाने के लिए दिल्ली से पत्र-व्यवहार

*५—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ४५, राजपुर रोड, देहली ने कोई नोटिस दिनांक १९ दिसम्बर, १९६८ को जारी किया है जिसके अन्तर्गत देहली से उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न ३३ इण्टर स्टेट मार्गों पर स्टेट कैरिज परमिट देने के लिये प्रार्थना पत्र मांगे हैं यदि हां, तो सरकार ने देहली सरकार से इस सम्बन्ध में क्या तय किया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां ! शासन ने इस विषय में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी दिल्ली को आपत्ति भेजी है कि उनका यह कार्य अवैधानिक है। इस आपत्ति पर अभी तक उनका उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह आपत्ति पत्र दिल्ली स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथारिटी को कब भेजा गया था ?

श्री रामजी लाल सहायक—

यह पत्र २४-२-६९ को भेजा गया था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

इण्टर स्टेट रूटों पर रोडवेज चलाने के बारे में यह मामला दिल्ली सरकार से कब से चल रहा है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

दिसम्बर, ६८ से यह लिखा पढ़ी चल रही है जब से आपत्ति की गयी थी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को मालूम है कि यह मामला दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार में बसों के चलने के सम्बन्ध में १० साल से चल रहा है और अभी तक तय नहीं हुआ है।

श्री राम जीलाल सहायक—

१० साल की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जब ट्रकों के बारे में यह देखा जाता है कि जितने ट्रक उनके यहां चलते हैं उतने हमारे उनके यहां चलते हैं तो क्या यह तय नहीं हो सकता इन ३३ बसों के बारे में कि उसी अनुपात से वहां भी ये बसें चला करें ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, अगर यह मान लिया गया तो इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले बजट सेशन में जुलाई और अगस्त से आजतक सिवाय एक पत्र के और कोई पत्र नहीं भेजा गया ?

श्री रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, ७-७-६९ को उत्तर प्रदेश के परिवहन अधिकारियों और दिल्ली के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई । आपसी परामर्श हुआ किन्तु कोई निर्णय न हो सका । ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पत्र भेजा गया हो । बराबर पत्र-व्यवहार जारी है ।

*६---श्री ओम प्रकाश सिंह---

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

प्रतापगढ़ जिले में अनधिकृत रूप से बसें चलाने की शिकायत

*७---श्री जयराम यादव---

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ में राष्ट्रीयकृत सड़कों पर प्राइवेट बस आपरटरों ने प्राइवट बसें चलाना शुरू कर दिया है, जिनसे यू० पी० रोडवेज प्रतापगढ़ डिपो को दैनिक क्षति हो रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक---

प्रतापगढ़ में कुछ प्राईवेट बसों के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनधिकृत रूप से चलने की सूचना मिली है । विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों ने चकिंग में ऐसी कुछ गाड़ियों का चालान किया है । यह सत्य है कि इस प्रकार के अनधिकृत संचालन से रोडवेज की आय को क्षति पहुंच रही है ।

*८---श्री जयराम यादव---

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि पट्टी चांदा जेठवारा-लालगोपाल गंज रोड के राष्ट्रीयकृत न होने के कारण प्राइवेट बस मालिक इन्हीं सड़कों की आड़ में राष्ट्रीयकृत सड़कों पर गैर कानूनी तरीके से बसें चला रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी ?

श्री रामजी लाल सहायक---

पट्टी चांदा व जेठवारा-लालगोपालगंज सड़कों को जो राष्ट्रीयकृत मार्ग प्रतापगढ़ से मिलाती है उनको प्राइवेट बसों को चलने की विधिवत आज्ञा दी गई है । इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कोंच तहसील में श्री कृष्ण बिहारी शर्मा तथा दूसरों से उद्योग ऋण की वसूली

*९---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायगे कि कोंच के श्री कृष्ण बिहारी शर्मा द्वारा ऋण के दुरुपयोग की रिपार्ट परगनाधीश रामलाल पी० सी० एस० द्वारा सरकार को दी गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उद्योग उप मंत्री (श्री आबिद अली)--

जी हां ।

उस रिपोर्ट पर श्री कृष्ण बिहारी शर्मा से ऋण की वसूली के आदेश कलेक्टर जालौन को प्रसारित किये गये ।

*१०--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष १९६८-६९ में कोंच तहसील उद्योग ऋण की वसूली में तहसीलदार ने कुल कितने लोगों को सिविल लाक अप में बन्द किया ? इनमें से कुल कितने लोगों से कुर्की करके ऋण की वसूली की गई तथा कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री आबिद अली--

वर्ष १९६८-६९ में कोंच तहसील में औद्योगिक ऋणों की वसूली के लिये २० व्यक्तियों को सिविल लाक-अप में बन्द किया गया । इनमें से एक व्यक्ति के विरुद्ध कुर्की करके वसूली की कार्यवाही की गई । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही न की गई हो ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे प्रश्न संख्या ९ के बारे में कि उक्त कलेक्टर ने जो कार्यवाही प्रसारित की है उसकी स्थिति क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री आबिद अली--

इसके सम्बन्ध में ऐसा है कि कलेक्टर से कहा गया कि वे कुल रुपया वसूल कर लें और उन्होंने श्री कृष्ण बिहारी शर्मा से १३ मार्च, ७० को कुल रुपया वसूल करा लिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह रुपया प्रश्न प्राप्त होने के बाद वसूल हुआ या उसके पहले ?

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

श्रीमन्, साफ जाहिर है कि रुपया १३-३-७० को वसूल हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

प्रश्न संख्या १० के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई और ३० व्यक्तियों को लाक-अप में बन्द किया गया तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री बेनी सिंह--

उनके खिलाफ कार्यवाही हुई और उन्होंने रुपया दे दिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री महोदय से इसका कारण जानना चाहता हूं कि केवल २० व्यक्तियों को लाक-अप में बन्द किया गया और केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली--

जिन व्यक्तियों को लाक-अप में बन्द किया गया उनमें से १४ व्यक्तियों से रुपया वसूल हो गया है । एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम बिहारी लाल है उनके नाम ५०९-३८ पैसे थे । वे वसूल किये जा रहे हैं और बाकी व्यक्तियों से भी वसूल करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, जानना कुछ और चाहता हूं और उत्तर कुछ और दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कोई ट्रेनिंग क्लास लगायेंगे ?

श्री चरण सिंह--

श्रीमन्, अपने आदमियों के साथ तो मैं रोज ही बातें करता रहता हूं किन्तु कुछ उधर के लोग भी ट्रेनिंग लेना चाहें तो..... ?

देवरिया जिले में चीनी मिल मालिकों पर सरकारी बकाया

*११--श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में ३० जून, १९६९ तक चीनी मिल मालिकों के यहां कितना रुपया सरकारी टैक्स के रूप में बकाया है तथा उसे वसूलने के लिये जिलाधीश ने कौन सी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री चरण सिंह--

देवरिया जिले में ३०-६-६९ तक चीनी मिल मालिकों पर निम्नलिखित सरकारी टैक्स बकाया था :

	(लाख रुपयों में)
उपकर (क्रयकर)	११९.९७
बिक्री कर	४.०७
वृत्ति कर	२५० रुपया केवल

उपकर/क्रयकर के ५५.८४ लाख रुपये विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण वसूल नहीं किये जा सके। ११.२६ लाख रुपया हाई कोर्ट लखनऊ बैन्च के आदेशानुसार किस्तों में भुगतान होना था। शेष ५२.८७ लाख रुपया में से १२.२१ लाख रुपया ३१-३-७० तक ५ चीनी मिलों से वसूल कर लिया गया है। बाकी ४०.६६ लाख रुपया में से ३८.२३ लाख रुपया केवल एक चीनी मिल (रामकोला खेतान) पर अवशेष है जिसमें एक सरकारी रिसीवर की नियुक्ति इस धनराशि की वसूली हेतु की जा चुकी है। इस प्रकार अब अवशेष धनराशि केवल २.४३ लाख रुपया की रह जाती है जिसमें से १.१२ लाख रुपया तीन मिलों के ऊपर देय है। जिनको चलाने के लिये सरकारी रिसीवर नियुक्त किये जा चुके हैं। अब केवल बचा १.३१ लाख रुपया जो लक्ष्मीगंज चीनी मिल पर देय है जिसकी वसूली जिलाधीश के स्तर से वसूली प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत की जा रही है।

बिक्री कर और वृत्ति कर की वसूली के जिलाधीश देवरिया को वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं।

गोरखपुर-खजनी-कौड़ीराम-गोला रोड बस सर्विस

*१२--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर खजनी गोला रोड, कौड़ीराम, गोला रोड पर राजकीय रोडवेज की बसें सरकार का चलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब से ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां । इन मार्गों पर सरकारी रोडवेज की बसें चलाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र ही रोडवेज बसों का संचालन प्रारम्भ हो जाएगा ।

*१३—श्रीमती मसाली देवी—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्डघाट कौड़ीराम और बांसगांव बस स्टेशनों की औसत आमदनी क्या है ?

श्री रामजी लाल सहायक—

इन स्टेशनों की औसत दैनिक आमदनी निम्नलिखित है :—

	रु०
बर्डघाट	१,४५०
कौड़ीराम	४५४
बांसगांव	३१७

उपर्युक्त औसत आय जनवरी से दिसम्बर, १९६८ तक तथा जनवरी से दिसम्बर, १९६९ तक की कुल आय पर निकाली गई है ।

महोली चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*१४—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि महोली लक्ष्मी शुगर मिल मालिकों पर किसानों का गन्ने का रुपया बकाया है ? यदि हां, तो कुल कितना और किन-किन सालों का बकाया है ?

श्री चरण सिंह—

लक्ष्मी जी शुगर मिल्स प्रा० लि०, महोली (जिला सीतापुर) पर किसानों का गन्ना मूल्य के रूप में ३१-३-१९७० तक कुल बकाया की धनराशि १५·६३ लाख रुपया है । इस बकाया का ब्योरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये में)
(१) वर्ष १९६०–६१ का अतिरिक्त गन्ना मूल्य ..	५.९६
(२) वर्ष १९६६–६७ का गन्ना मूल्य ..	०.५४
(३) वर्ष १९६९–७० का गन्ना मूल्य	९.१३
योग ..	१५.६३

*१५—श्री रामलाल राही—

क्या सरकार मिल-मालिकों से शीघ्र काश्तकारों को बकाया धनराशि दिलाने की व्यवस्था करेगी तथा भविष्य के लिये मिल-मालिकों को यह भी हिदायत देगी कि काश्तकारों को उनके गन्ने के मूल्य तुरन्त भुगतान किया करें ?

श्री चरण सिंह—

उपरोक्त अतिरिक्त गन्ना मूल्य की वसूली उच्च न्यायालय के रोकनादेश (दिनांक ९ सितम्बर, १९६९) के अनुसार स्थगित है । वर्ष १९६६–६७ के गन्ना मूल्य की उपरोक्त बकाया वर्ष १९५९–६० से १९६६–६७ तक के सूद, की धनराशि है जो उक्त वर्ष में गन्ने के मूल्य से मुजरा कर ली गयी थी । यह धनराशि एक विवाद के रूप में सालसी वाद के अन्तर्गत है, जिस पर सोल आर्बीट्रेटर का अभी कोई आदेश नहीं हुआ है । ९.१३ लाख रु० चालू सीजन के बकाया हैं तथा आशा है कि इनका शीघ्र भुगतान हो जायेगा ।

ब्रासवेयर आरटीजन्स सहकारी समिति लिमिटेड, मुरादाबाद में जांच

*१६—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्रासवेयर आरटीजन्स सहकारी समिति लिमिटेड, मुरादबाद को १९६४-६५ से १९६८-६९ की अवधि में हर वर्ष कितना-कितना तांबा, पीतल, जस्ता रांगा और ग्रेफाइट कुरोसिविल्स दिया गया है ?

श्री बेनी सिंह—

मेसर्स ब्रासवेयर आरटीजन्स सहकारी समिति लिमिटेड मुरादाबाद को वर्ष १९६४–६५ में केवल ३१५ किलो रांगा दिया गया। सन् १९६६–६७ में उक्त समिति को रांगे के लिये १०,७२६ रुपये का आयात लाइसेन्स तथा ३७,५०० रुपये का ग्रेफाइट करोसिविल्स, जर्मन सिल्वर, ब्रास स्क्रेप का आयात लाइसेन्स दिया गया। वर्ष १९६५–६६, १९६७–६८ तथा १९६८–६९ में इस समिति को उक्त कोई भी कच्चा माल नहीं दिया गया।

*१७—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री को यह मालूम है कि यह सारे का सारा माल समिति के सदस्यों को न बांट कर समिति के से क्रेटरी द्वारा ब्लैक किया गया है, क्या इसमें सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

इस विषय में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (सी० बी० आई०), नई दिल्ली द्वारा जांच जारी है।

शुगर फैक्ट्री, बाराबंकी में रिसीवर की नियुक्ति

*१८—श्री महीलाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शुगर फैक्ट्री, बाराबंकी का प्रबन्ध शासन ने लेकर रिसीवर मुकर्रर कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उद्योग मंत्री ने यह जानकारी की है कि मिल-मालिकों ने गुप्त सूचना के आधार पर फक्ट्री के हिसाब से चालीस लाख रुपया निकाल लिया था ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। दिनांक ५ अगस्त, ६९ से सरकार ने शुगर फैक्ट्री, बाराबंकी में रिसीवर की नियुक्ति कर दी है। प्राप्त सूचना के अनुसार कम्पनी के डाइरेक्टरों ने कम्पनी से अपनी निजी खर्च के लिये ऋण लिया था। इस ऋण के मूलधन और ब्याज का बकाया ३९,१५,४४३. ३९ रु० है।

रामपुर इण्डस्ट्रीज लि०, रामपुर के अंश बेचने का आदेश

*१९—श्री महीलाल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर इंडस्ट्रीज, रामपुर में शासन के कितनी धनराशि के शेयर थे और वह किस सन् में किन-किन शर्तों के साथ खरीदे गये थे ? क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि शासन ने अपने शेयर उसक वर्तमान प्रबन्धक को बेंच दिये हैं ? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री बेनी सिंह—

रामपुर इंडस्ट्रीज लिमि०, रामपुर में शासन के १,३५,९५० रु० के मूल्य के अंशक हैं ? इन अंशकों को शासन ने खरीदे नहीं थे। यह अंशक पहले भूतपूर्व रामपुर राज्य के थे और बाद में उक्त राज्य के उत्तर प्रदेश में विलयन के फलस्वरूप दिसम्बर, १९४९ से उत्तर प्रदेश की सम्पत्ति हो गये।

शासन ने उक्त अंशकों को लाला हर सहाय गुप्त को, जो कम्पनी के प्रबन्धक हैं, निम्नलिखित दर पर बेंचे जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं :—

	अंशकों की संख्या	अंकित मूल्य तथा दर	विक्रय मूल्य (प्रति अंशक)	कुल विक्रय मूल्य
	रु०	रु०	रु०	रु० पै०
(१)	१,०००	१,००,०००	१००	१,००,०००.००
	प्रिफरेंस अंशक	(रु० १०० प्रति अंशक)	..	
(२)	३,५९५	३५,९५०	३.५०	१२,५८२.५०
	साधारण अंशक (रु० १० प्रति अंशक)		..	..
		योग	..	१,१२,५८२.५०

ए० जी० एम०, चारबाग, लखनऊ द्वारा ड्राइवरों व कण्डक्टरों की सेवा समाप्ति

*२०—श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए० जी० एम०, चारबाग व ए० जी० एम०, सिटी लखनऊ क्षेत्र में १५ सितम्बर, १९६९ से १५ दिसम्बर, १९६९ तक किन ड्राइवरों व कंडक्टरों की सेवायें समाप्त की गईं और उनमें से कितनों को पुन: वापस लिया गया तथा किसके आदेश से ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ए० जी० एम०, सिटी बस, लखनऊ ने १५ सितम्बर, १९६९ से १५ दिसम्बर, १९६९ तक किसी ड्राइवर या कन्डक्टर की सेवायें समाप्त नहीं कीं।

ए० जी० एम०, चारबाग द्वारा निम्नलिखित की सेवायें उक्त अवधि में समाप्त की गईं जिसमें से सर्वश्री मोहम्मद इस्माइल और जे० के० अस्थाना परिचालकों की उप परिवहन आयुक्त (रोडवेज संचालन) के आदेश से सेवा में वापिस ले लिया गया।

१—श्री जी० एफ मैसी	.. .. ..	ड्राइवर
२—श्री रामसेवक वर्मा	.. .. ..	ड्राइवर
२—श्री अब्दुल सलाम	.. .. ..	ड्राइवर
४—श्री जे० के० अस्थाना	.. .. ..	कन्डक्टर
५—श्री मुहम्मद इस्माइल	.. .. ..	कन्डक्टर
६—श्री योगेन्द्र सिंह	.. .. ..	कन्डक्टर

पर्यटन व्यवसाय

*२१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या उद्योग एवं परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय के विकास की दृष्टि से कोई सर्वेक्षण हाल में किया गया है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

*२२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

यदि हां, तो कब तथा इस व्यवसाय के विकास की सम्भावनायें कहां-कहां पाई गई हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

प्रश्न नहीं उठता।

पावर क्रशरों के लाइसेन्स

*२३—श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वर्ष १९६७–६८ व १९६८–६९ में ३० अक्तूबर, १९६९ तक पावर क्रशर के कितने नवीन लाइसेन्स कहां-कहां क्रशर लगाने के लिये स्वीकृत किये गये ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६७–६८ में १२३ तथा वर्ष १९६८–६९ में ३० अक्तूबर, १९६९ तक २९० पावर क्रशरों के नये लाइसेंस दिये गये। स्थानों का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

*२४—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त वर्षों में कितने पावर क्रशरों को आकार बढ़ाने या हाइडिलिक करने की अनुमति दी गई ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९६७–६८ में ३१ तथा वर्ष १९६८–६९ में ३४ क्रशरों को आकार परिवर्तन की अनुमति दी गई और वर्ष १९६७–६८ में ३ तथा वर्ष १९६८–६९ में ७ क्रशरों को नान-हाइड्रीलिक से हाइड्रोलिक करने की अनुमति दी गई।

आल्मोड़ा व हल्द्वानी दुग्धशालायें

*२५—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुमायूं एवं उत्तराखंड में ऐसी कितनी सहकारी फैक्टरियां हैं जिन्हें शासन द्वारा अनुदान स्वरूप रा-मेटीरियल अथवा केस के रूप में सहायता दी जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

उद्योग विभाग के अन्तर्गत कुमायूं एवं उत्तराखंड में ऐसी कोई सहकारी फैक्ट्री नहीं है जिसे शासन द्वारा अनुदान स्वरूप रा-मेटीरियल अथवा केश के रूप में सहायता दी गई हो।

[श्री बेनी सिंह]

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कुमायूं एवं उत्तराखंड में एक-एक सहकारी दुग्धशाला स्थापित हैं जिनका नाम :

१—अल्मोड़ा कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन, लि०, अल्मोड़ा, तथा

२—लालकुआं कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन, लि०, हल्द्वानी है। इन दुग्धशालाओं की स्थापना हेतु वर्ष १९५९–६० से लेकर वर्ष १९६७–६९ तक :—

१४,७१,४८४.८८ रु० ऋण।

६,३२,८५१.१० रु० अनुदान।

तथा १,०५,०००.०० रु० अंश पूंजी के रूप में लगाये जा चुके हैं।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में —

४,१६,९०० रु० अनुदान।

१,२५,१०० रु० अंश पूंजी तथा

१०,३५,००० रु० ऋण के रूप में लगाने का प्राविधान है।

बदायूं जिले में ट्रक दुर्घटनाएं

*२६—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की सड़कों पर ट्रक द्वारा वर्ष १९६७–६८ तथा ३१ जुलाई, १९६९ तक कितनी और किस मार्ग पर दुर्घटनायें हुईं ? उसमें कितने व्यक्ति मरे तथा कितने घायल हुये और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ? मरने तथा घायल होने वालों को सरकार ने क्या-क्या सहायता दी थी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

सभी आवश्यक सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०६४ पर)

रेशम उद्योग फार्म, पनियाली, जिला नैनीताल

*२७—श्री इन्द्रलाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा व नैनीताल में रेशम उद्योग विभाग के ऐसे कितने और कहां-कहां वे फार्म स्थित हैं जिन पर अभी भी रेशम उद्योग विभाग पूर्णतया काबिज नहीं हो सका और इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

श्री बेनी सिंह—

पनियाली, जिला नैनीताल में स्थित फार्म के अतिरिक्त नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में रेशम योजना के अन्तर्गत जो फार्म स्थापित किये गये हैं उन पर विभागीय कब्जा कर लिया गया है। पनियाली, जिला नैनीताल स्थित फार्म पर पूर्ण कब्जा नहीं हो सका। कारणों की जांच की जा रही हैं।

गवर्नमेन्ट प्रीसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, लखनऊ में घाटा

*२८—श्री जगदीश गांधी—

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि गवर्नमेंट प्रोसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ वित्तीय वर्ष १९६७–६८ के आरम्भ से बराबर घाटे पर चल रही है ? क्या यह सही है कि १ अप्रैल, १९६७ के पूर्व कई वर्षों तक यह फैक्टरी काफी मुनाफा कमाती रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री बेनी सिंह--

फैक्टरी को १९६६-६७ में ५.१५ लाख का और १९६७-६८ में ०.३६ लाख का घाटा हुआ था। यह सही है कि १९६६-६७ से पूर्व फैक्टरी ने काफी मुनाफा कमाया था। वाटर-मीटर जो इस फैक्टरी का मुख्य उत्पादन है उसका उत्पादन मूल्य प्लास्टिक के कुछ पुर्जे प्रयोग करके काफी कम कर दिया गया है जिसके कारण अब फैक्टरी को पहले के मुकाबले में प्रत्येक वाटर मीटिर में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। फैक्टरी के इंजीनियर इस दिशा में सुधार लाने में प्रयत्नशील हैं। जिसके फलस्वरूप १९६८-६९ में ०.३० लाख का मुनाफा हुआ है।

लेबर यूनियन बहेड़ी, शुगर मिल में बोनस भुगतान

*२९--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि लेबर यूनियन, बहेड़ी शुगर मिल फैक्टरी को मान्यता देने का प्रश्न पिछले दो वर्षों से रजिस्ट्रार के पास पड़ा है? यदि हां, तो आज तक उनको मान्यता क्यों नहीं दी गई?

श्री चरण सिंह--

सदस्यता सत्यापन के आधार पर लेबर यूनियन, बहेड़ी बहुमत प्राप्त प्रमाणित ट्रेड यूनियन सिद्ध हो चुकी है और मेसर्स केसर शुगर वर्क्स लिमिटेड, बहेड़ी के प्रबन्धकों को यह परामर्श दिया जा चुका है कि अनुशासन संहिता के अन्तर्गत उक्त यूनियन को मान्यता प्रदान कर दें।

*३०--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)--

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त फैक्टरी के मजदूरों को पिछले वर्ष से बोनस नहीं बांटा गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री चरण सिंह--

वर्ष १९६७-६८ के कुल धन ८४,८२७.०० रु० में से ८४,५११.३० रु० का भुगतान हो चुका है। केवल रु० ३१५.७० पैसे का सम्बन्धित श्रमिकों के उपस्थित न होने के कारण भुगतान नहीं किया सका है।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की जमानत का रुपया

*३१--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर क्षेत्र के बहुत से रोडवेज कर्मचारियों की जमानत का (सिक्योरिटी) रुपया जो डाकखाने में जमा था गत दो वर्षों के आसपास कुछ लोगों द्वारा जाल करके डाकखाने से निकाल लिया गया? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी हां।

इस सम्बन्ध में तत्कालीन प्रतिभूति इंचार्ज श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, कार्यालय सहायक प्रथम, जिनके पास प्रतिभूति की पास बुकें आदि रहती थीं को निलम्बित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस में एक रिपोर्ट प्रधान प्रबन्धक द्वारा कर दी गई थी एवं इस मामले की जांच पुलिस के विशेष अनुसंधान दल द्वारा की जा रही है। पुलिस ने दिनांक ११ जनवरी, १९७० को श्री चतुर्वेदी द्वारा ११ कर्मचारियों की प्रतिभूति के गबन होने की जांच पूरी करके दफा ४६८/४२०/४७१/४१९ आई० पी० सी० में चार्ज शीट दे दी है।

इनके अतिरिक्त अन्य मामलों में अभी पुलिस द्वारा जांच जारी है।

कसया-सेवरही सड़क पर रोडवेज बसें न चलना

*३२—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुरपट्टी होते हुये कसया सेवरही पक्की सड़क पर रोडवेज की बस चलाने में क्या कठिनाई है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह अराष्ट्रीय कृत मार्ग है। अतः इस पर रोडवेज की बसें नहीं चलाई जा रही हैं।

*३३—श्री रामदेव—

[६ठे मंगलवार के प्र० सं० ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३४—श्री रामदेव—

[६ठे मंगलवार के प्रश्न सं० ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रोडवेज कर्मचारियों के सेवा नियम

*३५—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर परिवहन सेवा कब से प्रारम्भ करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

*३६—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या परिहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारियों के कोई सेवा नियम हैं ? यदि नहीं, तो शासन इन नियमों को कब तक बनाने का विचार कर रही है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

रोडवेज कर्मचारियों के सेवा नियम अभी नहीं बने हैं। अधिकांश कर्मचारियों के संबंध में सेवा नियमों के आलेख्य परिवहन आयुक्त से प्राप्त हो गये हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

कारों व स्कूटरों के परमिट

*३७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि एक मार्च, १९६९ से २५ जनवरी, १९७० तक राज्य सरकार के कोटे से कितने परिमिट कारों व स्कूटरों के दिये गये ? इनमें से अलग-अलग कितने विधायकों तथा अन्य लोगों को मिले ?

श्री रामजीलाल सहायक—

दिनांक एक मार्च, ६९ से २५ जनवरी, ७० तक राज्य सरकार के कोटे से १७१ परमिट कारों के तथा ६६२ परमिट स्कूटरों के दिए गए। इनमें से कारों के ३० परमिट विधायकों को मिले तथा १४१ परमिट अन्य लोगों को मिले। स्कूटरों के १५९ परमिट विधायकों को तथा ५०३ परमिट अन्य लोगों को मिले।

*३८—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मंत्री उपरोक्त की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक--

सूची इतनी लम्बी है कि उसके टंकन आदि में काफी श्रम व समय लगेगा, जो उसकी उपयोगिता के अनकूल न होगा। अतः जो माननीय सदस्य उपर्युक्त सूची देखना चाहते हों वे परिवहन आयुक्त के कार्यालय में उसे देखने का कष्ट करें।

गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों की भविष्य निधि

*३९--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करगे कि गोरखपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों के भविष्य निधि का (ई० पी० एफ०) का हिसाब वर्षों से नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक--

कर्मचारियों के भविष्य निधि का हिसाब क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां रखा जाता है। वर्ष १९६७-६८ तक की जो लेखा पर्ची उनके यहां से प्राप्त हुई वे कर्मचारियों को वितरित कर दी गई हैं। वर्ष १९६८-६९ की लेखा पर्ची उनसे अभी अपेक्षित है।

बरेली रोडवेज वर्कशाप

*४०--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि बरेली रोडवेज का नया वर्कशाप जो कि अभी बना था एक आंधी आने से गिर गया ? यदि हां, तो सरकार का कितना नुकसान हुआ, और इमारत के बनाने में दोषी कौन पाया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक--

बरेली रोडवेज का नया वर्कशाप अभी बना ही नहीं है। बल्कि इसके लिए ली गई भूमि के चारों ओर जो चहारदीवारी १९६५ में बनाई गई थी उसका कुछ भाग तीव्र आंधी के कारण दिनांक ११ मई, १९६९ को गिर गया। इससे सरकार को २०,४०० रु० का नुकसान हुआ। चहारदीवारी में प्रयुक्त मसालों के नमूने ले लिए गये हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय को भेज दिये गये। अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही की यदि आवश्यकता हुई, तो जांच की रिपोर्ट के बाद की जायेगी।

शाहजहांपुर, बरेली तथा बदायूं में शराब के ठेकेदारों पर बिक्री-कर बकाया

*४१--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर, बरेली तथा बदायूं के शराब के ठेकेदारों पर लगभग १ लाख रुपया ३१ जनवरी, १९७० तक बिक्री-कर का बकाया है ? यदि हां, तो इसकी वसूली क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री बलवीर सिंह--

शाजहांपुर, बरेली तथा बदायूं के शराब के ठेकेदारों पर ३१ जनवरी, १९७० को कुल ५,६४,५९२ रुपया बिक्री-कर का बकाया था। इसकी वसूली के लिये समुचित कार्यवाही की जा रही है।

*४२-४३--श्री जगदीश गांधी--

[६ ठे मंगलवार के प्र० सं० ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४४-४५--श्री गंगा प्रसाद--

[६ठे मंगलवार के प्र० सं० ५३-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् अधिकारियों के तबादले

*४६—श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

क्या नियोजन एवं पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के अधिकारियों के ट्रान्सफरेबिल केडर बनने के पश्चात् ऐसे कितने अधिकारियों को स्थानान्तरण किया गया और उसका आधार क्या रक्खा गया ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

तीन अधिकारियों के तबादले हुये हैं। इनमें से एक का उनकी प्रार्थना पर तथा अन्य दो का प्रशासकीय दृष्टि से किया गया।

*४७—श्री गेंदा सिंह—

[प्रश्नकर्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

आजमगढ़—चिरइया कोट बस सर्विस की मांग

*४८—श्री भाभी (जिला आजमगढ़) तथा श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ से चिरइया कोट तक सिटी बस चलाने की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में हड़ताल तथा डाला फैक्ट्री उत्पादन

*४९—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री चुर्क, मिर्जापुर, में दिनांक ११ दिसम्बर, १९६९ से २७ दिसम्बर, १९६९ तक हुई हड़ताल से कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई है ?

श्री बेनी सिंह—

११ दिसम्बर, १९६९ से २७ दिसम्बर, १९६९ तक हुई हड़ताल में अनुमानतः कुल २१,१८८ टन क्लींकर उत्पादन की क्षति हुई जिसका मूल्य लगभग रु० १२,५०,०९२ आंका गया है।

*५०—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि ब्रांच राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी डाला, मिर्जापुर, में सीमेंट उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री बेनी सिंह—

डाला फैक्टरी में क्रशिंग (पत्थर तोड़ने) का कार्य आरम्भ हो गया है और रा-मिल्स को भी खाली चला कर जांच कर ली गयी है। आशा है कि सीमेंट उत्पादन का कार्य इस महीने में चालू हो जायगा।

महेवा स्टेट, जिला खीरी का टाइटिल सूट

*५१—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि महेवा स्टेट, जिला खीरी का टाइटिल सूट दिवानी अदालत, लखीमपुर खीरी में सन् १९५१ में दायर हुआ था ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामीप्रसाद सिंह)--

महेवा स्टेट, जिला खीरी, का टाइटिल सूट न्यायालय, सिविल जज, खीरी में १६ सितम्बर, १९५२ को दायर हुआ था ।

*५२--श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अदालत दीवानी में जिसमें कि यह मुकदमा दायर किया गया था एक साल से अधिक समय से कोई सिविल जज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई व्यवस्था सिविल जज शीघ्र भेजने के बारे में करेगी ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह--

यह सही नहीं है कि न्यायालय, सिविल जज, खीरी में एक साल से अधिक से पीठासीन अधिकारी नहीं है । वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त न्यायालय में १४ अक्तूबर, १९६९ से कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है । अब एक स्थानीय मुंसिफ को पदोन्नत किया जा रहा है । वह ११ मई, १९७० से सिविल जज, खीरी के पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

*५३--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन (गोरखपुर)--

[५ वें बुधवार के प्र० सं० ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

दौलतपुर, परगना भोगनीपुर में बालू का ठेका

*५४--श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मौजा दौलतपुर, तहसील भोगनीपुर, जिला कानपुर में बालू का ठेका जो ४ लाख रुपये में दो साल के करीब हुआ था श्री किशन लाल व सरदार मेघा सिंह को दिया गया है उस ठेके की किस्तें कब-कब ड्यू हुई और धन ड्यू समय पर जमा हुआ है या नहीं और बकाये की रकम कितनी है ?

श्री बेनी सिंह--

ग्राम दौलतपुर कछार, परगना भोगनीपुर जिला कानपुर की बालू के नीलाम का ठेका सर्वश्री किशनलाल महंगासिंह को दिनांक १५ अक्टूबर, १९६९ को ४,०५,००० रु० में दिया गया था । इस ठेके की कुल रकम १२ तिमाही किश्तों में वसूल होना है । ठेके की पहली अग्रिम किश्त १५ अक्तूबर, १९६९ को डयु हुई जो जमा हो चुकी है । ठेके की दूसरी अग्रिम किश्त १५ जनवरी, १९७० को ड्यू हुई जो अभी तक जमा नहीं हुई है । इस किश्त पर ठेकेदार के जिम्मे ३३,७५० रु० बकाया है, जिसके वसूल करने के लिये विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

*५५--श्री रामचन्द्र विकल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

चीनी मिलों में रिसीवरों की नियुक्ति

*५६--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों में उन्होंने रिसीवर नियुक्त किये हैं ?

श्री चरण सिंह--

रिसीबरों द्वारा चलाई जाने वाली चीनी मिलों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०६५ पर)

रिक्शा यूनियन मथुरा वृन्दाबन द्वारा हड़ताल

*५७—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) तथा श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगर में टेम्पो चलाने के लिये परमिट देने से नगर के लगभग दो हजार रिक्शा, इक्का व तांगा चालकों तथा उनके आश्रितों की आजीविका खतरे में पड़ गई है, जिसके विरोध में उन्होंने ८ दिसम्बर, १९६९ को नगर में पूर्ण हड़ताल की और जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन देकर मांग की कि २० मील से कम की दूरी के मार्गों पर टेम्पो चलाने के परमिट न दिये जायें? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजीलाल सहायक—

८ दिसम्बर, १९६९ को रिक्शा यूनियन मथुरा वृन्दावन द्वारा हड़ताल की गई और जिलाधिकारी मथुरा को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि टेम्पों के अस्थायी परमिटों को रद्द कर दिया जाय और भविष्य में कोई नया परमिट न दिया जाय। ज्ञापन में टेम्पों के संचालन क्षेत्र की चर्चा नहीं की गई है। टेम्पों गाड़ियों की परमिट मोटर बेहिकिल्स ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा ही दिये जाते हैं। संभागीय परिवहन प्राधिकारी अर्ध-न्यायी संस्था है। उसे परमिट देने या न देने अथवा परमिट रद्द करने के संबंध में सरकार द्वारा निदेश नहीं दिये जा सकते।

जिला परिषद् बरेली के आडिट में अधिक भुगतान

*५८—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बरेली का ए० जी० पार्टी (एकाउन्टेन्ट जनरल यू० पी०, इलाहाबाद) ने दिनांक ३ जनवरी से ७ जनवरी, १९६९ तक आडिट किया था ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

*५९—श्री शफीक अहमद खां—

क्या इसी आडिट पार्टी ने रिठौरा भढ़सर रोड के निर्माण व्यय सम्बन्धी भुगतान में रुपया ५१,२२६.३२ ज्यादा भुगतान (ऐक्सेस पेमेन्ट) पर आपत्ति प्रकट की है? ज्यादा भुगतान के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं और क्या सरकार उनसे उपरोक्त रकम वसूल करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां।

जिला परिषद् द्वारा अधिक भुगतान के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है। उसके पूरा होने के पश्चात् ही उक्त धनराशि को वसूल किये जाने की कार्यवाही करना सम्भव होगा।

*६०-६१—श्री लालसा—

[६ठे मंगलवार के प्र० सं० ५५-५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६२—श्री गंगा सिंह—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

*६३—श्री गंगासिंह—

[६ठें मंगलवार के प्र० सं० ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६४–६५—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[६ठें मंगलवार के प्र० सं० ५८–५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बड़ागांव केन यूनियन के खिलाफ शिकायत

*६६—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)–

क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ागांव केन यूनियन, जिला बाराबंकी के अधिकांश काश्तकारों का गन्ना अभी खेत में ही लगा हुआ है और पर्चियां न मिलने के कारण वह बुढ़वल शुगर मिल को नहीं भेजा जा सका जब कि इसी केन यूनियन के माध्यम से बड़ागांव केन यूनियन के क्षेत्र के बाहर का गन्ना ला ला कर बुढ़वल मिल को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही शीध्र करेगी ?

श्री चरण सिंह—

बड़ागांव केन यूनियन ने पेराई सीजन १९६९–७० में बुढ़वल चीनी मिल को आफर किये गये कुल ४.५० लाख क्विन्टल गन्ने में से ३१–५–१९७० तक २.२१ लाख क्विन्टल की पूर्ति की है। इस यूनियन ने गन्ना पूर्ति के हेतु पर्चियां केवल अपने सदस्यों को ही दी हैं। केन यूनियन के क्षेत्र के बाहर का गन्ना उक्त यूनियन के माध्यम से लाकर चीनी मिल को पूर्ति करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*६७—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

[६ठें मंगलवार के प्र० सं० ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहजनवा विकास खण्ड में विवहा नाले पर पुल न बन सकना

*६८—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर सहजनवा विकास खंड के समीप वाली ग्राम के पास विवहा नाला के पुल का शिलान्यास जो संविद सरकार के कार्य–काल में कृषि मंत्री द्वारा हुआ था, इसका निर्माण-कार्य कब से आरम्भ होगा और विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री महमूद अली खां—

गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत सहजनवा विकास खण्ड के समीप वाले ग्राम के पास विवहा नाले पर पुल का निर्माण-कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ है।

*६९—श्री शेरसिंह दानू—

[५ वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

प्रधान, गांव सभा, हैदरगढ़ के खिलाफ गबन की जांच

*७०—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के ब्लाक हैदरगढ़ की ग्राम सभा हैदरगढ़ का प्रधान पद कब रिक्त हुआ और चार्ज दिलाने के लिये जिलाधीश, एस० पी० ने कब-कब आदेश दिये और इन आदेशों के बावजूद भी उप-प्रधान को चार्ज न दिलाने का क्या कारण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

बाराबंकी जिले के ब्लाक हैदरगढ़ की गांव सभा हैदरगढ़ का प्रधान पद दिनांक ८–७–१९६२ को रिक्त हुआ था। गांव सभा का चार्ज दिलाने के लिये जिलाधीश बाराबंकी न दिनांक २३–६–१९६६, ३–११–१९६६, २१–१–१९६७, ४–१–१९६८, तथा

१७-९-१९६८ को तथा एस० पी० ने दिनांक २१-१-१९६७ को आदेश दिये थे परन्तु आदेश तामील नहीं किये जा सके, क्योंकि भरसक प्रयत्न करने पर भी प्रधान श्री हरिहर प्रसाद मिलते ही नहीं रहे थे।

*७१—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या यह बात सही है कि इस गांव के ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं उप प्रधान ने जिलाधीश तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को अनेक बार इस आशय के प्रार्थना-पत्र दिये कि लगभग ४० हजार रुपये का गबन है जिस वजह से भूतपूर्व प्रधान ने चार्ज नहीं दिया ? यदि हां, तो भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध अब तक पुलिस केस न कायम कराने का क्या कारण है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जी हां। प्रार्थना-पत्र उप प्रधान ने भेजे थे। प्रधान के विरुद्ध चार्ज न देने तथा धन के दुरुपयोग व गबन के सम्बन्ध में दिनांक २७-११-१९६९ को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भूतपूर्व प्रधान इस समय जमानत पर हैं।

सीतापुर जिला परिषद् के लिए जगदम्बा एजूकेशनल स्टोर्स, वाराणसी से टाट पट्टियों की खरीद

*७२—श्री रामलाल राही—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् सीतापुर ने १,८६,००० रु० की टाट-पट्टियों की खरीद के लिये जगदम्बा एजूकेशनल स्टोर्स, सी० के० ३३/१९ नीलकंठ, वाराणसी की फर्म को ठेका दिया है और इस ठेका की लिखा-पढ़ी १०० रु०, १० रु०, कुल ११२ रुपये के सरकारी स्टैम्प जो दिनांक २५ फरवरी, १९७० को जिला परिषद् सीतापुर के कर्मचारी श्री छोटेलाल शर्मा द्वारा खरीदे गये हैं, पर की गई ?

श्री महमूद अली खां—

फरवरी, १९७० में जिला परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष ने जगदम्बा एजूकेशनल स्टोर्स वाराणसी को एक लाख रुपये की पट्टियों को सप्लाई करने के आदेश दिये। इस सम्बन्ध में फर्म की ओर से एक इकरारनामा ११२ रु० ५० पैसे के जनरल स्टैम्प पर भरा गया। स्टैम्प के कागज किस के द्वारा खरीदे गये इस बात की जांच कराई जा रही है।

*७३—श्री रामलाल राही—

यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त स्टैम्प पर उक्त सम्बन्धित फर्म के किसी महिला पार्टनर ने हस्ताक्षर किये हैं जब कि टेन्डर देते समय किसी अन्य के हस्ताक्षर थे ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि सम्बन्धित परिषद् के कार्याधिकारी और मुख्य कार्याधिकारी ने यह कह कर कि फर्म के उपरोक्त पार्टनर हमारे सम्मुख उपस्थित ही नहीं हुये हैं, अतः यह खरीदारी अवैधानिक हैं, अपने दस्तखत करने से इन्कार कर दिया ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। ५,००० रु० का १२ वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा पत्र (एन० एस० सी०) के प्लेज (Pledge) न किये जाने तथा प्लेज फार्म पर श्रीमती माया रानी सेठ के हस्ताक्षर न किए जाने के कारण उनके नाम से भरे गए इकरारनामों को कार्य अधिकारी तथा मुख्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

पूर्वी जिलों में उद्योगों की स्थापना

*७४---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर तथा फैजाबाद जिलों में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कोई बड़ा उद्योग नहीं खोला गया है ?

श्री बेनी सिंह---

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जौनपुर के शाहगंज स्थान में एक ग्लास फैक्टरी लगी थी। अन्य जिलों में कोई बड़ी फैक्टरी नहीं लगी।

*७५---श्रीमती राजेन्द्र किशोरी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौथी योजना में उपरोक्त जिलों में से कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री बेनी सिंह---

चौथी पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले में मऊनाथ भंजन स्थान में एक सूती मिल स्थापित हुई है। बलिया जिले के रसरा स्थान पर एक सहकारी चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव है और इसके लिये भारत सरकार ने लेटर आफ इन्टेन्ट (Letter of Intent) दे दिया है।

मेरठ रोडवेज क्षेत्र में कर्मचारियों को भत्ता न मिलना

*७६---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज विभाग, मेरठ रीजन के कितने कर्मचारियों ने सन् १९६६ के टी० ए० बिल्स का दिनांक १५ मार्च, १९७० तक न तो भुगतान किया है न उन्हें ए० जी०, इलाहाबाद को भेजा गया है ? सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने यह टी० ए० बिल्स रोक रखे हैं क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

केवल ३ कर्मचारियों के।

बिल रोके नहीं गये हैं। विलम्ब अन्य कारणों से हुआ है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। भुगतान के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री गंगा सिंह---

[२८ अप्रैल, १९७० को प्र० सं० ३ के अन्तर्गत उत्तरित]

मुरादाबाद जिले में करघा उद्योग सहकारी समितियां

२---श्री रियासत हुसैन---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कौन-कौन करघा उद्योग सहकारी समिति कार्य कर रही है और उनको वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में कितना-कितना रिबेट मिला ?

श्री बेनी सिंह---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड०' आगे पृष्ठ १०६६-१०६८ पर)

श्री रियासत हुसैन--

३--क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितना-कितना रिजर्व फण्ड वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में करघा उद्योग सहकारी समितियों को वापस किया गया और किन-किन समितियों ने अपने सदस्यों के बीच रिजर्व फण्ड और मुनाफा वितरण कर दिया ?

श्री बेनी सिंह--

रिजर्व फण्ड करघा उद्योग सहकारी समितियों के पास रहता है। सहकारी समितियों में यह फण्ड उनके सदस्यों को वापस नहीं किया जाता है। अतः इसे करघा उद्योग सहकारी समितियों को वापस करने और समितियों द्वारा अपने सदस्यों को वितरण करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद जिले की किसी भी करघा उद्योग सहकारी समिति ने, वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में अपने सदस्यों के बीच मुनाफा वितरण का कोई प्रस्ताव उप निबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, कानपुर की स्वीकृति हेतु नहीं भेजा।

गोरखपुर क्षेत्र में बसें

४--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में देवरिया, गोरखपुर और बर्डघाट डिपो में अलग-अलग १९६३-६४ में कितनी बसों की फ्लीट थी और कितनी बसें सड़क पर प्रति दिन चलती थीं और १९७० में कितनी बसें प्रतिदिन सड़क पर चलती हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक--

गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया, गोरखपुर और बर्डघाट डिपो में १९६३-६४ और सन् १९७० में फ्लीट और प्रतिदिन सड़क पर चलने वाली बसों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :--

१९६३-६४			१९७० (फरवरी, १९७०)	
डिपो का नाम	फ्लीट	प्रतिदिन सड़क पर चलने वाली बसों की संख्या	फ्लीट	प्रति दिन सड़क पर चलने वाली बसों की संख्या
देवरिया ..	५९	४१	५३	४०
गोरखपुर ..	५२	३६	६३	५२
बर्डघाट ..	२९	२३	४१	३१

लखनऊ-उन्नाव-कानपुर मार्ग पर स्टेज कैरेज सर्विसेज की परमिट

५- मोहम्मद अमरार अहमद--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९५० के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या ७६३-टी ३०-७०८-टी-९-१९५०, दिनांक १२ फरवरी, १९५१ के अन्तर्गत बने नियम के तीसरी शेड्यूल्ड में यह प्राविधान था कि लखनऊ-उन्नाव-कानपुर पूरे मार्ग पर ८ स्टेज कैरेज सर्विसेज चलाने की अनुमति दूसरों को दी जायगी और १८ सर्विसेज विभाग स्वयं संचालित करेगी ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र, दिनांक ३० अक्तूबर, १९६९ तक दूसरों के प्राप्त हुये और कितने मंजूर किये गये ?

श्री रामजीलाल सहायक---

इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत कोई नियम नहीं बने हैं, अतः उनके अधीन किसी तीसरे शेड्यूल के होने का प्रश्न नहीं उठता। यह विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट, १९५० की धारा १३ के प्राविधानों के अनुसार छापी गई थी जिसमें लखनऊ क्षेत्र के लखनऊ-उन्नाव-कानपुर पूरे मार्ग पर ४ स्टेज कैरेज सर्विसेज दूसरों के चलाने तथा १८ सर्विसेज विभाग द्वारा स्वयं संचालित करने का उल्लेख था।

दिनांक ३०-१०-१९६९ तक इस मार्ग के लिए अनुज्ञापन पाने के लिए १४८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। उनमें से दिनांक ९-८-१९६९ को १२९ नामंजूर हो गए। बाकी १९ पर निर्णय लेना शेष है।

रोडवेज वर्कशाप्स में मोटर पार्ट्स तथा पुरानी बसें

६---श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की वर्कशापों में कितनी धनराशि के मोटर के पार्ट्स बेकार पड़े हुये हैं?

श्री रामजीलाल सहायक--

विभाग की वर्कशापों में कुल ४१,३४,८१७.४८ रुपये के पार्ट्स दिसम्बर, १९६९ में बेकार पड़े थे।

७---श्री गोविन्द सिंह--

१९६९-७० में कितनी पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटाई गयीं और हटाये जाने के बाद उनका क्या किया गया?

श्री रामजीलाल सहायक--

१९६९-७० में फरवरी, १९७० तक ५१६ गाड़ियां सड़कों से हटाई गईं उनमें से ४५३ गाड़ियों की नीलाम कर दिया गया है। शेष गाड़ियों का नीलाम निकट भविष्य में किया जायेगा।

कानपुर क्षेत्र में रोडवेज ड्राइवरों को "नो-एक्सीडेंट बोनस रिवार्ड"

८---श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के उन ड्राइवरों को जिनसे कोई दुर्घटना नहीं होती है, उन्हें "नो-एक्सीडेन्ट रिवार्ड" दिया जाता है, वह १ जनवरी, १९६६ से १ जनवरी, १९७० तक कानपुर तथा आगरा रीजन के कितने ड्राइवरों को यह पारितोषिक दिया गया?

श्री रामजीलाल सहायक---

राजकीय रोडवेज के उन ड्राइवरों को जिनसे कोई दुर्घटना नहीं होती है उन्हें "नो-एक्सीडेन्ट बोनस रिवार्ड" दिया जाता है।

कानपुर रीजन में १-१-१९६६ से ३१-१२-१९६८ तक ४४ ड्राइवर उक्त रिवार्ड के अधिकारी थे जिन्हें यह पारितोषिक अब दिया जा रहा है। वर्ष १९६९ के लिये संबंधित डिपो इंचार्जों से अभी संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई हैं जिन्हें शीघ्र भेजने के लिये प्रधान प्रबन्धक कानपुर द्वारा लिख दिया गया है।

आगरा रीजन में ड्राइवरों को उपरोक्त अवधि का पारितोषिक अभी नहीं दिया गया है।

९—श्री सूबेदार सिंह —

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि फर्रुखाबाद तथा बेवर डिपो के कितने ड्राइवर इस रिवार्ड के उसी अवधि के अधिकारी हैं और उन्हें यह रिवार्ड नहीं मिला ?

श्री रामजीलाल सहायक—

उपरोक्त अवधि (१-१-१९६६ से ३१-१२-१९६८) में फर्रुखाबाद तथा बेवर डिपो के "१" ड्राइवर १९६६ तथा १ ड्राइवर १९६७ में इस रिवार्ड के अधिकारी थे जिन्हें इस रिवार्ड का भुगतान अब किया जा रहा है। १९६८ में कोई ड्राइवर इस रिवार्ड का अधिकारी नहीं हुआ। वर्ष १९६९ के लिये संबंधित डिपो इंचार्जों से अभी संस्तुतियां प्राप्त नहीं हुई हैं जिन्हें भेजने के लिये प्रधान प्रबन्धक, कानपुर द्वारा लिख दिया गया है।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गयी है, इसलिये पता ही नहीं पड़ता कि किस मन्त्री का क्या नाम है। अगर आप एक बार परिचय दिलवा दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

आपने जैसा कहा उसके अनुसार मैं लिस्ट बनवा रहा हूं कि किस मंत्री के पास क्या विभाग है। लिस्ट बनने पर आप को बांट दी जायगी।

विभिन्न व्यक्तियों को कार्यवाही के उद्धरण तथा अभिलेखों के दिए जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदन को मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

माननीय कृषि एवं पंचायत राज मंत्री के अनुरोध पर दिनांक ७ अप्रैल, १९७० को मेरे आदेश से उन्हें दिनांक १३ मार्च, १९७० की विधान सभा की कार्यवाही से उनके भाषण का उद्धरण दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० से सम्बन्धित था। इसी प्रकार दिनांक ९ मार्च, १९७० के विधान सभा की कार्य सूची के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नोत्तर की कार्यवाही का उद्धरण भी मंत्री जी को दिया गया। उक्त अभिलेख सरकार के विरुद्ध की गयी रिट पिटीशन के सिलसिले में मांगे गये थे। चूंकि जिन दिनों अभिलेख दिये गये थे, विधान सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा था, अतः सदन की अनुज्ञा लेना सम्भव न था। इसलिये मैंने स्वयं इन अभिलेखों को देने की अनुमति दे दी थी।

दिनांक ८ अप्रैल, १९७० को विधान सभा के सदस्य श्री राजकिशोर, जौनपुर को न्यायालय में दाखिल करने के लिये, उनकी प्रार्थना पर शपथ पत्र तथा शपथ ग्रहण सम्बन्धी प्रविष्टि का उद्धरण मेरे आदेश से दिये गये। चूंकि सदन का उपवेशन उन दिनों नहीं हो रहा था अतः सदन की अनुज्ञा लेना सम्भव नहीं था।

विधान परिषद् के उत्सादन के संकल्प के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि २९ तारीख को इस सदन ने एक बड़ा क्रान्तिकारी संकल्प पास किया था विधान परिषद् के एबोलीशन के विषय में। इसके बाद आपके द्वारा पिछले दिन यह कहा गया था कि मैं मुख्य मन्त्री के द्वारा और अपनी तरफ से भी इसकी

सूचना केन्द्र को भेज दूंगा। किन्तु अखबारों में कुछ ऐसे समाचार छपे हैं जिनसे ऐसा मालूम होता है कि बिना किसी नियम के कुछ लोग सिगनेचर कैम्पेन कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी विधान सभा की मीटिंग के समय बतलाया गया था। किसी अखबार में ऐसा भी दिया हुआ है कि आपसे कुछ लोग मिले भी थे और उस दिन आपने बताया कि मैंने कोई एश्योरेंस नहीं दिया था। कृपया आप पूरी स्थिति को साफ कर दें तो ज्यादा उचित होगा ताकि लोगों का भ्रम खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है। २९ तारीख को इसी सदन में आपके सामने ही वह संकल्प पारित हुआ था। पारित हुए संकल्प को, जब मैं वहां एक मीटिंग में गया था, मैंने लोक सभा के अध्यक्ष के दफ्तर में भेज दिया। यहां पर मुख्य मंत्रीजी के पास भी भेज दिया और राज्य सभा के दफ्तर में भी दे दिया गया। मुख्य मंत्री जी के दफ्तर से भी मैं समझता हूं चला जायगा और मेरी तरफ से भी जाना है, केन्द्रीय सरकार को। क्योंकि बात यह है है कि जो प्रस्ताव यहां पारित होते हैं, उनका संबंध जिनसे होता है, वह आगे की कार्यवाही करने के लिये उनके पास भेज दिये जाते हैं। यह मेरा कर्त्तव्य है। मैं उस कार्य को कर रहा हूं।

जहां तक अखबारों में कोई चीज छपी है, यह बात सही है कि मैं जब जा रहा था कुछ लोगोंने कुछ सदस्यों से हस्ताक्षर करा कर पुनर्विचार के लिये मुझे दिये। वह इस बारे में थे कि उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाय, और निरस्त कर दिया जाय। संकल्प को रिसिंड (निरस्त) करने के बारे में मेरे पास दिया था लेकिन उन्होंने इतना कहा था कि चूंकि मैं उसी वक्त रेल में बैठने वाला था कि आप गुप्त रखिये और अपने ट्रंक में रख लीजिये और किसी को दिखाइये मत, दफ्तर में भी न बताइये, बाद में हम आप से बात करेंगे। तो चूंकि मैं जा रहा था, मैंने अपने ट्रंक में रख लिया उसको, यह बात सही है। इतनी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसके अलावा दो और व्यक्तियों ने भी मुझे गुप्त रखने के लिये तो नहीं कहा लेकिन एक प्रस्ताव भेज दिया था। वह भी मेरे पास मौजूद है। वह पहले भेजा गया था। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य इस तरह का प्रस्ताव कर सकते हैं कि सदन विचार करे और वह दस्तखत कराते हैं तो कोई अवैध बात नहीं कर रहे हैं। जब सदन में कोई चीज आ जाय उस समय आप आपत्ति कर सकते हैं कि प्रस्ताव आ सकता है या नहीं, लेकिन जबतक सदन में कोई चीज आये नहीं, केवल अखबार में कोई चीज छपी है कि कोई दस्तखत करा रहा है उसके ऊपर आप यहां आक्षेप नहीं कर सकते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

आपने जब वह एप्लीकेशन ले ली तो प्रोत्सान आपकी तरफ से मिल रहा है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---

प्रोत्साहन मिलता है तो आपका क्या बिगड़ता है? सवाल तो यह है कि जो कानूनी कार्यवाही होगी वह होगी। आप मेरे पास कोई कागज देंगे तो उसको अस्वीकार तो नहीं कर सकते। जो कानूनी कार्यवाही होगी वह करूंगा।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)---

क्या आपने फैसला कर लिया है कि उनके नाम गोपनीय रखेंगे? यदि नहीं, तो बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

अगर गुप्त रखना चाहते हैं तो वे आपके पास कभी आयेंगे नहीं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

इस प्रकार के जितने भी प्रस्ताव आयें उनको आप बराबर के लिये गोपनीय करार दे दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जब २९ तारीख को सदन ने एक संकल्प किया जाब्ते के साथ तो अखबारों में यह भी आया कि भारतीय क्रांति दल और दूसरे दलों के नाम भी आये। सदन में मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि उनका दल या दूसरा दल जिसके सहयोग पर यह सरकार चलती है उनको मत देने की छूट है तो क्या यह उचित बात है कि अब प्रेशर डाला जाय? मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और इस तरह का आन्दोलन नहीं चलना चाहिये। अगर भारतीय क्रांति दल है तो मैं नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का उसमें हाथ है? अगर है तो उस दिन क्यों कहा कि सब को स्वतंत्रता है? खिड़की से क्यों प्रेशर डाला जा रहा है?

एक सदस्य—

आज के 'नवजीवन' में एक समाचार यह भी प्रकाशित हुआ है कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय चौधरी साहब अपनी पार्टी की मीटिंग में पुनर्विचार के लिये यह विषय रखना चाहते हैं। तो वह कृपया इसका स्पष्टीकरण कर दें कि क्या यह सच है?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न मेरे पास भेज दीजिये। तारांकित पूछिये चाहे जैसा पूछिये।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरासर अन्याय होगा अगर मैं कहूं कि मुख्य मंत्री उसमें बाधक थे। क्योंकि यहां पर उन्होंने अपने किसी सदस्य को रोका नहीं। यहां तक कि धर्मपत्नी को भी नहीं रोका और उन्होंने जाकर मत दिया प्रस्ताव के पक्ष में। तो अगर मुख्यमंत्री न चाहते होते तो, दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास नहीं होता। तो इसमें भारतीय क्रान्ति दल या कांग्रेस के दोनों पक्षों का विरोध नहीं है। इसमें तो सारे पक्षों की आम सहमति है, दलगत सवाल नहीं है और यह एक आम सहमति से प्रस्ताव पास हुआ है। इसलिये उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह—

मैं आपके माध्यम से .....

(श्री महीलाल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जब आपने श्री नेगी जी को बुलाया तो श्री महीलाल जी लाउड स्पीकर पकड़ कर खड़े हो गये, यह कहां तक उचित है उनका कार्य?

श्री गोविन्द सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने सरकार की तरफ से वह प्रस्ताव जो इस सदन में पास हुआ है, केन्द्रीय सरकार को भेज दिया या नहीं? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री रियासत हुसैन—

मैं व्यवस्था चाहूंगा कि क्या यह उचित है कि इस सम्मानित सदन ने जब २९ तारीख को एक प्रस्ताव पास कर दिया तो इस सदन के कुछ जिम्मेदार लोग इस बात का प्रचार सदन के अन्दर और बाहर करें कि हाजिरी में कमी थी, दो तिहाई मैजारिटी पूरी नहीं हुई, यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ? मैं व्यवस्था चाहूंगा कि क्या यह उचित है आपके विचार में?

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि इस सदन को अपने प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार है और उसको खत्म करने का भी, निरसन करने का भी पुराने प्रस्ताव को अधिकार है और पूर्ण अधिकार है। और जब पूरे सदन को स्वातंत्रय है तो उसके जो घटक ये सदस्य बैठे हुए हैं उनको प्रयत्न करने का भी पूरा अधिकार स्वातंत्रय हो जाता है। तो इसमें कोई नयी बात नहीं है। दोष इस बात में है कि जो आप पास कर चुके हैं उसको कोई पलट न दे, इसमें जो आत्म-विश्वास की कमी के कारण ऐसी बातें कही जाती हैं। आप विश्वास रखिये, सब कोशिश करें, आप भी करें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो समाचार-पत्रों में छपा है, और आपने स्वीकार किया कि हस्ताक्षर आये हैं, तो उनमें मंत्रियों के कितने हस्ताक्षर हैं? मंत्री तो कमजोर नहीं होते, वह नहीं चाहेंगे कि उनके हस्ताक्षर दबा कर रखे जायं जिन्होंने दस्तखत वापस लिये हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दूंगा, खुद अपने को भी, कि अगर कोई यह आकर कहे कि कागज गुप्त रखिये और मैंने कहा कि अच्छा रखूंगा और फिर मैं यहां पुट अप कर दूं। साथ ही मैंने यह भी नहीं देखा कि कितने मंत्रियों ने वोट किस तरफ दिया। तो मैं समझता हूं आप उठा नहीं सकते।

श्री जगन्नाथ राव को हाई कोर्ट से स्टे आर्डर प्राप्त होने पर भी दूसरे सदस्य को शपथ दिलाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मेरा इस संबंध में नहीं है, दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है और आवश्यक है, इसे आप भी समझेंगे। अभी जो विधान परिषद् के चुनाव हो रहे थे तो एक माननीय सदस्य जगन्नाथ राव का चुनाव अवैध घोषित हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट से। जिस दिन हुआ उसी दिन उनको वहां से स्टे आर्डर मिल गया, आपके कार्यालय में पहुंचा दिया गया। एक तार वहां के ऐडवोकेट का यहां पर पहुंच गया।

इस बात के लिए रूलिंग्स भी हैं, अनेकों हैं कि अगर हाई कोर्ट के ऐडवोकेट का तार आ जाय तो उस पर विश्वास किया जायगा। फिर श्रीमन्, जो उनके बिहाफ पर एम० एल० ए० यहां पर आये, इलाहाबाद से, और उन्होंने अपना हलफिया बयान भी दिया। यह होते हुए भी जो दूसरे प्रत्याशी थे जिनको निर्वाचित घोषित किया गया था उनको यहां पर शपथ दिलाई गई। इतना ही नहीं कि उनको शपथ दिलाई गई बल्कि उन्होंने निर्वाचन के अन्दर अपना मत भी दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यद्यपि निर्वाचन के अन्दर बहुत से मतों का अन्तर हुआ लेकिन यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति यदि मत न करते और जगन्नाथ राव जी अपना मत करते तो कुछ मतों का अन्तर हो सकता था। मैं इतना जानना चाहता हूं कि श्रीमन्, यहां तार भी आया और उन्होंने अपना हल्फी बयान भी दिया। माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने श्रीमान् को यहां सूचित भी कर दिया उसके बाद क्या आवश्यकता रह गई थी कि उन माननीय सदस्य को शपथ दिलाई जाती जो कि नियम के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न ऐसा है कि आप मेरे दफ्तर में आ जायं तो मैं वहां आपको सब कागजात दिखा दूंगा।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो आपने सूचना दी कि हमने फलां को शपथ दिलाई तो उस समय सदन नहीं था। इसलिये सदन के सूचनार्थ आपने आज सूचना दी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह शपथ दिलाना आपका वैधानिक था ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने शपथ दिलाने की सूचना नहीं दी। मैंने यह सूचनादी कि वे कागजात अदालत में जाना थे तो उन कागजात को मैंने भेजने की इजाजत दी।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

आपने सदन को पहले सूचना क्यों नहीं दी ?

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरी बात है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, कार्य संचालन नियमावली के नियम १०५ और नियम १११ के अन्तर्गत मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई कागज यदि आपको दिया जाता है वह गोपनीय नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा है तो आप उसको न लें। और लेते हैं तो तत्काल उसका नोटिस आपको लेना चाहिये और तत्काल ही सदन में पेश करना चाहिये। नहीं तो यदि उसकी गोपनीयता नहीं रहेगी तो मैं यह समझता हूं कि सदन के कार्य संचालन में गड़बड़ पैदा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने जो कुछ किया वह उचित ही किया है।

†उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० (क्रमागत)††

*श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सन्मुख उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक को जनमत संग्रह के लिये परिचालित करने के लिये कल्पनाथ सिंह जी ने जो अपना संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये निवेदन करना चाहता हूं। आज पंचायतों की ऐसी हालत हो गई है कि ९० से ९५ फीसदी ग्राम पंचायतों की बैठक सालों नहीं होती है। बल्कि अगर यह कहा जाय कि ५, ५ और ७, ७ साल से आज तक पंचायतों की बैठक नहीं हुई है। जब पंचायतों के मंत्री या अधिकारी या विकास स्तर के कर्मचारी या ग्राम-सेवकों को आवश्यकता होती है तो वह फर्जी तरीके से कार्यवाही रजिस्टर में लिखकर मेम्बरों से दस्तखत करा लेते हैं। आज उन पंचायतों के पंचों को इस बात का खयाल भी नहीं रह गया है कि हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों के कार्य काल को बढ़ाना या उनके कार्य को चलाना किसी प्रकार से प्रजातन्त्र के हित में नहीं है।

मान्यवर, पंचायतों के जरिये से जो धन-टैक्स के रुप में इकट्ठा होता है। आप गांव में जाइये और देखिये कि क्या होता है। माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं। उन पंचायतों में बहुधा ऐसा होता है कि पंचायतों में जो टैक्स वसूल होता है वह फर्जी तरीके से वसूल होता है और फर्जी तरीके से खर्च दिखाया जाता है।

---

† ३० अप्रैल, १९७० की कार्यवाही में छपा है।
†† १ मई, १९७० की कार्यवाही से।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह टैक्स जो गांव पंचायतों ने रखा जिससे पंचायतों का विकास हो, जिससे पंचायतों को बढ़ावा मिले और जिससे पंचायतों में अच्छे काम हों, वह टैक्स फर्जी तरीके से वसूल कर लिया जाता है और उससे फायदा जो पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच रहा है।

मान्यवर, ऐसा ही नहीं है, जिस समय पंचायतें बनी थीं उस समय गांव के रहने वाले ग्रामीण भाई पंचायतों के महत्व को नहीं जानते थे। जो गांव के पढ़े लिखे लोग थे और जो गांव के पुराने जमींदार थे या जो गुंडे थे उन्होंने पंचायतों में प्रधान पद के लिये अपनी पर्चियां दाखिल कर दीं और १०, ११ साल हो गये वे चले आ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा आज लोगों को आतंकित किया जा रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यदि आज देखें तो उनमें हरिजन भाइयों को स्थान नहीं मिला है। मान्यवर वह लोग जो आज पंचायतों में बैठे हैं हमारा विरोध करते हैं और निर्बल लोगों को मजबूर करके उनसे अपना काम सिद्ध कराते हैं। मान्यवर, जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांवों का विकास हो, मगर इस सरकार के लोग, इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के चलाने वाले यह भूल जाते हैं कि आज हमको उन्हें भी मौका देना चाहिये जिससे वह अपने गांवों का विकास कर सकें। मुझे खेद है कि आज २० वर्षों से नये लोगों को मौका नहीं मिलता है। मान्यवर अगर आप देखें कि हमारे माननीय सदस्य विकास समितियों की मीटिंग्स में कितना भाग लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कभी विकास समितियों का कोरम ही पूरा नहीं हो पाता है .....

(सदन में अत्यधिक बातें होने पर)

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन चल रहा है या यह बाजार है ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके शान्ति बनाये रखें और जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको सुनें।

श्री गिरजा शंकर—

तो मैं यह कह रहा था कि कभी कोरम ही पूरा नहीं हो पाता है इसलिये ऐंडजर्न मीटिंग में जो होना होता है वह होता है। आज जो ग्राम प्रधान हैं, जो लाखों रुपया खर्च करते हैं उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। जो विकास समिति की बैठक स्थगित होती तो अगली मीटिंग में कोरम की आवश्यकता नहीं होती है इससे यह होता है कि जिस उद्देश्य से विकास समितियों की स्थापना की गई है वह पूरा नहीं हो पाता है। आज वह निर्जीव हो गई हैं। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो संशोधन कल्पनाथ जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार करें। श्रीमन्, आप देखें कि जो कर्जे के प्रार्थना-पत्र होते हैं, वे ६, ६ महीने, साल-साल भर पड़े रहते हैं। काश्तकार दौड़ा करता है और परेशान होता है। विकास स्तर पर बी० डी० ओ० और तमाम ए० डी० ओज० की फौज तैनात है। अगर हिसाब लगावें तो आप देखेंगे कि लाखों रुपया हम वेतन के रूप में देते हैं और जिसका एक नये पैसे का लाभ आज ग्राम के रहने वालों को नहीं मिलता है। जो प्रधान काम करना भी चाहते है, मान्यवर, उसको सरकारी कर्मचारी जो ब्लाक स्तर के हैं वह करने नहीं देते हैं। वह फर्जी काम करते हैं और उनको भी गुमराह करते हैं और उनसे दस्तखत करा लेते हैं।

मान्यवर अगर आप देखें तो विदित होगा कि जिला परिषदों को समाप्त करने में सरकार की एक राजनीतिक चाल थी, राजनीतिक उद्देश्य था। आज ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर और विकास खंड के स्तर पर भ्रष्टाचार है और काम फर्जी हो रहा है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मान्यवर, इन्होंने जिला परिषदों को हटाया था। चाहे तो शीघ्र चुनाव करा लें लेकिन डिले करने का इनका उद्देश्य है। श्रीमन्, सरकार जनता से उनके प्रतिनिधियों से यह कहेगी कि अभी पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं इसलिये जिला परिषद् के चुनाव में समय लगेगा और यह साल, दो साल और तीन साल उसमें लगावेंगे। जो पंचायत राज गांधी जी का स्वप्न था उसे साकार करने के बजाय नष्ट करने के लिये तुले हैं। मान्यवर, अगर आज आप देखें

[श्री गिरजा शंकर]

और हम बैठकर इस बात को सोचें तो प्रजातंत्र के युग में कितनी बड़ी हत्या इस सरकार के द्वारा आज हुई है। मान्यवर, अगर आप देखें तो सांस्कृतिक दृष्टि से आज हमारी पंचायतें शून्य हो रही हैं। आज जो नौजवान गांवों का रहने वाला है गन्दी गलियों की ओर भागता है जहां उसको सांस लेना मुश्किल है। बेकारी उसके सामने मुंह बाये खड़ी है और वह त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज देश का प्रदेश का नौजवान ग्राम स्तर तक पहुंचने की बात सोचता है। आज नौजवान भूखों मर रहे हैं। वह रोटी के एक एक टुकड़े के लिये तड़प रहा है। ऐसी यह सरकार है। जितना पैसा आज कर्मचारियों पर व्यय करती है यदि उस रुपये को बाकायदा हम संगठित रूप में ग्रामों में दे तो क्या पशुपालन से कर्जे के जरिये अनुदान के जरिए हम लोगों की हालत नहीं सुधार सकते हैं।

लेकिन मान्यवर यह सरकार देहातों की ओर देखती नहीं है। आज सड़कों के किनारे ग्राम समाज की जमीन पड़ी है और ग्राम समाज की चक रोडों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहां हार्टीकल्चर का विकास किया जा सकता है। देहात में तालाबों से और झीलों से पानी निकाला जा सकता है और उससे उस जमीन को जो बेकार पड़ी है उपजाऊ बनाया जा सकता है। मगर यह सरकार सो रही है केवल इसका एक उद्देश्य है। इस प्रदेश का शासन अपने हाथ में रखें और सख्ती और डर के साथ रखें। इसके अलावा और कोई दूसरा दृष्टिकोण इस सरकार का नहीं है। आज मान्यवर, ग्रामों के रहने वाले चाहते हैं कि बिजली पहुंचे, सड़कें बनें लेकिन इस सरकार को लखनऊ की सड़कों की चिंता है। कस्बों की सड़कों की चिन्ता है। जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वह बहुत पिछड़ा है। साल में चार महीना वहां वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है। मैं ने अनेक मंत्रियों को दिखाया है किन्तु दुर्भाग्य है कि वहां सब से पीछे विकास खंड बना और सब से पहले समाप्त कर दिया गया। जब कि वहां सबसे पहले विकास होना चाहिये था। इस २२ साल में कितनी विकास की योजनायें बनीं लेकिन मान्यवर, वहां एक नये पैसे की कोई विकास की योजना नहीं बनी।

मान्यवर, मैं एक गांव में गया और वहां पर एक बूढ़े बाबा को देखा तो उनसे पूछा कि बाबा आप ने कोई पक्की सड़क देखी है तो उन्होंने कहा कि हां पांच ६ साल भवा जब हम एक पक्की सड़क देखे रहन। मान्यवर, आज ऐसी स्थिति है। ऐसे भी गांव हैं, जो आज भी मौजूद हैं जहां पर लोग तालाब का पानी पीते हैं, उसमें जानवर नहलाते हैं और मनुष्य भी नहाते हैं तथा उसी का पानी पीते हैं। आज हमको उनकी ओर देखना है। ऐसी परिस्थिति में जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है और माननीय कल्पनाथ सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उनके संशोधन को स्वीकार किया जाय। नयी रोशनी, नयी जाग्रति उत्पन्न करने के लिए उनका चुनाव तुरन्त ही करवाया जाय। जिस तरह से विधान परिषद् समाप्त की गयी है उसी तरह से यह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस संशोधन को स्वीकार करें और सरकार तुरन्त ही उनका चुनाव करवाये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, ६ अप्रैल को हमारे ऊपर दिल्ली में लाठी चार्ज हुआ था। इस विषय को लिये जाने के लिए मैं ने नियम ५२ में दिया था। मान्यवर, उस पर आपने कहा था कि इसको सोमवार के दिन हम स्वीकार करेंगे। आज जो सूची मुझको दी गयी है उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं है। इस के लिए मुझे खेद है, दुःख है और मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि उसको आप कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप हमारे कमरे में आ जायं तो मैं फाइल मंगवा कर आप को बतला दूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, देश की आजादी के बाद जब प्रजातन्त्र प्रणाली बनायी गयी जिस में पंचायत राज को प्रमुख स्थान दिया गया। खेद की बात है, मैं यह कहना चाहता था कि. . . ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो कैबिनेट बनायी गयी है उसमें दो धाराओं के लोग हैं। यहां पर इन्डीकेट के ही मिनिस्टर बैठे हैं और बी० के० डी० के कोई भी मिनिस्टर नहीं हैं। मेरा यह खयाल है कि जब जिस दल के मन्त्री का कोई कार्य होता है तब उसी दल के मिनिस्टर रहते हैं दूसरे दल के नहीं। कहीं ऐसा न हो कि इन दो विचार धाराओं में पड़ कर हमारा प्रदेश भी दो भागों में बट जाय।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

सम्भवत: माननीय सदस्य गाजीपुर को कुछ भ्रान्ति हो गयी है। हमारे सभी मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। अगर मैं यह कहूं कि विरोधी दल में नेता के रूप में माननीय सदस्य गाजीपुर ही यहां बैठे हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

हमने तो स्वीकार कर लिया है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी दोनों ही दलों के हैं।

श्री अध्यक्ष---

दोनों ही क्यों तीनों के हैं।

* श्री रियासत हुसैन---

इस संशोधन के द्वारा मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें आर्डिनेंस के जरिये से पंचायत राज और क्षेत्र समिति की उम्र बढ़ायी गयी है। मैं यह देख रहा हूं कि गत कई वर्षों से एक एक वर्ष या ६, ६, महीनों के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है।

इन ग्राम पंचायत अदालतों की, ग्राम सभाओं की ओर सारे पंचायत राज की उम्र बिला वजह बढ़ायी जा रही है। जब आर्डिनेंस के द्वारा एक चीज की उम्र एक साल बढ़ा दी तो यह ज्यादा उचित होता कि इसी दो महीने के अन्दर, इसी सत्र में एक काम्प्रिहेन्सिव बिल सदन के समक्ष लाते बमुकाबले इसके कि छोटा सा अमेन्डमेन्ट करके वक्त तो ले लिया लेकिन कोई आश्वासन नहीं है कि यह जो समय दिया गया है यह अन्तिम है और इसके दौरान चुनाव निश्चित रूप से हो जायेंगे। इस आधार पर मैं यह समझता हूं कि इस सारे मामले को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक महीने के अन्दर बैठ कर एक काम्प्रिहेन्सिव बिल तैयार करे।

श्रीमन् २२ साल हो गये पंचायत राज ऐक्ट को पास हुये। जो बैकग्राउन्ड था इसको पास करने का वह यह था कि रूरल एरिया का सामाजिक, राजनैतिक, और आर्थिक विकास हो। लेकिन २२ साल के बाद भी मैं देखता हूं कि मैन पावर स्कीम जिस को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा अहम काम ग्राम सभाओं और उनके प्रधानों के सिपुर्द किया गया था कि जनशक्ति का प्रयोग करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाय, उसकी तरफ पंचायत राज के अधिकारियों, मंत्रियों और प्रधानों का बिलकुल भी ध्यान नहीं गया है। हुआ क्या ? चकबन्दी में हर गांव में किसी में थोड़ी और किसी में बहुत सी जमीन आबादी, चकरोड, तालाब आदि के लिए छूटी। प्रधानों ने उन सारी जमीनों पर कब्जा करके जोत कर आमदनी अपने घर रख ली या अपने किसी जान-पहचान वाले या सम्बन्धी चाचा-ताऊ वगैरह को वह जमीन दे दी और इस तरह से उसका अनुचित इस्तेमाल किया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

] श्री रियासत हुसैन]

बदकिस्मती की बात यह है---राजस्व मन्त्री जी चले गये---पंचायत राज मुहकमा और रेवेन्यू मुहकमा इन दोनों को मिल जुल कर काम करने की जरूरत है, वह नहीं होता। दोनों विभाग के लोगों का सोचने का ढंग अलग-अलग है। पंचायत राज विभाग से सम्बन्ध रखने वाले प्रधान का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, कानूनगो तथा नायब तहसीलदार का सोचने का ढंग और कार्यप्रणाली अलग-अलग है। नतीजा यह होता है कि रेवेन्यू विभाग अपने तरीके पर जमीन, चकरोड, बाजार, तालाब आदि को नीलाम कर देता है और जो प्रधान हैं वह अपने तरीके पर करते हैं और दोनों में संघर्ष होता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। सन् ६३ में एक ग्राम मझौली खास, तहसील बिलारी का एक झगड़ा चल रहा है। ३० आदमियों ने वहां के ग्राम समाज की जो चकबन्दी की जमीन आबादी के लिए छोड़ी गयी थी उस पर अनधिकृत कब्जा कर लिया और अपना मकान बना लिया। क्यों बना लिया? पटवारी और कानूनगो ने रुपया लेकर कब्जा करा दिया। गांव के प्रधान ने, ग्राम पंचायत ने कहा कि कोई अधिकार नहीं था, हम इसको नीलाम करेंगे। हम उसका वितरण करेंगे, उन्होंने अपने तरीके से उसका वितरण किया और उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों फरीकों में जिन्होंने पटवारी से जमीन ली और जिन्होंने ग्राम समाज के द्वारा ली दोनों में लड़ाई शुरू हुई और दफा १०७ और १११ के मुकदमे आज तक चल रहे हैं। क्या लाभ है इस पंचायत राज विभाग का और क्या होगा इनको चलाकर जबकि वे किसी भी हालत में प्रभावी नहीं हैं। सन् ६३ से लेकर आज सन ७० तक ७ साल हो गये। मैंने इन चीजों पर सवालों द्वारा और भिन्न तरीकों से सरकार का ध्यान इन पंचायतों की अकर्मण्यता की तरफ आकृष्ट किया है। लेकिन आज फिर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज सात साल बीत जाने के बाद भी आपकी ग्राम पंचायतें या ग्राम समाज या आप के अधिकारी गैर कानूनी कब्जों को जमीन पर से नहीं हटा पाये हैं। इस तरह से आबादी के हिसाब से यह मैंने आप के सामने तसबीर रखी।

अब मैं जनरल बात भी बताना चाहता हूं। हमारे जिले मुरादाबाद में एक ग्राम सभा नकटपुरी कलां के नाम से है। उसके सेक्रेटरी ने ३४ एकड़ जमीन का पट्टा रुपया लेकर बिना किसी मीटिंग के कर दिया, वह उन शहर के लोगों के नाम कर दिया कि जिनको खेती का शौक चर्राया था। कागज की बात का तो ठीक मुझे पता नहीं लेकिन जब कब्जे का मौका आया तब यह चीज गांव के लोगों को मालूम हुई और वहां इस पर एक तमाशा खड़ा हो गया, बड़ा झगड़ा हुआ और आखिरकार नतीजा यह हुआ कि वह पट्टा कैन्सिल हुआ, उसमें प्रधान ससपेंड हुआ, पटवारी ससपेंड हुआ लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोग जो कब्जा नहीं देते उनसे और पुलिस की मदद से जो कब्जा लेने की कोशिश में रहते हैं उनमें अदालतों में मुकदमेबाजी चल रही है और इस तरह से तमाम मुकदमे जो ग्राम समाज, प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा इस तरह से खड़े किये गये हैं वह अब क्रिमिनल कोर्टस् में पहुंचे हैं। यह मैंने २ उदाहरण दिये। मेरा इस से मतलब यही है कि बड़े खेद की बात है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा शक्ति इन पंचायतों की शक्ति है लेकिन आज तक वहां इनका संचालन करने वालों के दिमाग में यह चीज नहीं बिठायी जा सकी कि उनका प्रशासन ठीक करने की उनकी जिम्मेदारी है और जब तक इन का सुधार नहीं किया जाता तब तक यह विभाग ही बेकार हो जाता है।

सेक्रेटरी, वी० एल० डब्लू० और तमाम तरह के ५-५ और ६-६ अधिकारी हैं। सेक्रेटरी और वी० एल० डब्लू० दोनों एक ही चीज से सम्बन्ध रखते हैं, दोनों का काम है कि विकास हो और प्लान की तरक्की हो, गांव के लोगों को सुविधा मिले लेकिन खेद है कि आज तक जो पंचायतों को १ आना रुपया कर लगाने का अधिकार है उसकी वसूली का कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया गया। बराबर कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें तब तक कामयाब नहीं हो सकतीं जब तक कि आप लैन्ड रेवेन्यू का चौथाई भाग निकाल कर इन पंचायतों को नहीं देंगे। इस एक आने की वसूली से तो सेक्रेटरी और कर्मचारियों का वेतन भत्ता भी पूरा नहीं पड़ता और उतने से हरगिज गांव के विकास का कार्य नहीं हो सकता। आपको इसको गम्भीरता से सोचना होगा कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं। सन् ६१ की जनगणना के

अनुसार २५० की आबादी पर इन पंचायतों का निर्माण किया गया था लेकिन इन दस सालों में आबादी न जाने कहां से कहा पहुंच गयी। आज जरूरत इस बात की है कि देखा जाय कि कौन से गांव बड़े गांव से मिल गये, कहां बड़ी सड़कें बन गईं, कहां की आबादी ५०,००० से ऊपर हो गई, कहां टाउन एरिया बन सकता है, कौन गांव अब बड़ी सड़क निकलने से उसके किनारे होकर कस्बे में तब्दील हो गये। इसके लिये वहां के लोग कोशिश करते हैं और लखनऊ के दफ्तर में और जिले के दफ्तरों में दस-दस बार फाइल लिए घूमते हैं और जिले के अधिकारियों के यहां भागते हैं और उस गांव के और क्षेत्र के विकास की पूरी जिम्मेदारी एक आदमी पर ही है। आपके और हमारे ऊपर नहीं है लेकिन देखने में यह महकमा बिलकुल बेकार हो गया है।

आज इन पंचायत अदालतों में पहले से मुकदमें तय होकर दायर होते हैं। साफ कह दिया जाता है कि इतने पैसे में डिग्री देंगे और जब वसूलयाबी हो जायगी तो इतने पैसे उनके होंगे। अगर जाब्ते के अन्दर नियत समय पर ४ साल के बाद ये चुनाव हो जाते तो ये बातें न हो पातीं। जब वे यह समझते हैं कि उनकी अभी काफी उम्र है और सरकार में पब्लिक वर्डिक्ट लेने की हिम्मत नहीं और वे ६-६ महीने और एक-एक साल आर्डिनेन्स के जरिये उनकी उम्र बढ़ाते चले जाते हैं तो वे पंचायती अदालतों में मन मानी करने लगते हैं। जब न्याय पंचायत के लोग और प्रधान लोग यह समझने लगते हैं कि उन्हें सरकार समाप्त नहीं कर सकती है तो वे जो चाहते हैं, करने लगते हैं। अगर आप देहात में जांय तो देखेंगे कि वहां के रहने वाले पूछते हैं कि चुनाव कब होंगे। पुराने एस० वी० डी० के जमाने में पिछली बार जब माननीय महीलाल जी मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जरूर करा देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब हमारे मंत्री लोग किसी काम को अगर नहीं कर सकते हैं तो हमें मुसीबत में डालने की, कि ६ महीने में अवश्य हो जायेंगे, अब की बार हो जायेंगे, क्या जरूरत है? जब नहीं कर सकते हैं तो ये छोटे-छोटे अधिनियम लाकर ६-६ महीने और १-१ साल की मुद्दत बढ़ाने से क्या फायदा है? इस कार्यक्रम का कोई अन्त नहीं है। जैसे मुखिया लोग थे जब तक उनको खत्म नहीं किया गया, वे नहीं हटे। पता नहीं उत्तर प्रदेश का वह काला दिन कौन-सा होगा जिस दिन ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें, जिनकी कार्यवाही से देहात की जनता पीड़ित है, त्रस्त है, सरकार द्वारा आदेश जारी करके समाप्त होंगी। वह काला दिन इस प्रजातन्त्र के जमाने में न जाने कब होगा। क्यों नहीं आप एक कोंपिहैन्सिव बिल लाते हैं।

दूसरी स्टेट्स में जो पंचायती राज ऐक्ट है, उनसे कोई सबक क्यों नहीं ले पाते हैं। सरकार आर्डिनेन्स ले आयी और छुट्टी हो गयी ६ महीने के लिये और साल भर के लिये। चूंकि सदन में आपका बहुमत है, आप एक कौम्प्रिहैन्सिव बिल लाने में मजबूर नहीं हैं लेकिन देश की जनता देखती है कि एसेम्बली का चुनाव निश्चित समय पर हो जाता है। वही जनता इन अदालतों से परेशान होकर स्कीम बनाती हैं कि फलां जगह मंत्री जी ने कह दिया लिहाजा तैयारी करो और जब नहीं होते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। आज अगर कहीं पर अनियमितता भी होती थी तो एस० डी० एम० को जो सस्पेंड करने का अधिकार था, वह भी अधिकार आपने छीन लिये हैं। अब वे अगर कुछ भी करते हैं तो उनका सस्पेन्शन नहीं होगा। इसलिये बजाय इसके कि आप एक अमेन्डमेन्ट बिल लायें और इस एक साल की मुद्दत से समझ लें कि हमें एक साल के लिये फुरसत हो गयी और फिर एक कौम्प्रिहेन्सिव बिल लाना ही भूल जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि अभी समय है, इसी सेशन के अन्दर आपको एक कौम्प्रिहेन्सिव बिल लाना चाहिये और जो आर्डिनेन्स के जरिये उम्र बढ़ायी है, इसको आप विदड्रा करें और इसको विदड्रा करके प्रवर समिति के सुपुर्द करें, उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट लें।

इसके अलावा इसको कौम्प्रिहेन्सिव बिल बनाने के लिये दूसरे प्रदेशों में भी उनके पास जांय या उनको बुलायें। फिर उसके बाद ऐसा डिटेल्ड कौम्प्रिहेन्सिव बिल आवे जिससे प्रजातन्त्र की

[श्री रियासत हुसेन]

प्रणाली में यह कामयाब बिल हो। इस जन-शक्ति का हम प्रयोग कर सकें। इस प्रदेश का हम निर्माण कर सकें। और साथ ही साथ आप देखिये कि आपका सेक्रेटरी है। वह मुद्दत से लड़ाई लड़ रहा है। उससे आप कह देते हैं कि इकन्नी रुपया वसूल कर लो। वह छः-छः महीने क्षेत्र में जाता नहीं है परन्तु जब जरूरत होती है भत्ता लेने की तो वाउचर लगाया और छुट्टी पा गये। जब उसका भत्ता निकल गया तो उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि इस बिल को वापिस लें और प्रवर समिति से शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट मांगे। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों से कान्टैक्ट करके कि वहां सकसेसफुली कैसे पंचायत राज चल रहा है, अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिये, प्रजातन्त्र की प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये, विश्वास पैदा करने के लिये, एक डिटेल्ड काम्प्रिहेंन्सिव बिल आना चाहिये जिससे सारी कमियों को दूर किया जा सके और हम नये तरीके से पंचायत राज का नक्शा प्रस्तुत कर सकें। ये सब बातें कहकर मैं प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजने का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। आज, चाहे इस तरफ के हों और चाहे उस तरफ के हों, दोनों की राय है कि पंचायत राज का चुनाव जितना शीघ्र हो सके, कराया जाय। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, वे दिक्कतें ये हैं कि अभी जब हम लोगों का सेशन हो रहा है. चुनाव के लिये आज कहा जाय कि हम जून में चुनाव करायेंगे तो हमारे यही भाई कहेंगे कि गरमी है, सदन भी चल रहा है, इस तरीके से क्या गांव सभाज का चुनाव करायेंगे ? गांव समाज के अन्दर जो त्रुटियां हैं उनको देखते हुये जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि इसको प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत कर दिया जाय।

(इस समय १२ बजकर ५३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

अगर यह प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत कर दिया जायेगा तो यह करीब-करीब एक साल के लिये बढ़ जायेगा क्योंकि उसका टाइम बढ़ता जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में जाकर अध्ययन करें और उस अध्ययन का फायदा उठायें। तब तो यह दो साल तक बढ़ सकता है। मेरी राय है कि इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी तो माननीय मंत्री जी से मांग है कि वे अक्तूबर या नवम्बर तक चुनाव कराने का एलान करें जिससे हमारे चुनाव का जो मकसद है वह पूरा हो।

आज गांव समाज में जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह कहीं और नहीं मिलेगा। गांव समाज के अन्दर चकबन्दी के बाद हरिजनों के मकानों के लिये जमीन अलाट की गई थी। वह जमीन ऐसी है जो मकान बनाने के काबिल नहीं है। गांव समाज के तालाब जो थे उनके पट्टे एक साल का नहीं जबरदस्ती दस-दस साल का दे दिये गये जिससे कि उनको दूसरे व्यक्ति न ले सकें। इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिये एक ही तरीका है कि चुनाव जल्द से जल्द कराये जायं जिससे कि जो गलतियां वहां हैं वे दूर हो सकें और चुनाव के बाद स्वच्छ और सुन्दर प्रणाली स्थापित हो सके। गांव समाज की जमीन को प्रधान खुल्लमखुल्ला बेंच रहा है। वह भूमिहीन हरिजनों को नहीं मिल पा रही हैं। गांव समाज के प्रधान को जितनी ढील दे रक्खी है उतनी वह मनमानी कर रहा है। संविद सरकार ने एक कानून बनाया था कि जितनी जमीनें पट्टे पर दे दी गई थीं उनको रद्द कर दें। और उन्होंने उनको रद्द करने के आदेश दिये मगर उनका पालन नहीं हुआ। जो कानून आप यह समझ कर बनाते हैं कि उससे प्रजातन्त्र की रक्षा होगी, परन्तु वही आगे चल कर गलत साबित होते हैं।

आज तक कोई ऐसा कदम सरकार ने नहीं उठाया जिससे कि गांव समाज की जमीन भूमिहीनों को मिल सके। गांव समाज का प्रधान आज भी गरीबों को दबाता है। उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अगर चुनाव कराये गये होते तो सारी गड़बड़ी दूर हो गयी होती।

आप कहते हैं हम समाजवाद लायेंगे, जब तक आप चुनाव नहीं करायेंगे, समाजवाद नहीं ला सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोंडा जिले में तमाम जमीन सीलिंग से निकली, ग्राम प्रधान ने एक-एक, दो-दो, तीन-तीन हजार रुपया लेकर जमीन का पट्टा कर दिया। हजारों एकड़ जमीन आज भी है मगर आज तक उस जमीन का सही वितरण नहीं हुआ। वह सारी की सारी जमीन वैसी ही पड़ी हुई है। हमारे क्षेत्र, ग्राम तुलसीपुर में २० हजार बीघा जमीन पड़ी हुई है। उसका वितरण नहीं हुआ है। गांव समाज की जमीन के वितरण के लिये जो अधिकार प्रधानों को दिये गये हैं, वे अधिकार उनसे ले लिये जाने चाहिये। भूमि के वितरण का सही तरीका निकाल कर उसे तुरन्त बांटना चाहिये। इसके लिये जरूरी है कि अक्तूबर, नवम्बर तक चुनाव अवश्य करा दिये जायं। जब आप यह करेंगे तभी भ्रष्टाचार दूर होगा और जनतंत्र की रक्षा होगी तभी समाजवाद का लाभ भूमिहीनों को मिलेगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े जनतंत्र के हामी हैं, और दूसरी तरफ जब बार-बार चुनाव को स्थगित करने की बात रखी जाती है तो मैं तो बड़ी लज्जा का अनुभव करता हूं। पता नहीं सरकार ऐसा अनुभव करती है या नहीं? पहले मान्यवर, जब चुनाव कराये गये तो उनको ५ वर्ष के बदले १० वर्ष तक उनका समय बढ़ा दिया गया था। तबसे बराबर उनका समय बढ़ता ही गया। आज हम देखते हैं कि दो समाजवाद एक हो गये हैं। एक तो समाजवाद इन्दिरा गांधी का समाजवाद है, दूसरा चरण सिंह का है। दोनों का कहना है कि हम पंचायतों के कार्य कलाप में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल यह कह देने से ही काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के लिये यह इत्तफाकिया सरकार जो इत्तफाक से ही बन गयी है उसमें जितने भी मंत्री हैं, चाहे वे किसी भी दल के हों, उनका रंग वही पुराना है, पानी भी वही पुराना है, केवल बोतल का रंग दूसरा है। जो मंत्री आज हैं वे बराबर, स्वतंत्रता के बाद, किसी न किसी पद पर रहे हैं। चाहे वह चरण सिंह जी हों, चाहे कमलापति त्रिपाठी हों, चाहे उनके कारकून हों या उनके मंत्री हों, सभी का यही हाल है।

सन् १९६१ के बाद से आज तक आपको फुरसत नहीं मिली है कि आप गांव सभाओं की तरफ दृष्टि डालते कि गांव सभाएं, क्षेत्र समितियां और न्याय पंचायतें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। आप मामूली हेरफेर करना चाहते हैं, आप उनमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जो इसकी भूमिका प्रस्तुत की गई है, उससे ऐसा लगता है, लेकिन मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि यदि आपका इरादा ठीक होता कि कुछ तरमीमें की जाएं तो आप इसे कर सकते थे, आपको इनका समय बढ़ाने की आवश्यकता न पड़ती। क्योंकि मैं यकीनन जानता हूं कि पंचायती राज में जो जरूरी तरमीमें हैं उनको एक हफ्ते से भी कम समय में किया जा सकता है। लेकिन आपको यह सब सोचने की और करने की फुरसत कहां है। आपके तो सचिव ने आपको सलाह दी होगी कि इनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो जाएगा, तो बजाय इसके कि इसमें सुधार करने की आप तकलीफ गंवारा करते, आपने सदन के सामने रख दिया कि एक वर्ष का समय इसका और बढ़ा दिया जाए और "१० वर्ष" की जगह "११ वर्ष" रख दिया जाए। यदि आपका इस सम्बन्ध में इस समय कोई सुझाव होता, कोई विधेयक होता जिससे यह मालूम होता कि आप गांव सभाओं के संगठन और उसके कार्य में कुछ सुधार या परिवर्तन करना चाहते हैं, तो मैं समझता कि वास्तव में आप को समय बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मैं समझता हूं आप केवल पुरानी परम्पराओं का निर्वहन करते जा रहे हैं, जैसे ५ वर्ष समय बढ़ा वैसे ६ वर्ष हो गया।

यह कहा जाता है कि गांव सभाओं के कारण गांव सभाओं की सम्पत्ति की रक्षा नहीं हुई। इस सम्बन्ध में मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रधानों ने, उनके रिश्तेदारों ने और उनके आड़ में सफेदपोश नेताओं ने गांव सभाओं की हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा कर रखा है।

[श्री रामधारी शास्त्री]

मैं इस सम्बन्ध में खास कर गेंदा सिंह जी के क्षेत्र की बात करना चाहता हूं, जहां पर अहिरौली आदि तमाम गांवों में जब बेदखलियां हुईं, तो अफसरान लोग वहां गये थे। जो अफसर वहां गये थे बाद में उनका स्थानान्तरण करा दिया गया। क्योंकि वहां पर निहित स्वार्थ के लोग जो बड़ी-बड़ी जमीनों पर नाजायज कब्जा किए बैठे थे, वे नाराज हो गये थे। बड़े-बड़े आदमी आज भी उस पर कब्जा किए बैठे हैं। कागज पर यह रहता है कि उन्होंने खाली कर दिया और उस पर गरीब किसानों, भूमिहीनों का हक हो गया, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है।

जब आपने जिला परिषदें भंग कर दीं, तो आपने ब्लाक समितियों को क्यों नहीं भंग कर दिया जो सड़कों को काट रही हैं, जो प्रधान अपने रिश्तेदारों के नाम गांव सभाओं की जमीन किए दे रहे हैं, और सारी गांव सभाओं की जमीन का अपहरण कर रहे हैं और आपकी सारी सरकारी मशीनरी बेकार हो रही है ? मुझे तो ऐसा लगता है हमारी सरकार के कुछ लोगों के निहित स्वार्थ हैं, जो ग्राम पंचायतों के माध्यम से जमीनों को हड़पे ले रहे हैं। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी यह विधेयक लाना चाहिए। एक वर्ष के लिए उनका और समय बढ़ाना गुनाह करना है गांव वालों के साथ। इस समय में जितनी सारी सड़कें हैं, सार्वजनिक संस्थान हैं, परती और बेपरती जमीनें हैं, समय मिल जाने के कारण गांव सभाओं के माध्यम से उनका अपहरण हो जाएगा।

यहां पर पंचायत सेक्रेटरी का जिक्र किया गया। उसकी दशा बड़ी ही शोचनीय है। जब जमींदारी नहीं टूटी थी यानी जब जमींदारों की जमींदारी थी तो उस समय जमीनों की नाप केवल जमींदारों के यहां लिखी रहती थी और इन नाप करने वाले कारिंदों को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी। उन्हें छुट्टा छोड़ दिया जाता था कि इलाके में जाओ और लूटो खाओ। यही दशा आज यह सरकार अपने पंचायत मंत्रियों के साथ कर रही है। जो पंचायत मंत्री सरकार का काम करते हैं, उन्हें ही यह सरकार अपना सरकारी कर्मचारी नहीं समझती है। यह कैसी विडम्बना है। जनतन्त्र पर विश्वास करने वाली सरकार के लिए यह बात कतई शोभा नहीं देती है। २४ घंटे आप उनसे काम लेंगे, लेकिन आप उनको तनख्वाह नहीं देंगे। आपको यह कहने में भी लज्जा आती है कि वे सरकारी कर्मचारी हैं। आपने उन्हें दूसरों पर परमुखापेक्षी बना कर छोड़ दिया है, लूटने खसोटने के लिये छोड़ दिया है। जिस पर वह चाहे टैक्स लगाये, जिस पर चाहे न लगाये, जिसकी गाड़ी का टैक्स वसूल करे या न करे, ये सब मनमानियां करने की उसे खुली छूट मिली हुई है और भ्रष्टाचार के लिये अवसर दे रखा है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि गांव सभाओं के कामों को ठीक करने के लिये सरकार को स्पष्ट रूप से पंचायत मंत्रियों का वही वेतन कर देना चाहिये जो ग्राम सेवकों का है और उन्हें अविलम्ब सरकारी कर्मचारी मान लेना चाहिये ताकि ग्राम सभाओं में भ्रष्टाचार बन्द हो जाय। सेक्रेटरी का काम जिम्मेदारी का है। पहले जन्म–मृत्यु की एंट्री सरकारी कागजों में चौकीदार के माध्यम से होती थी। अब गांव सभाओं का काम पूरे तौर से पंचायत मंत्री करता है। इस तरह के स्पष्ट प्रमाण हैं कि सेक्रेटरी सक्सेशन के मामले में जिन्दा आदमी को मार डालता है और मरे हुये आदमी को जिन्दा कर देता है। मृत्यु की तारीख बदल दी जाती है। १९४९ से लेकर आज तक पंचायतों के रेकार्ड के लिये कोई रेकार्ड रूम नहीं हैं जहां पर पंचायत के कागजात जमा किये जा सकें। हमारे देवरिया के फाजिलनगर ब्लाक के दो एक पंचायत मंत्रियों के खिलाफ इस तरह की जांच हुई। उन्होंने जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में जालसाजी की। उसके आधार पर बड़े भारी मुकदमें चले, जांच हुई। लेकिन जिस अधिकारी ने जांच की उसका हस्तान्तरण कर दिया गया। लेकिन पंचायत मंत्रियों का कुछ नहीं हुआ। कुछ सरकार के मंत्रियों के जरिये वे आज भी पंचायत मंत्री हैं। पंचायत राज अधिकारी का क्या कहना ? पंचायत मंत्री चाहे जितना गुनाह करें, शाम को हाजिरी दे दें सारे गुनाह माफ।

तीसरी बात मैं न्याय पंचायतों के बारे में कहना चाहता हूं। न्याय पंचयतों की स्थापना इसलिये हुई थी कि अदालतों में भ्रष्टाचार है और न्याय पाने में विलम्ब होता है। वह समाप्त होगा। लेकिन पंचायतों ने भ्रष्टाचार को बहुत निम्न श्रेणी तक पहुंचा दिया है। न्याय पंचायतों का हाल यह है कि फर्जी मुकदमें उन्होंने कायम कर दिये हैं। जिस दिन मुकदमें का फैसला सुनाया जाता है, बाद की तारीख में दरख्वास्त दी जाती है। न्याय पंचायत पर कोई रोक नहीं, न हाकिम परगना रोक सकता है, न मुंसिफ रोक सकता है, न जज रोक सकता है। उनकी जांच नहीं हो सकती। सरपंच जो धांधली चाहे कर सकता है। यह भी एक साल बढ़ेगा। इस तरह के काम भी एक साल बढ़ेंगे। अगर आप का सचमुच कुछ इरादा करने का हो तो इधर भी ध्यान रखें।

विकास समितियों को क्या कहा जाय ? मंत्री जी को स्वयं पुराना अनुभव है। सरकार ने १९६८ तक ट्यूबवेल और माइनर इरीगेशन पर सब्सिडी दी। जिन लोगों ने पैसा दिया ए० डी० ओ० इरीगेशन को, उनको सब्सिडी मिल गयी बाकी जिन्होंने पैसा नहीं दिया १९६० से १९६५ तक, कुयें बनाये हुये हैं लेकिन आज तक अवसर नहीं पा सके कि उनको सब्सिडी मिल जाय। मैं अगर यह कहूं कि इन ब्लाक्स को बन्द कर दीजिये, तो कहेंगे कि सोशलिस्ट यह कहते हैं, यह जनतन्त्र के खिलाफ हैं। लेकिन ऐसा जनतन्त्र जिसको आपने बना रखा है, जिला परिषदों का चुनाव १९४८ में करवाया। लगातार १२ वर्षों तक आर्डिनेंस के द्वारा उनको चलाते रहे। वह नष्ट हो गयीं। आज १९७० तक जिला परिषदों का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर करवाने की हिम्मत नहीं की। इसी तरह से १० वर्ष गांव पंचायतों को हो गये, १२ वर्ष से पहले आप चुनाव नहीं करवा सकेंगे। कल्पनाथ सिंह जी ने ठीक कहा था कि एक साल बढ़ाना ठीक वैसा ही है जैसा बिना शर्त के आदमी को रखें।

जिला परिषदों को आपने खत्म कर दिया। माननीय मंत्री, सामुदायिक विकास ने बातचीत के दौरान यह कहा कि कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय सदस्य विधान सभा और पार्लियामेंट के रखे जाने की सलाह दी लेकिन बाद में तय हुआ कि अकेले कलेक्टर नादिर शाह की तरह काम करेगा। इस प्रकार चुने हुये प्रतिनिधियों में आपका विश्वास नहीं है तो फिर बी०डी०सी० के मेम्बरान को रखने से क्या फायदा है। इनको भी समाप्त कीजिये। मेरा निवेदन है कि कार्यकाल बढ़ाने का यह विधेयक न लाया जाय। जो मूल प्रस्ताव है इसे एक हफ्ते के लिये सदन की प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय और वह रात-दिन बैठ कर अपनी तजवीज पेश करे और फिर एक मुकम्मल बिल सदन के सामने आये। अध्यादेशों के आधार पर काम करने की आदत छोड़िये तब जाकर ठीक ढंग से कार्य हो सकेगा।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत))—

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल पेश है क्षेत्र समिति एवं पंचायत राज्य का उसका मैं हृदय से तो साथी नहीं हूं परन्तु पार्टी के नाते इसका समर्थन ही करना है। जो सदस्य इस समय विरोधी पक्ष में बैठे हैं उन्होंने अपनी हुकूमत बनाये रखने के लिये इन क्षेत्र समितियों और पंचायतों का आज तक चुनाव नहीं कराया। दुर्भाग्य से आज वे विपक्ष की कुर्सियों पर बैठे हैं और हम लोग इधर। जब इसका समय करीब-करीब समाप्त हो रहा था तो हमारे मंत्री महोदय ने इसका समय बढ़ाने के लिये आर्डिनेन्स जारी किया और इसके साथ ही बिल का लाना जरूरी था जो कि इस समय सदन के सामने पेश है।

पंचायत राज जब इस प्रदेश में कायम हुआ था तो प्रदेश की जनता सोच रही थी कि उसको सस्ता न्याय मिलेगा और शीघ्र ही उसके विवाद तय होंगे लेकिन पिछले २३ साल के दौरान पंचायत राज ने जनता के बीच घोर असन्तोष पैदा कर दिया। कोई भी पंचायत का सरपंच न्याय नहीं करता। जब कोई मुकदमा होता है तो सिफारिश के बल पर डिग्री होती है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। अमीर आदमी उससे फायदा उठाता है और गलत तरीके अपना कर वह अन्याय कराता है।

[श्री हरनरायन]

सन् '६१ में क्षेत्र समितियां बनीं। प्रदेश के नेताओं ने सोचा कि अब सरकार का इन्तजाम अपने ही आदमियों से कराया जाय। लेकिन जो विधेयक लाया गया, जो चुनाव प्रणाली अपनाई गयी उसमें बहुत बड़ी खराबी थी। पुराने जमाने में तो गांव में पंचायत में जो सर्वसम्मति से होता था उसका सब लोग आदर करते थे, सब उसकी बात मानते थे लेकिन अब तो गोलियां चलती हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसमें संशोधन करके ग्राम सभाओं का चुनाव करायें। सर्व सम्मति से ही गाँव सभा का सभापति बनाया जाय। चुनाव के बाद जो व्यक्ति सभापति चुना जाता है उसके ही पक्ष के लोग सदस्य बनते हैं परन्तु कुछ समय में जब बंटवारे में झगड़ा होता है तब सदस्य विरोध में आते हैं। उनके विरोध में आने से कार्यवाहियों में कोई भी हिस्सा नहीं लिया जाता है। सभापति उनको निदेश देते हैं। झूठे अंगूठे लगाकर मीटिंगें करते हैं। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। ७२,००० ग्राम सभाओं की ८,५०० पंचायतें हैं। ७२,००० ग्राम सभाओं में कोई भी ग्राम सभा ऐसी नहीं होगी जिसमें सभापति मनमाने ढंग से काम न करें। इनका सबसे बड़ा काम यह है कि जो गरीबों की जमीन है उसको पट्टा करके उसका पैसा हड़प लेना। हर आदमी सभापति होना चाहता है। इससे गरीबों को, हरिजनों को और भूमिहीनों को कोई स्थान नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि जितनी भी सम्पत्ति उनके गाँव में है उदाहरणार्थ मछली का तालाब या वहां जो पेड़ खड़े हैं, उनको बगैर किसी कार्यवाही के कटवा देते हैं और उसका पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। वहां की मछलियों का सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। यह भ्रष्टाचार, मान्यवर, इन गांवों में हो रहा है।

श्रीमन् मैं अपने क्षेत्र की चन्द ग्राम सभाओं के बारे में कुछ बताऊं कि एक गांव सभा, मुजफ्फरनगर में है जिसके सभापति रघुनन्दन प्रसाद हैं। उन्होंने उस गांव के पेड़ों को बेचकर और तालाब की मछलियों को ठेके पर देकर उसका पैसा हड़प लिया। इसके लिये गांव की जनता न बहुत शिकायतें की किन्तु अभी तक किसी भी शिकायत का निपटारा नहीं हो सका। तीन-चार साल से बराबर उनके विरुद्ध शिकायती-पत्र दिये जाते हैं परन्तु वे इधर-उधर से मालूम करके शिकायतों को दबवा लेते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी ग्राम सभा, महाराज नगर सिमरा-महाराजपुर के, श्री ओम प्रकाश ने उस क्षेत्र की लगभग ४ हजार एकड़ जमीन बेचकर गरीबों को न देकर पट्टे पर दी है। इससे उसने काफी धन इकट्ठा कर लिया है। इसके बारे में मैंने भी इस सदन में तथा माननीय मुख्य मंत्री के सामने इसकी जांच के लिये प्रार्थना की है। मुझे आशा है कि इसकी जांच अवश्य होगी क्योंकि अब स्वच्छ प्रशासन आ गया है। इससे पहले मुझे बिलकुल आशा नहीं थी।

मान्यवर एक तीसरी ग्राम सभा चांह फिरोजपुर में है जिसमें ज्ञानीराम के सुपुत्र, श्री पोथीराम की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में कोई पकड़ा तक नहीं गया। मुझे आशा है कि इस प्रशासन में अब इस केस को ले लिया जायेगा और पूरी कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार नवाजपुर में एक ग्राम सभा है जिसके अधिकारियों ने लगभग ६ लाख रुपये की जमीन बेची। उन्होंने उन गांव सभाओं के सब अधिकार ले लिये और अधिकार लेने के बाद जमीनों के पट्टे करना शुरू कर दिये और ऐसा ज्ञात हुआ है कि उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ। साथ ही साथ मार्च के महीने में पिछले वर्ष जब गुप्ता जी की सरकार थी तब भी इसका प्रश्न उठाया गया था। कैमारिया गांव के रहने वाले लोग जो उन जमीनों को १२-१२ साल से जोत रहे थे, उनको वह जमीन नहीं दी गयी और न उनके पट्टे ही उनके नाम किये गये। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था गाँव सभाओं में फैली हुई है। आये दिन शिकायतें होती रहती हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

आपके समक्ष एक छोटा-सा उदाहरण पेश करता हूं। थोड़ा समय हुआ कुछ रुपया इस सरकार की तरफ से खाद के गड्ढे बनाने के लिये ग्राम सभाओं को दिया गया था। हमारे यहाँ

ब्लाक प्रमुख ने वह रुपया ग्राम सभाओं के सभापतियों को दे दिया। उस रुपये से किसी ने अपने लड़के का विवाह किया, किसी ने लड़की का विवाह किया और किसी ने मकान बनवा लिया, इस प्रकार से उस रुपये का दुरुपयोग हुआ। और एक भी पैसा खाद के गड्ढों पर खर्च नहीं हुआ। ४० हजार रुपया वैसे ही बरबाद हो गया। इस प्रकार से जो यह भ्रष्टाचार हुआ, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इन सब की जिम्मेदार वह सरकार थी जो उधर के बैठने वालों की थी, जिन्होंने अपने २३ साल के राज्य में प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोल बाला किया। यह सत्य है कि जो व्यक्ति स्वयं सिगरेट नहीं पीता, उसका बेटा भी सिगरेट नहीं पीयेगा। यह सही है कि हमारे उन नेताओं ने, जिन्होंने जनता की सेवा करने की शपथ खायी थी, जिन्होंने गांव-गांव घूम कर वोट मांगे थे, उन्होंने चुने जाने के बाद गांव वालों को घूम कर भी नहीं देखा कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। लेखपाल ही उनके लिये सबसे बड़ा अधिकारी था और सिपाही ही उनका सबसे बड़ा हाकिम।

उन्होंने जनता के सामने तो यह वायदा किया था कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, अनेक प्रकार की सुविधायें देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कभी न सोचा कि उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। यह जरूर है कि हमको प्रजातन्त्र की प्रणाली अपनानी चाहिये और चुनावों को शीघ्र कराना चाहिये था। लेकिन मंत्री जी ने बताया कि हम संशोधन बिल ला रहे हैं लेकिन खराबियां बहुत हैं इसलिये जैसे बड़ी बीमारी के उपचार के लिये बड़े डाक्टर और अधिक समय की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार इसमें भी देर लगेगी। इसलिये उसके लिये समय बढ़ाने का यह प्रस्ताव सदन के सामने लाया गया है। मैं समझता हूं कि विचारपूर्वक जो बिल लाया जायगा, उससे ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की सारी खराबियां दूर हो जायेंगी। और हम भी चाहते हैं। तो आप को इसका विरोध नहीं करना चाहिये। आप का विरोध केवल इसलिये है कि आप उस तरफ बैठे हैं। लेकिन सच बात यही है कि आप भी स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं और हम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं यह संशोधन विधेयक गांव सभाओं में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लायेगा। प्रजा में स्वच्छ प्रशासन की लहर बढ़े इसके लिये यह बिल पेश हुआ है। आपने २३ साल में जो भ्रष्टाचार इकट्ठा किया है उसको हम दूर करेंगे।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

जो मंत्री जी विधेयक को लाये हैं वह २० साल तक किस तरफ बैठते रहे?

श्री हरनरायन---

आप शायद इस बात को भूल गये कि सूरदास बड़े व्यभिचारी थे परन्तु बाद में वह इतने तपस्वी हो गये जिसका प्रमाण आपके सामने मौजूद है। तुलसी दास जी का भी पहले यही हाल था।

(व्यवधान)

तो आप अपने प्रश्न का उत्तर केवल इन्हीं शब्दों से समझ लीजिये कि आदमी बदल सकता है। अब वह हमारे साथ स्वच्छ हो कर आये हैं यह मैं आप की जानकारी के लिये बता दूं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके सुधार के लिये बहुत ही शीघ्र बिल लायें और चुनाव भी ६ महीने के अन्दर हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जो प्रस्ताव रखा गया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। १९६१ में इन क्षेत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह]

समितियों और पंचायत समितियों के चुनाव हुये थे। लगभग १० वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के अन्दर स्वच्छ प्रशासन आया है और उस स्वच्छ प्रशासन का पहला काम यह है कि इन समितियों का समय दो साल और बढ़ा दिया जाय, यानी पूरे १२ साल कर दिये जायं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब इन समितियों और जिला परिषदों का गठन किया गया था तो उसके पीछे क्या उद्देश्य था। उसक पीछे उद्देश्य था कि प्रशासन को विकेन्द्रित किया जाय और समाज के भिन्न-भिन्न अंगों तक राज सत्ता पहुंचाई जाय। लेकिन मेरे माननीय मित्रों ने चाहे आज वह इस तरफ बैठे हों या इन्दिरा गांधी की कांग्रेस के साथ हों, चाहे चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रान्ति दल के साथ हों यह टुकड़े तो आज हुये हैं, आज के पहले ये तीनों दल एक साथ थे।

इन दलों की क्या नीतियां रही हैं। ये नीतियां उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये नहीं रहीं जिनके आधार पर सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए यह स्थानीय संस्थाए बनायी गयी थीं। उन्होंने देहातों में सामन्तवादी तत्वों को, बड़े-बड़े जमींदारों को प्रोत्साहन दिया और आखिर को इन गांव सभाओं, ब्लाक्स और जिला परिषद् पर हावी हो गये। उसका नतीजा यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जमींदारी उन्मूलन किया गया तो यह प्राविधान रखा गया था कि फालतू जमींदारियां ग्राम-समाज में वेस्ट करेंगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितनी जमीन अब तक वेस्ट हुई है? कितने प्रतिशत जमीन खेतिहर गरीब किसान को, हरिजन किसान को मिली है और कितनी वह धरती है जो बड़े-बड़े धनी किसान, भूतपर्व जमींदारों को जिन्होंने इन ग्राम समाज क जरिये, भूमि प्रबन्धक समितियों के जरिये तिकड़मबाजी से उस जमीन को हड़प लिया, उनको कितनी मिली है। आज इस समस्या के होते हुये भी ग्राम समितियों का कार्यकाल दो साल के लिये बढ़ाया जा रहा है। यह जमाने की सत्ता का कुचक्र है। अगर कोई गरीब किसान अपनी जमीन की लड़ाई लड़ने के लिये आयेगा तो आप उसको कुचल देंगे। आप आन्ध्र की, बंगाल की, बिहार की मिसाल ले लीजिये। ये प्रान्त आज आपके लिये चुनौती हैं। जो भूमि के चोर थे, जिन्होंने चोरी कर के भूमि हड़प ली है, अगर उनके हाथों से छीनकर गरीब किसानों में, खेतिहर मजदूरों में यह नहीं बांटी गयी तो आप के प्रदेश में भी वही हालत हो सकती है। आज वे पुलिस के डंडे से डरने के लिए तैयार नहीं हैं, जेलों में जाने से घबराते नहीं हैं। अगर दोबारा से बटवारा नहीं होता तो इस प्रदेश के अन्दर भी वही चीजें होंगी जो बंगाल में, आंध्र में हो रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चीज को देखें।

इन ग्राम समाज के जरिये आपने जमीनों की लूट कराई, इन सभापतियों के द्वारा आपने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का व्यापक साम्राज्य देहातों में पहुचा दिया। मैं पर्वतीय जिलों से आया हूं। वहां देखिये कि जब तक कोई गरीब किसान प्रधान जी को रिश्वत नहीं देता तब तक उसकी कोई सिचाई की योजना, पेय जल की योजना पूरी नहीं होती। जब तक प्रधान जी गांव सभा की तरफ से बी० डी० ओ० की जब गरम नहीं करते गांव की कोई स्कीम मंजूर नहीं होती। टोटियां बनी हैं पेय जल के लिये लेकिन पानी नहीं आता, नहरों में पानी नहीं सीमेंट की चोरी होती रहती है। जो बी० डी० ओ० (एम० आई०) होता है उस के जरिये भ्रष्टाचार का व्यापक राज देहातों में फैला हुआ है। शास्त्री जी ने एक प्रश्न उठाया था और सही है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी उत्तर दें। पंचायती राज में कुछ पंचायत मंत्री हैं, आज उनकी क्या हालत है,। सरकार कहती है कि ये उनके कर्मचारी नहीं, जिला परिषद् कहती हैं कि ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं। पंचायतें कहती हैं कि ये उनके कर्मचारी नहीं हैं। तो यह पता नहीं है कि आखिर ये किसके कर्मचारी हैं। ये सरकारी कर्मचारी हैं, जिला परिषद् के हैं, गांव समाज के हैं, किसी को पता नहीं है और प्रशासन का सारा भार इन्हीं पंचायत मंत्रियों पर पड़ता है। कलेक्टर साहब दौरे पर जायेंग तो पंचायत मंत्री सब पकड़ कर बुलाये

जायेंगे। डी० पी० साहब जायेंगे, बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० जो भी जायेंगे तो ये पंचायत मंत्री उनकी सेवा में हाजिर रहेगा। नियोजन विभाग का कोई अधिकारी पहुंचेगा तो पंचायत मंत्री उनकी सेवा में हाजिर रहेगा। लेकिन उनको नहीं मालूम कि वह किस विभाग में मुलाजिम हैं और उस की सेवा की शर्तें क्या हैं।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं वहां आप प्रशासन के अन्दर कर्मचारियों के बीच में जो असमानता है, ग्राम सेवकों के बीच में जो असमानता है उसको भी खत्म करें। इसलिये मान्यवर, मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों का दो साल क लिये कार्यकाल बढ़ाना उसी तरह से गलत है जिस प्रकार से आपने जिला परिषदों को खत्म किया है। जो इस संबंध में तर्क दिये जाते हैं वह परस्पर विरोधी हैं। जिला परिषद् को आप खत्म करना चाहते थे जिसके हाथ में जिला परिषद् का नियोजन का सारा काम था। उनको आप भंग करके सारा काम जिलाधिकारियों के हाथ में देते हैं। एक नौकरशाही के हाथ में वह काम देते हैं लेकिन निम्न स्तर पर जहां तक क्षेत्र समितियों का सवाल है, पंचायतों का सवाल है उनको समाप्त नहीं करना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि विरोध क्यों है? उसकी आवश्यकता सरकार को महसूस होती है। इनके चुनाव हुये १० साल हो गये हैं अब २ साल के लिए और बढ़ाना चाहते हैं।

६१ में क्षेत्र समितियों और पंचायत समितियों का चुनाव हुआ था। अब आप चाहते हैं कि २ साल के लिए उनको और मौका दिया जाय लेकिन जिला परिषदों को आपने तुरन्त ही भंग कर दिया। इसके पीछे मान्यवर, जैसा कि कुछ दलों की ओर से प्रश्न उठाया गया था। ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहते थे कि जिला परिषदें रहें। इसलिये उनको भंग करने की आवश्यकता पड़ी। यह भी है कि असेम्बली के चुनाव होने वाले थे और जिला परिषदों में कुछ दलों का बहुमत था तो आपने उनको उनके अधिकार से महरूम कर दिया। मैं समझता हूं यह बात है।इ सलिये मेरा निवेदन है यह बात गलत है तो इसका विरोध किया जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस बिल को पास करने की जल्दबाजी न करे। एक नया कानून बनाना चाहिये। उसमें समय लग सकता है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोगों को जमीन नहीं दी जिनके बारे में भ्रष्टाचार का सन्देह नहीं था जो आदमी भूमि पर काम कर सकते थे उन गरीब किसानों को भूमि नहीं दी गई। दूसरे लोग ही उस जमीन को हड़प गये। इसलिये मै यह समझता हूं कि सरकार इसको जल्दबाजी में पास न करे। इसके बारे में फिर से पूरा बिल सदन के सामने रखे और तब तक के लिये ये तमाम जो समितियां हैं इनको समाप्त कर दे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों की स्थापना अपने देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए और शासन के विकेंद्रीयकरण के उद्देश्य से की गई थी। यह इसलिये किया गया था कि पंचायतों के माध्यम से हम अपने प्रदेश के गांवों में नियोजन कार्य कर सकें और उनका विकास कर सकें। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि १०,११ वर्ष बीतने के बाद भी हम उनका चुनाव फिर से नहीं करा सके। पंचायतों की स्थिति जैसी थी वह वैसे ही वास्तव में बनी हुई है। ऐसा क्यों हुआ अगर इसके पीछे एक निश्चित दृष्टि से विचार करें तो मालूम होगा कि इसका मुख्य कारण यह रहा है कि चाहे कोई भी सरकार रही वह इन पंचायतों के प्रति उदासीन रही है। १० वर्ष बीत गये हैं लेकिन पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ। इस सदन के अन्दर सभी दलों के सदस्य बैठे हुये हैं, इसके लिये वे सभी दोषी हैं।

मुझे स्मरण है कि जिस समय सब से पहले १९५९ में यह दूसरा चुनाव पंचायतों का हुआ था उस समय यहां पर कांग्रेस दल का शासन था। ५ वर्ष के बाद यह आशा की जाती थी कि उसका कार्यकाल समाप्त होते ही फिर से उसके चुनाव करायें जायेंगे लेकिन कहा यह गया

[श्री भगवती सिंह विशारद]

कि जनरल एलेक्शन होने जा रहे हैं इसलिये उस समय चुनाव नहीं हो सकते हैं । चुनाव टाल दिये गये । ६७ में चुनाव हुये और हमारी संविद की सरकार बनी जिसमें कई दल सम्मिलित थे, जनसंघ भी उसमें सम्मिलित था । जो लोग प्रजातंत्र की दुहाई देकर आज इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार जानबूझकर इस कार्यकाल को आगे बढ़ाना चाहती है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय राम प्रकाश जी क्या उस समय मंत्रि-मंडल में नहीं थे ।

इसी तरह से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रामधारी शास्त्री जी ने शिकायत की और प्रजातंत्र का हवाला दिया । मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्व० डा० राम मनोहर लोहिया का भी संविद को आशीर्वाद प्राप्त था । माननीय प्रभु नारायण सिंह एवं जायसवाल जी उस समय मंत्री थे । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी परिस्थितियां ऐसी थीं जिनकी वजह से चुनाव नहीं कराये गये । मान्यवर इसके बाद विधान सभा भंग हुई और राज्यपाल जी का शासन हुआ और वह भी असफल रहे कि अपने प्रदेश में पंचायतों का चुनाव करा सकते ।

मान्यवर १९६९ में चुनाव हुये और फिर कल्पनाथ जी की सरकार बनी और अब आज जो सरकार बनी है उसकी तरफ से संशोधन आ गया है कि एक साल के लिए कार्यकाल बढाया जाय । आज पंचायतों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है । राजनैतिक दलों का ध्यान उस समय उधर जाता है जब विधान परिषद् के चुनाव होते हैं और उस समय यह मालूम पड़ता है कि गांव में प्रधान की कोई हैसियत है। यह हमारे वोटर हैं, इसलिये उनकी तरफ ध्यान जाता है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि गांव पंचायतें बिल्कुल निर्जीव हो गई हैं, उनमें गति नहीं रही है जिसके कारण अब किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है । अगर किसी में थोड़ी-सी गति है तो वह प्रधान में है । कतिपय प्रधान आदमखोर से हो रहे हैं । जहां पर चकबन्दी हो रही है, हरिजनों के लिये जमीन छोड़ी जानी चाहिये या जहां बचत की जमीन छोड़ी जानी चाहिये, उन सब पर उक्त कतिपय प्रधान कब्जा कर रहे हैं । वह किसी न किसी बहाने से इन जमीनों को अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को देकर धांधलेबाजी कर रहे हैं ।

मान्यवर अगर आप चाहें तो एक इंच भी जमीन किसी को नहीं दे सकते । अगर राष्ट्रपति भी चाहें तो किसी को एक इंच जमीन नहीं दे सकते मगर, मान्यवर, प्रधान इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह जितनी जमीन चाहे उसका वितरण कर सकता है । उसको रोकने का न कोई नियम है और न उसको रोकने की कोई चेष्टा करता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह आश्वासन दें कि १९७० के अन्दर इस प्रदेश में पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से हो जायेंगे । पंचायतों की वर्तमान चुनाव प्रणाली से गांव-गांव में एक प्रकार की खराबी पैदा हो गई है । वहां पार्टीबन्दी हो गई है और इसकी वजह से गांवों में एक द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा हो गया है ।

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि पंचायतों और क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के संबंध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाय और उस विधेयक को इस सदन से स्वीकृति करा के इस बात की कोशिश की जाय कि इस वर्ष के अन्दर निश्चित रूप से चुनाव हो जायेंगे । मान्यवर, पंचायत मंत्रियों के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया गया है और मैं भी मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इनकी ओर ध्यान देने की कृपा करें । गत सरकार में प्लानिंग विभाग नारायण दत्त जी के पास था । वह एक बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्हें प्लानिंग से बड़ी रुचि थी लेकिन मुझे यह जान कर बड़ी दुख हुआ कि उन्होंने अपनी योजना को पंचायत मंत्री के साथ जोड़ दिया । उन्होंने निश्चय किया कि पचायत मंत्रियों को वही वेतन दिया जायेगा जो लेखपाल को मिलता है लेकिन वह सारे पंचायत मंत्रियों को एक साथ नहीं दिया जायेगा ।

एक वर्ष १/५ को दिया जायेगा, दूसरे वर्ष १/५ को दिया जायेगा, तीसरे वर्ष १/५ को दिया जायेगा, चौथे वर्ष १/५ को दिया जायगा और पांचवें वर्ष १/५ को दिया जायेगा। इस प्रकार सारे पंचायत मंत्रियों का वेतन अपनी पंचवर्षीय योजना की तरह पूरा करेंगे । तो मान्यवर यह उत्साहवर्धक नहीं हैं। मान्यवर चाहिये तो यह था कि एक बार कोशिश करके जितने पंचायत मंत्री थे उन सब को एक साथ लेखपालों का वेतन दिलाते, मगर ऐसा नहीं हो सका ।

अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर विचार करें । पंचायत मंत्री से जितने काम लिये जाते हैं इस प्रदेश में उतना काम अन्य किसी कर्मचारी से नहीं लिया जाता । उनकी दशा पर विचार करते वे इस बात का भी आश्वासन दें कि अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति पंचायत मंत्रियों को भी वह वेतन और अन्य सुविधायें दिलाने की कृपा करेंगे । मैं इस बात की मांग करते हुये कि जिला परिषद और क्षेत्र समिति तथा पंचायत के संबंध में एक विधिवत् और संपूर्ण बिल भी लावें जिसमें उसकी त्रुटियां दूर हो सकें और उस बिल को इस सदन से पास कराकर इसी वर्ष चुनाव करने का आश्वासन दें मैं उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, भाई भगवती सिंह जी विशारद ने सही कहा कि इस आदरणीय सदन के लगभग सारे दल इस बात के अपराधी हैं कि पंचायतों का चुनाव समय में नहीं हो रहा है। समय-समय पर प्रत्येक दल इस बात का जिम्मेदार हुआ कि उसने बराबर किसी न किसी बहाने चुनाव को टाला है और कार्यकाल को बढ़ाया है। मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि इसका कारण है क्या ? श्रीमन्, पंचायत के विचार के साथ उत्तर प्रदेश के नेताओं का विचार मिलता नहीं, पंचायत के स्वरूप को ईमानदारी से इस प्रदेश में स्वीकार नहीं किया गया है । इसलिये येनकेन प्रकारेण बराबर समय बढ़ाया जाता रहा है और आज भी समय बढाने के सिलसिले में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । श्रीमन्, पंचायत की जो दुर्गति इस उत्तर प्रदेश में हुई है ऐसी किसी प्रदेश में इस देश के नहीं हुई है ।

श्रीमन्, सबसे पहले सौभाग्य इस प्रदेश को प्राप्त हुआ था कि पंचायत राज कानून स्वीकृत हुआ और एक साथ पूरे प्रदेश में लागू हुआ । उत्तर प्रदेश के बाद सौराष्ट्र में और उसके बाद धीरे-धीरे अन्य प्रदेशों में पंचायत राज कानून बना । फिर पंचायत राज से यह पंचायती राज बन गया जैसे गोल्ड के आगे गोल्डेन आ गया और समाजवाद के नाम पर समाजवादी समाज की रूप रेखा स्वीकार हुई उसी तरह से पंचायत से पंचायती राज हो गया और पंचायत की भावना का सर्वनाश हो गया । मुझे याद है स्वर्गीय भार्गव साहब जब पंचायत राज के निदेशक थे उनके जमाने में जो पंचायत के प्रति लोगों में आस्था और विश्वास था वह आज नहीं है । वह क्यों नहीं है श्रीमन्, वह इसलिए नही है कि आज जो लोग सत्ता में है जो सरकारी अधिकारी है उन्हे स्वयं पंचायती राज पर विश्वास नहीं है । एक दिखावे के लिए लोगों ने पंचायतीराज का ढकोसला स्वीकार किया है और उसको किसी प्रकार चलाये रखना चाहते है ।

श्रीमन् पंचायत राज के सिलसिले में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की जो दुर्दशा है उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मैनेजर सिंह]

पंचों का चुनाव समय से होगा और जो ग्रामीणों में उत्साह की भावना थी वह मरने न पाती इस प्रकार की प्रक्रिया रहती है। । कहा जाता है कि पंचायतों में भष्टाचार पनप रहा है और प्रधान लुटेरे हो गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीणजन सीधे-सादे हैं और उन्हीं में से हमारे प्रधान भाई भी हैं और वह आज भी अपने क्षेत्र में इस सदन के विधायकों से कम नहीं हैं वरन् उनसे अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस भष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत कुछ किया है परन्तु साथ ही कुछ ऐसे भी है जिन्होंने इसको और अधिक पनपाया है। इस प्रकार के लोग आज भी वर्तमान हैं जिन्होंने शासन के कर्मचारियों को प्रसन्न करके प्रधान पद पाया और प्रधान बने । जो लोग पैसा खर्च करके पंच बने हैं, प्रधान बने हैं वे ही लोग हैं जिन्होंने पंचायत की सम्पत्ति का अपहरण करावाया है, स्वयं किया है।

हमारे जिले में एक ठाकुर साहब हैं जिन्होंने ३०० रु० देकर चुनाव अधिकारी के द्वारा अपने विपक्षी का पर्चा वापस दिलवा दिया । इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार क तिकड़मी प्रधान आते हैं और आते रहेंगे और अपनी तिकड़म के द्वारा प्रधान आदि बन जाते हैं परन्तु इसमें भष्ट कर्मचारियों का उनको सहयोग मिलता है। जो प्रधान ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की सहायता से आये हैं वे प्रधान बनकर भ्रष्ट तरीकों को अपनाते हैं। बन्दोबस्त करने के कुछ नियम हैं । उन स्वीकृत नियमों के अनुसार यदि कोई प्रधान स्वयं किसी को कोई घूस नहीं दे सकता तो वह उसको ले भी नहीं सकता है। प्रधान गांव समाज की भूमि, जमीन का बटवारा उन्हीं नियमों के अनुसार कर सकता है जैसा कि उनको नियम के अनुसार अधिकार है। उस बटवारे की स्वीकृति उसको एस० डी० एम० और तहसीलदार से करवानी पड़ती है। यदि कहीं पंचायत के किसी प्रधान ने कहीं कोई गलत पट्टा किया तो उसकी जिम्मेदारी शासन की है क्योंकि उस शासन के भ्रष्ट अधिकारी उस पट्टे की पुष्टि करते हैं ।

तो मैं इस सिलसिले में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में एक नौजवान एस० डी० एम० गया । वह वहां ३–४ महीने ही रह सका और उस बीच में उसने ७–८ लेखपालों का बस्ता ज़प्त कर लिया, ५,७ प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही की और उनको मुअत्तल कर दिया । इसी समय प्रधानों द्वारा अपीलें दाखिल होने लगीं जिलाधीश के पास जिलाधीश को इस काम को स्वयं देखना चाहिये । अपीलों का रिव्यू जिलाधीश को स्वयं करना चाहिये परन्तु उसने इस काम को करने के लिए अपने ए०डी०एम० श्री जैपुरिया को तैनात किया । श्री जैपुरिया ने रिश्वत लेकर आदेश को स्थगित कर दिया । मुझे इस बात का दुख है कि जबकि यह काम स्वयं जिलाधिकारी को करना चाहिये था उसने उस काम को एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को दे दिया । इसमें दो ही प्राविधान हैं कि या तो उसकी पुष्टि हो या फिर उसको निरस्त किया जाय। इस प्रकार मैं यह बताना चाहता हूं कि बलिया के जिलाधिकारी ने भी हजारों रुपये घूस के लिए प्रधानों से ऐसी चीजों के कारण ही भष्टाचार को बढ़ावा मिलता है । क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कलेक्टर और एस०डी०एम० का पद सुशोभित करते हैं, कार्यवाही करेंगे ?

हमारे भाई हरनरायन जी को स्वच्छ प्रशासन दिखलाई पड़ रहा है। ठीक है, नारे के लिये ठीक है जैसे समाजवाद का आज हाल हो गया है । सारे लोग जो समाजवाद के सिद्धांत के विरोधी हैं वह भी आज समाजवाद का नारे लगाते हैं । स्वच्छ प्रशासन होता तो आपका कलैक्टर हजारों रुपया रिश्वत लेकर बलिया की हजारों एकड़ जमीन जो कानूनन बलिया की हद में है उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर है उसे बिहार के सरकारी अधिकारियों के, बिहार के लुटेरे किसानों के हवाले न कर देते। तो मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार अगर है तो अफसरों की जो फौज है कर्मचारियों की जो फौज है, जो किसानों का शोषण करत हैं। उनकी वजह से है।

पंचायतों के बारे में बड़ी-बड़ी कल्पनायें थीं । मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा स्वर्गीय बलवन्तराय मेहता के साथ वर्षों रहकर पंचायत राज की शिक्षा ग्रहण करने का । हमारे श्रद्धेय जयप्रकाश जी के साथ भी रहने का मुझे अवसर मिला है। हमारे तीन प्रणेता थे--बलवन्त राय मेहता, जय प्रकाश जी, और हमारे तत्कालीन सामुदायिक विकास मंत्री । उनके दिलों में जो उमंग थी आज वह नहीं है । हमारे जय प्रकाश जी आज स्वयं कहते हैं कि आखिर पंचायत राज का क्या हो गया । श्रीमन्, इसमें क्षेत्र समिति के कार्यकाल विस्तारण का भी प्रस्ताव है । उसमें कैसे लोग आये ? जब संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो मैंने कहा था कि आप प्रधानों को लेकर जो क्षेत्र समिति गठित करते हैं, दूध में खटाई क्यों डाल रहे हैं । १६,१७,१८– कोआप्शन का प्राविधान कर दिया और कोई भी व्यक्ति प्रमुख पद के लिये खड़ा हो सके, जिला परिषद के लिए खड़ा हो सके । अगर यह छूट न होती तो ऐसे लोग जो जुर्मी हैं, भ्रष्टाचारी हैं अध्यक्ष न हुये होते ।

तो आपने पंचायतराज के घड़े में ऐसा सुराख कर दिया कि उससे पंचायतराज की सारी खूबी निकल गयीं । तो कार्यकाल, बढ़ाने की बात बिल्कुल गलत है । यदि ईमानदारी होती सूझ-बूझ होती, पंचायती राज के प्रति आस्था होती तो आप तत्काल १० दिन के अन्दर विचार करके एक व्यापक बिल लाये होते । उससे पंचायतों के गठन में और उसके क्रिया-कलापों में सुधार होगा और हम सर्वसम्मति से उसको स्वीकार करते । जैसे पिछली सरकारों ने बढ़ाया वैसे ही आप भी बढ़ा रहे हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि मुझे गलतफहमी नहीं है कि स्वच्छ प्रशासन आ गया है । जो पहले शासन रहा है, वह आज भी है । हरनरायन जी ने बहुत हल्के ढंग से कहा, महात्मा सूरदास और तुलसीदास जी का नाम लिया और कहा कि वह भ्रष्ट थे और कहा कि यह भी भ्रष्ट थे । यह बात हमारे लिये लज्जाजनक है कि हम तुलसी दास जैसे महात्मा के लिए भ्रष्टाचारी होने की बात कहें । इन महात्माओं ने तो सफाई के साथ अपनी कमजोरियों को भी लिख दिया ।

इसी तरह से पूज्य महात्मा गांधी ने भी अपनी नौजवानी की कमजोरियों को अपनी किताब में लिख दिया । यह तो उनकी महानता और बड़प्पन था और उसी का यह लक्षण है कि उन्होंने उनको छिपाया नहीं । उन्होंने कहा कि पंचायत राज मंत्री जी भी ऐसे ही हैं जो २० साल तक तो ठीक नहीं रहे और अब उन के साथ आने से ठीक हो गये हैं । हमारे मित्र बी० के० डी० के श्री महीलाल अपना सिर हिला रहे हैं, वह समझते हैं कि उनके साथ जिसका लगाव हो जायगा वह सोना हो जायगा और अगर अलग रहे तो वह लोहा हो जायगा । आपके साथ जो गया वह सोना हो गया, मैं भी कहूंगा कि मैं जब देखता हूं कि सौभाग्य से मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो मैं रफी साहब की जमात में रहा जिसके सिपहसालार हमारे यह पंचायत राज मंत्री थे, जिन्होंने यह विधेयक रखा है, उनके आज के कार्य को भी हम देखते हैं, उनका पहले का जीवन तो सराहनीय और अनुकरणीय रहा है लेकिन अब यह गढ़े में फंसे हैं । महीलाल जी का साथ जब से इनका हुआ है तब से इनको हर चीज उल्टी दिखाई देती है । मैंने किसी समय इन पंचायत राज मंत्री के नेतृत्व में काम किया है ।

माननीय गेंदा सिंह जी को और रावत जी को दोनों को मैं बुजुर्ग की तरह समझता हूं, वे अनुभवी लोग हैं और उन में क्षमता है लेकिन इस भ्रष्ट शासन द्वारा जो यह स्वच्छ प्रशासन के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अनुसार जिला परिषद् और क्षेत्र समितियां भंग हो रही हैं और उनका कार्यकाल भंग हो रहा है उन सबको समाप्त होने दीजिये और एक व्यापक तरीके से इत्मीनान से एक नया विधेयक संशोधन करके लाया जाय और बाद में उसको पास कराया जाय । ऐसा हो तो मैं आपको साधुवाद दूंगा । एक काम आप और करें जैसा कि नेगी जी न भी कहा अगर वह आप करेंगे तो आप अमर हो जायेंगे और आपको कोटि-कोटि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा । साथ ही उससे मुख्य मंत्री जी का दिमाग भी सही

[श्री मैनेजर सिंह]

हो जायगा । आज पंचायत राज में वह लोग हैं कि जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सा लिया है आधे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए गंवाया है, वैसे कम पढ़े-लिखे पंचायत मंत्री हैं उनको आगे बढ़ाने का आप ऐलान करें, न वह पंचायत के नौकर हों और न सेक्रेटरी के नौकर हों, वह सरकारी नौकर होंगे और ग्राम सेवकों की सेवा पंचायत मंत्रियों को भी दी जायगी ।

इस चीज के लिए आप कैबिनेट में दबाव डालिये क्योंकि वहां आप का बहुमत है, जो आप चाहेंगे वही पास हो जायगा, उस को मुख्य मंत्री जी रोक नहीं सकते, वह तो ऐसी दलदल में फंसे ही हैं । महीलाल जी भी कुछ न कर सकेंगे केवल पंचायत राज मंत्री जी के संकल्प का सवाल है, उन्होंने संकल्प कर लिया तो आपके हाथ में कुछ नहीं है । आपने इतना अपने जमाने में कर दिया तो आप का नाम अमर हो जायगा और हजारों परिवार के लोग आपको आशीर्वाद देंगे, पंचायत मंत्री से प्रधान तक और क्षेत्र समितियों के तमाम लोग आपको आशीर्वाद देंगे । इन शब्दों के साथ मैं अन्त में फिर कहूंगा कि इस विधेयक को वापस लिया जाय और इन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने दीजिये और इस संबंध में एक व्यापक विधेयक आप अपने अगले अधिवेशन में ले आयें, उसका हम भी समर्थन करेंगे । पंचायत मंत्रियों के वेतन के बारे में, ग्राम सेवकों की सेवा के बारे में तमाम घोषणायें आप सोच-विचार करके उसमें करें तो वह याद करेंगे कि श्री जगन प्रसाद रावत जी भी कोई मंत्री हैं और इस तरह से सूबे के कोने-कोने और गांव-गांव तक अपना नाम पहुंचा दीजिये । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

(श्री कल्पनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यदि आप देखें तो पायेंगे कि दलों के अनुसार हमारे किसी भी प्रतिनिधि को बोलने का अवसर नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बिल के संबंध में निश्चय हुआ था कि ढाई बजे तक इसे पास करना है इसलिये मैंने माननीय कल्पनाथ सिंह जी को जवाब देने के लिए बुलाया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और अपने विचार प्रकट किये । माननीय भगवती सिंह विशारद जी ने अपने विचार रखे, जो उस पक्ष के हैं । और उनके विचारों में हमें कुछ गहराई मालूम हुई । मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि इस सवाल को मैं कोई गलत नहीं मानता हूं । इस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से ये पंचायती संस्थायें फलें, फूलें, उन्नति करें और लोगों के अन्दर लोकतंत्र और पंचायत राज में आस्था पैदा हो । उस उद्देश्य में हमें तो पूरा विश्वास है और मंत्री जी भी संभवतः कमी लाने के लिए तैयार नहीं हैं । सिर्फ मौके बे मौके का सवाल है । यह अच्छा ही है कि हमें माननीय रावत जी के हाथ में यह विभाग है । इस संबंध में मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा और अधिकांश सदस्यों की यह राय रही है कि चुनाव जल्दी हों और पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक बलवती बनाया जा सके ।

आज की बदली हुयी परिस्थितियों के अनुकूल अगर एक बिल इस सदन में लाने के लिए सरकार की ओर से घोषणा हो जाय तो, मैं माननीय मैनेजर सिंह जी से भी अर्ज करूंगा कि उनके कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि इसको समाप्त कर दिया जाय । आप इस बिल को

चलाइये लेकिन मेरी प्रार्थना है कि सदन के सामने एक ऐसा बिल लाया जाय जिसमें उन सभी माननीय सदस्यों की भावना हो जिन्होंने इसकी बहस में भाग लिया है। हां यह बात जरूर है उसके साथ-साथ जैसा कि नेगी जी ने कहा कि अगर उनको जिन्दा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप जिला परिषदों को भी पुनर्जीवित कर दें ताकि पूरा सिस्टम ही आपके सामने रहे और सब के बारे में सुविचारित व्यवस्थित ढंग से एक बिल इस सदन में ले आयें।

श्री मैनेजर सिंह—

मेरे भूत को आप जिन्दा करना चाहते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

बहुत से लोगों ने यहां पर कहा कि इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार है। मैं यह नहीं मानता हूं। सरकारी कर्मचारियों के अंकुश से कहीं किसी को भ्रष्टाचार की बात मालूम होती है तो इस मामले में आपकी राय और हमारी राय में कुछ अन्तर हो सकता है। मेरी राय में उसको कायम रखा जाय और अगर कोई परिवर्तन हो तो परिवर्तन कराया जाय लेकिन जाहिरा कोई मालूम नहीं पड़ा कि इसके उद्देश्य में किसी को शिकायत करने का अवसर हो। यह मैं जरूर कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपनी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर सके कि सरकार का इरादा क्या है और संभवतः यह स्थिति स्पष्ट हो गई होती बिल पेश करने के भाषण के साथ-साथ। तो शायद बहुत से माननीय सदस्यों को हो सकता था अपने विचार बदलने में सहूलियत होती। ये विचारों के आदान-प्रदान का स्थान है और खास तौर से इस पंचायत राज के मामले में तो मैं निश्चयपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पहले सोच लें और उसके बाद माननीय सदस्य, इसमें बहुत से लोग स्वयं भी ग्राम प्रधान हैं जैसे रियासत साहब, ऐसे लोगों की भी राय लेकर ऐसा पंचायत राज का ढांचा बनायें जिससे सचमुच मालूम हो कि विकेंद्रीकरण की नीति और उन पंचायती संस्थानों को सुदृढ़ करने की नीति के आधार पर हमारी दिशा हो और उसी दिशा में हम चलना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं।

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पंचायत राज के संबंध में अपने बहुत से सुझाव दिये। मुझे इस बात की ओर भी ज्यादा खुशी है कि इस संबंध में जितने भी माननीय सदस्य बोलें उन्होंने बिना किसी जोश के या बिना किसी दलगत भावना के केवल पंचायती राज के संबंध में ही उसकी नीति के संबंध में, उसके सुधार के संबंध में ही अपने विचार व्यक्त किये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब हमने पंचायती राज की स्थापना की थी तब कुछ दूसरे ही स्वप्न हमारे सामने थे और प्रारम्भ के कुछ दिनों में वे स्वप्न हमें सच्चे भी लगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया इस संस्था के अन्दर कुछ खराबियां आती गईं। उन खराबियों के लिये कौन जिम्मेदार हैं, अधिकारी, ग्रामीण जन, प्रधान या हम नेता लोग, मैं नहीं कह सकता। यह तो जनता ही जानती है।

मैं नहीं समझता कि इस बिल के लिए हमारे सभी सूबे के निवासी, कुछ ज्यादा या कम, सभी जिम्मेदार हैं। अब प्रश्न यह है कि इसका सुधार कैसे किया जाय। इसके लिये आवश्यक है कि हम इस सारे बिल को जो पंचायत राज ऐक्ट है उसको हर दृष्टि से दोबारा देखें। पंचायत राज के जो सेक्रेटरी हैं उनके भी अनुभव से लाभ उठायें, ग्राम प्रधानों के अनुभव से लाभ उठायें। माननीय सदस्यों के अनुभव से लाभ उठायें। दूसरे सूबों में यह पंचायत राज किस तरह

[श्री जगन प्रसाद रावत]

से कार्य कर रहा है उससे भी लाभ उठायें और उसके आधार पर हम एक ऐसा विस्तृत बिल लायें जिसको हम अधिक से अधिक उपयोगी बना सकें । भ्रष्टाचार के लिये या गलत कार्यवाही के लिये कम से कम उसमें गुंजाइश रहे । मैं आपसे यह स्पष्ट निवेदन कर दूं कि हमारा कोई इरादा यह नहीं है कि हम चुनावों को टालें । हमने इसको चालू रखने की आपसे एक साल की अवधि मांगी है । एक साल से कम में भी हम कोशिश कर सकते हैं । हम यह प्रयत्न करेंगे भी । एक साल से अधिक देने का प्रश्न ही नहीं उठता । जब बिल आयेगा उसके पहले और उसके बाद में जो भी संभव तरीका हमारे पास होगा आपकी भावनाओं को जानने में, ग्राम के प्रधानों की भावनाओं को जानने में, सारी ग्रामीण जनता की भावनाओं के जानने में, सब उपाय हम करेंगे । इसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है, बिल के तैयार करने में समय लग सकता है, लोगों की भावना जानने में समय लग सकता है, हो सकता है इसके लिये कोई कमेटी बिठाना पड़े जो जगह-जगह जाकर साक्ष्य ले और लोगों की राय जानें, इसमें समय लग सकता है ।

इसके अलावा आप देखें कि इनकी जिम्मेदारी तो बहुत है लेकिन साधन नहीं के बराबर हैं । सौ, दो सौ, चार सौ रुपये साल की आय में यह क्या कर सकती है । तो उनकी आय के साधन भी ढूंढने होंगे । तभी उनका कार्य सुचारु रूप से चल सकता है ।

पंचायत सेक्रेटरीज की बात कही गयी । सरकार को उनसे पूरी हमदर्दी है । हमने बहुत से कार्य कर्ताओं को इस विभाग में भेजा, उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है । जितना उनके ऊपर कार्य का भार है उस हिसाब से उनको सुविधायें बहुत कम हैं । फिर भी पहली मार्च, १९७० से हमने उनका वेतन लेखपालों के समान कर दिया है । उसके आगे भी क्या किया जा सकता है वह सोचना है ।

श्री चैतराम गंगवार (जिला बरेली)--

पंचायत सेक्रेटरीज का कार्य ग्राम सेवकों के समान है, तब ग्राम सेवकों के समान उनको वेतन और सुविधायें क्यों नहीं दी गयीं, लेखपाल के समान वेतन देना क्यों ठीक समझा गया, इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे दें ।

श्री जगन प्रसाद रावत--

मैं समझता हूं कि जो विषय इस समय सामने है वह इससे परे है । जब हम पूरा बिल लायेंगे तब इस पर विचार करेंगे । आज तो जो बिल हमारे सामने है वह बहुत सीमित है । यह बरसों से चलता आ रहा है । इसमें किसी का दोष है या नहीं, यह मैं नहीं कहता । मैं यह भी धृष्टता नहीं कर सकता कि इसमें जो कुछ दोष था वह पहली सरकार का था । गुप्ता जी की सरकार में अगर मैं २० वर्ष रहा तो उनकी अच्छाइयों का भी मुझे लाभ हुआ, अगर कुछ खराबियां थीं तो उसका नुकसान भी हुआ । अच्छाइयां और खराबियां दोनों ही मिलीं ।

एस०वी०डी० की भी सरकार बनी । कांग्रेस के अलावा उसमें सभी दल थे । उसने कोई करिश्मा कर दिखाया हो, यह भी देखने को नहीं मिला । करिश्मा कोई वास्तव में दिखा भी नहीं सकता । जो राष्ट्र का चरित्र है, उसमें हम प्रयत्न ही कर सकते हैं । करिश्मा करने वाला तो कोई युग युगों में एक पैदा होता है । अपने लोगों के बीच तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता । मैं इतना कह कर अपने साथी माननीय कल्पनाथ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें । मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सुझाव गड़बड़ियों आदि को दूर करने के लिए, आप देंगे, प्रशासकीय आदेशों द्वारा जिनको दूर किया जा सकेगा, मैं वह अवश्य करूंगा । अलग-अलग अधिकारियों के भ्रष्ट होने आदि की भी जो शिकायतें आप मेरे सामने लायेंगे उस पर कार्यवाही की जायेगी । आपके सहयोग से मैं सभी खराबियों को दूर करने का प्रयास करूंगा । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं उतना मजबूत नहीं

हूं जितना कि मेरे और साथी हैं, मेरे कन्धे कमजोर हैं, लेकिन आपके सहयोग से मैं अपने कंधे मजबूत करना चाहता हूं । यही मेरा निवेदन है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमारी सारी बातों को सिद्धांत: स्वीकार किया है और यह कहा है कि वे बहुत जल्दी बिल ला रहे हैं और लोगों की राय लेंगे तथा उसके अनुसार ही बिल लायेंगे । इस सब को देखते हुये मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खं० २, ३ व ४

२--यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२ में, उपधारा (२) में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर "ग्यारह वर्ष" रख दिये जायं । — यू० पी० ऐक्ट सं० २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन

३--उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ८ में उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "चारह वर्ष" रख दिये जायं । — उ०प्र० अधिनियम सं० ३३, १९६१ की धारा ८ का संशोधन

४--उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है । — उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ८, १९७० का निरसन

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ व ४ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७०

यू० पी० पंचयात राज ऐक्ट, १९४७ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, अधिनियम, १९६१ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गण-राज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम १--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगन प्रसाद रावत--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७० पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाये।

श्रीमन्, हमारे संविधान में इस बात का प्राविधान अनुच्छेद २६७ के अप्तर्गत है कि एक काटीजेन्शी फण्ड आकस्मिकता निधि का निर्माण किया जाय। यह एक विशेष उद्देश्य से किया गया था। वैसे तो राज्य की जितनी भी आमदनी है या होती है, वह सभी संविधान के अनुच्छेद २६६ के अन्तर्गत निर्मित कंसालिडेटेड फण्ड (संचित निधि) जो राज्य का होता है, उसमें जमा होता है और कोई भी खर्चा बिना सदन की स्वीकृति के इस कंसालिडेटेड फण्ड से नहीं हो सकता है। इसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन संविधान बनाने वालों ने इस बात की गुंजाइश की कि अगर कोई अप्रत्याशित व्यय आ जाये, जिसका पहले से अन्दाजा न हो सके और विधान सभा की बैठक न होती हो और खर्चा आवश्यक हो, तो इस प्रकार के व्यय हेतु कंसटेलिडेट फण्ड से निकालकर एक कांटीजेंसी फण्ड का निर्माण किया जाये। सन् १९५० में यह विधेयक की शक्ल में आया और पहली बार ४ करोड़ रुपये का इसमें प्राविधान हुआ।

जिस समय यह ४ करोड़ का प्राविधान हुआ था उस समय प्रदेश का बजट लगभग १०० करोड़ रुपये का था। जबकि आज बजट की सीमायें और व्यय तब से ५ गुना और ६ गुना बढ़ गया है और योजनाओं का आकार भी ४ गुना, ५ गुना बढ़ गया है। इसकारण से अब अप्रत्याशित व्यय का खर्च भी बढ़ गया है। इस सम्बन्ध में मैं सदन के सामने एक उदाहरण दूं, जब चीनी मिलों को लेने के लिये रिसीवर नियुक्त करने का सरकार ने निश्चय किया, तो किसानों को गन्ना

---

† ३० अप्रैल, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पादन को देने के लिये साढ़े तीन करोड़ रुपया सरकार को चीनी मिलों के रिसीवरों को ऐडवांस देना पड़ा। और वह रुपया अगर एडवांस न दिया जाता तो फिर किसानों को गन्ने की कीमत न मिल पाती जो मिल मालिक भी नहीं दे रहे थे। इसलिये मिलों में रिसीवर नियुक्त किये गये। अगर रिसीवर मुकर्रर करने के बाद सरकार गन्ने का दाम भुगतान न कर पाती तो माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं की अवहेलना होती। इस पर चार करोड़ रुपये की धनराशि को अपर्याप्त पा कर १९६७ में २ करोड़ की धनराशि बढ़ायी गयी और छः करोड़ की गयी। अब ६ करोड़ की निधि कंटिजेंसी फण्ड में है, वह अपर्याप्त है। उससे आकस्मिक व्ययों की पूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए आज यह प्रस्ताव है कि आकस्मिकता निधि में ४ करोड़ रुपया और अधिक जमा कर दिये जायं। इस प्रकार कुल मिलाकर कंटिजेंसी फण्ड में १० करोड़ रुपया होगा और अप्रत्याशित व्ययों के लिये जैसे ही सदन पूरक बजट पास करेगा। पुरक बजट से इस निधि में फिर रुपया वापस कर दिया जायगा। यही इसकी प्रणाली है। मैं सम्मानित सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आकस्मिकता निधिकी जो अनिवार्यता है, और इसमें अप्रत्याशित व्ययों को वहन करने की जो मर्यादायें हैं उनके अनुसार सरकार इसका प्रयोग करेगी। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करे।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं सम्बधित विधेयक में यह संशोधन पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को जनता की राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया जाय और तत्पश्चात् तदनुकूल विचार हो।

हम भारत माता के संतान हैं। संतान तीन प्रकार की होती है। पहली संतान वह होती है जो अपने बाप दादा की दी हुई सम्पत्ति को न घटाये न बढ़ायें। वह पुत्र कहलाती है। जो संतान अपने बाप दादा की सम्पत्ति को बढ़ाती है वह सुपुत्र कहलाती है और जो संतान उस संपत्ति को घटाती है वह कुपुत्र कहलाती है। १९६७ से पहले आकस्मिक निधि ४ करोड़ थी। १९६७ में आकस्मिक निधि में २ करोड़ और ले लिया, ६ करोड़ कर दिया। यह शासन की मितव्ययिता है। अब १९७० में दस करोड की मांग कर रहें हैं और संयुक्त निधि में से घटा रहें हैं। इससे शासन की मितव्ययिता का खोखलापन जाहिर हो गया। अब जब कि माननीय बुजुर्ग, विकल जी का प्रस्ताव पारित हो चुका है कि १९० दिन सदन होगा, सदन भाग नहीं सकता, चाहे आपकी कुर्सी रहे या न रहे, फिर आप डरते क्यों हैं? जब आवश्यकता पड़ेगी विधान सभा से मांग सकते हैं। जितना सिंचाई पर, हरिजन कल्याण पर रुपया दिया जाता है वही नहीं खर्च कर पाते हैं। वह लौट आता है। जिन मदों में रुपया आपको दिया जाता है वही रुपया खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है आपकी। फरवरी तक आप उसको लिये बैठे रहते हैं। जब मार्च आया खर्च करो। रुपया जरुर खर्च हो रहा है लेकिन जो विकास होता है वह केवल कागज तकही सीमित होता है। लाल बहादुर शास्त्री जब एक दफा बनारस गये थे तो उन्होंने कहा था कि सारा विकास केवल कागज पर है, वह धरातल पर नहीं है। जो निधि सदन आपको देता है वही समय से खर्च नहीं हो पातीहै फिर उस पर आप आकस्मिक निधि मांग रहे हैं? क्या करेंगे आप? आप बाढ़,सूखा तथा आग की बात कहेंगे तो आप अभी से इन आपदाओं को बुला रहें हैं। जब हम कहते हैंकि लगान खेत का माफ करो तो आप कहते है कि किसान पानी चाहता है, लगान माफी नहीं लेकिन अब पानी कहां गया? सूखे की बात आप क्यों करते हैं? आपको सिंचाई की बढ़ी हुई दरों को खत्म करना होगा। बिजली के नलकूपों से किसान को पानी देना होगा लेकिन आप आसमान के पानी को दखते हैं लेकिन आकाश में पानी दिखलाई नहीं देता। नीचे अगाध समुद्र है उस पानी को निकाल कर आप खेतों में पानी दें लेकिन वह आपनहीं करेगें सूखे का मुकबला करने के लिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

पेयजल की कमी के कारण बलिया में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आप विदेशों में जायं और देखें। चीन में ह्वांगहो नदी विशाल रूप धारण करती थी लेकिन आज वह विकास को गति दे रही है। लेकिन आपके यहां हर साल बाढ़ आती है और उसका स्थायी हल नहीं खोजेंगे। दो किलो बाजरा आप बटवां देंगे। कुछ कपड़ा, दियासलाई मिट्टी का तेल इस आकस्मिक निधि से आप बटवा देंगे, उससे अधिक कर्मचारियों के भत्ते में खर्च हो जाता है। मैंने बलिया के कलेक्टर को लिखा कि कितना रुपया खर्च किया तो वह तालिका नहीं दे पाया। ऐसी निधियों से जो रुपया दिया जाता है उसमें कितना सदुपयोग हो पाता है? २५ रुपये दिये जाते हैं तो असली आदमी को १० ही मिल पाते हैं। १५ लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार खा जाते हैं और दूसरी ओर आप लोगों को भिखमंगा बनाते हैं मुफ्त अनाज बटवा कर। अंग्रेजों के जमाने में कोई मुफ्त अनाज लेने के लिये खड़ा नहीं होता था लेकिन आज आकस्मिक निधि के कारण लाईन लग जाती है और दो किलो बाजरा दिया जाता है। मकान अगर गिर गया तो २० रुपये दिये जाते हैं उससे न तो मकान बन पाता है वहां तथा २० में से १० रुपये की पूंजी तो आपके बड़े पंडों को चढ़ानी होती है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह खर्चे की निधि नहीं है। यह निधि आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिये है। सवाल सिर्फ इतना है कि सरकार के पास अब तक इस निधि में ६ करोड़ रुपया रहता था अब उसको १० करोड़ दिये जायं या न दिये जायं इस पर आप बोलें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

नहीं चाहिये, इसीलिये मैं कह रहा था कि आप कुपुत्र हैं। अभी आपने कह दिया कि हमने रिसीवर नियुक्त कर दिया। हमको इतने रुपये की जरुरत हुई और हमें किसानों और बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना पड़ेगा। चाहे आप रहे हों या चाहे कोई भी कांग्रेस सरकार रही हो, आप इन बड़े बड़े चीनी मिल मालिकों से पैसा लेते हैं और किसान को पैसा दिलाने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दिया। मैं कहता हूं कि क्या जरुरत थी रिसीवर नियुक्त करने की? यह आपने बड़ा भारी पाप किया है कि आपने रिसीवर नियुक्त कर दिया। अब स्थिति बदल गई है। अब ९० दिन कम से कम विधान सभा का सत्र चलेगा। जो कुछ आप खर्च करेंगे वह विधान सभा के सामने आयेगा। आप १० करोड़ रुपया क्यों मांग रहे हैं? एक करोड़ रुपया आप एक बार में खर्च नहीं कर सकते १० करोड़ रुपया आप साल भरके लिये मांग रहे हैं। विधान सभा की स्वीकृति के बिना आप नहीं कर सकते हैं। जब यह विधान सभा में आयेगा तो हम उस पर गौर करेंगे और बहस करेंगे। लेकिन इसके लिये तैयार नही हूं कि आकस्मिक निधि ६ करोड़ के बजाय १० करोड़ आपकी मरजी के अनुसार हो। यह उचित नहीं है कि जनता की गाढ़ी कमाई से आपको १० करोड़ रुपये दिया जायं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को सुना और बड़े गौर से सुना। आपने फरमाया कि आकस्मिकता निधि में आश्यकता इसलिये पड़ गई कि ४ करोड़ और पैसा जमा करने के लिये कुछ चीनी मिलों के रिसीवर मुकर्रर कर दिये। श्रीमन्, आप देखें फर्क इतना है कि आकस्मिकता निधि से आप जब चाहें सदन से स्वीकृति लेकर इसे खर्च कर सकते हैं। जब आपने इस बात की घोषणा की थी कि आप बड़े शोर शराबे में चीनी मिलों को ले रहे हैं, किन्तु यह पूछने पर कि उन्हें किस शक्ल में ले रहें हैं, कुछ पता नहीं चला कि सरकार क्या करने जा रही है। अगर सरकार को कन्फ्यूजन या मतभ्रम हो गया था तो उपाध्यक्ष महोदय यह न कटु होगा और

न ही अतिशयोक्ति । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा था और विधान सभा में घोषणा हो रही थी तब आपको अन्दाज नहीं हुआ कि आपको साढ़े तीन करोड़ रुपय की जरूरत होगी या नहीं ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान के माध्यम से यह पैसा आपको ले लेना चाहिये था । इस पर बहस होती । यह सदन आपको पैसा देता या न देता । और आज भी वह पैसा दे या न दे आना हर हालत में आपको सदन के सामने है । फिर भी अगर आप कर देंगे तो भी उनको अनुपूरक अनुदान के जरिये सेया दूसरे अनुदान के जरिये से लाना पड़ेगा और उसकी स्वीकृति लेकर आकस्मिक निधि से निकाल कर, वह पैसा आपको जमा करना पड़ेगा । लेकिन हमको ऐतराज यह है नंबर १ कि इस सरकार की कार्यप्रणाली क्या है और नंबर २ यह कि आप आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं । श्रीमन्, जरा उद्देश्य और कारणों को तो पढ़ लिया जाय जो माननीय मंत्रीजी के दस्तखतों से बिल के रूप में आपके सामने मौजद है । उसमें क्या है ? १ क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने और २ कीमतों के बढ़ने के कारण राज्य आकस्मिकता निधि में रखी हुई । ये दो कारण तो बताये गये उद्देश्य और कारण में और माननीय मंत्रीजी ने जो लेक्चर दिया उसमें कहा कि चीनी मिलों में जरूरत पड़ गयी ।

अब जरा गौर करें इन दोनों में से कौन सी चीज सही है । अगर चीनी मिलों के लिये जरुरत थी तो उद्देश्य और कारणों में इसको आना चाहिये था । अगर आपका यह कहना है कि कभी पड़ गयी तो आप बजट तो पेश साल भरका कर हो रहे हैं, उस बजट में इसी हिसाब से आपको रुपया रखना चाहिये था । आपको बजट ही बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से बनाना चाहिये था । क्रमिक विकास क्या हो रहा है यह भी दिखायी पड़ता नहीं है । अगर कोई ऐसी बात है जिसको आप इस सदन को बताना नहीं चाहते हों तो आपको और कुछ कहना नहीं था केवल यह कह देते कि 'जनहित में बताना उचित नहीं है । एक लाइन का लेक्चर दे देते और बात खत्म हो जाती । इस प्रकार से न तो आपका बजट ही सही मालूम पड़ता है, न आपके उद्देश्य और कारण सही हैं और न आपने जो चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्ति की बात कही, वह सही है । वास्तविकता कुछ और ही है जिसको मंत्रीजी बताना नहीं चाहते । शंका यह होती है कि माननीय मंत्रीजी कान्टिजेन्सी फण्ड में आसानी से अधिक से अधिक रुपया जमा कर देना चाहते हैं, और जब सदन बैठा न हो, मनमाने ढंग से उसको खर्च कर लें, आगे फिर जो होगा देखा जायगा ।

मैं जानता हू कि मंत्री जी बहुत विद्वान हैं लेकिन उनकी चतुराई का कुछ लाभ सदन को भी मिलना चाहिये तथा इस सदन को पूरी जानकारी हो जाय तो अच्छा है । यह भी हो सकता है कि सामूहिक जिम्मेदारी के कारण माननीय मंत्री जी को यह काम करना पड़ रहा हो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी इस सदन को पूरी पूरी जानकारी करायेंगे कि सरकार की कार्य प्रणाली क्या है । यह कुछ देखने के लिये नहीं मिल रहा है । इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया । और वह तो बड़े हिमायती हैं प्रजातांत्रिक विचारों के आदान प्रदान के । इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव किया कि सिर्फ एक सप्ताह में कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ने वाली है जिसमें आपकी सरकार को फेल हो जाने का खतरा हो अथवा कोई और दिक्कत हो । हां, एक बात जरूर हो जायगी कि यह सरकार उस शक्ल में है जैसे कि एक जानवर होता है जिसको उस्तरा देना खतरे से खाली नहीं होता । मैं चाहता हूं कि वह काम न हो ।

लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब तक सरकार अपना उद्देश्य निश्चित न करें और सफाई के साथ यह न बताये कि इन इन कारणों के लिये यह पैसा आवश्यक है तब तक बिना बजट के जो बजट हमारे सामने आने वाला है, एक साल का । काम तो इनका इस बजट से चल जायगा । अगर कही वैसी बात हो तो ६ करोड़ रुपये तो इनके पास हैं, चार करोड़ की बढ़ोत्तरी किस काम के लिये चाहते हैं ? और ६ करोड़ खर्च करने की अवधि कितने दिन की होगी ? जैसा कि माननीय शम्भूनाथ जी

[श्री कल्पनाथ सिंह]

ने कहा कि अब तो सदन प्रस्ताव कर चुका है कि फला तारीख से फलां तारीख तक हमको निश्चित बैठना है तो उतने पीरियड के लिये अगर ६ करोड़ रुपया पूरा नहीं पड़ता तो यह बताना आवश्यक है अन्यथा पैसे का दुरुपयोग इस सरकार के माध्यम से होगा और पैसे का दुरुपयोग कर लेने के बाद यह सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनायेगी कि हमारी सरकार चली जायेगी और सरकार रह जाय इस नाते से उधर के सदस्य इनके साथ हां कर देंगे, पास हो जायगा। इस समय अगर आप यह अधिकार लेना चाहते हैं तो स्पष्टतया बतायें कि किस वजह से आपको ४ करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

श्रीमन्, पूरे साल भर के लिये यह बात नहीं है। सिर्फ दो सत्रों के बीच की जो अवधि होगी जिसमें विधान सभा नहीं चलती होगी सिर्फ उस अवधि के लिये आपको आकस्मिकता निधि से इस्तेमाल की आवश्यकता होगी अन्यथा जब सदन चलता हो उस समय आप एक नहीं अनेक अनुपूरक बजट के माध्यम से इस सदन से अपने खर्चों की स्वीकृत ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन कारणों पर सरकार की तरफ से प्रकाश डाला जाय और अगर कोई खास बात न हो तो सरकार एक बात जरूर करे कि अगर इतने माननीय सदस्यों को यहां समझा सकने की स्थिति में नहीं है तो प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या १५ के बजाय १० कर दें, ५ कर दे ताकि जरा विचारों का आदान प्रदान तो हो जाय और मालूम हो जाय कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं अन्यथा हम यह समझेंगे कि सरकार इस पैसे का दुरुपयोग करने के लिये अकारण ही सिर्फ कीमतों के बढ़ाने के नाम पर यह कदम उठा रही है। एक तरफ यह कहते हैं कि कीमतों के बढ़ने के के कारण हमको यह खर्च चाहिये और दूसरी तरफ राज्य कर्मचारियों के लिये जो एक कमीशन बनाया गया उसको कह दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। बढ़ोत्तरी हुई कीमतों में, लेकिन सिर्फ सरकार के लिये। सरकारी कर्मचारियों के लिये नहीं हुई। क्या तर्क है कि बढ़ती हुई कीमतों के साथ वह इसको जोड़ना चाहते हैं। और कैसे सरकार कह रही है कि कीमतें बढ़ रही हैं?

रह गया क्रमिक विकास तो मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि किन किन मुल्कों में इस निधि से ऐसे किन किन प्रान्तों में इस निधि का इस्तमाल नियोजन के कार्यों में हुआ है। मुझे दो चार ऐसे प्रान्त बता दें या ऐसी मिसाल बतावें कि इस काम के लिये आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल हुआ है। संयोग से या दैवयोग से कहीं ऐसी घटना हो जाय कि तत्काल की जगह १०१ रुपया खर्च होने वाला हो तो १ रुपया इस निधि से निकाल लीजिये लेकिन ६ करोड़ रुपया, मैं नहीं समझता कि नाकाफी है डेढ़, दो महीने की अवधि के लिये। अगर खर्चे की यह रफ्तार सरकार की होती तो बहुत सी मद वापस न चली गयी होतीं, माननीय तिवारी जी भी जानत हैं। संयोग से यह सौभाग्य है कि तिवारी जी पी० ए० सी० के चेयरमैन भी काफी अर्से तक रहे हैं और इस समय वित्त मंत्री हैं। मैं उनके ज्ञान का लाभ इस मामले में चाहता हूं कि सदन को मिले क्योंकि प्रदेश की जनता चाहती है कि उसका एक एक पैसा अनुचित ढंग से खर्च न होने पाये। इसलिये मंत्री जी इस प्रस्ताव का स्वयं अनुमोदन करें और इसे प्रवर समिति को भेजने का कष्ट करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

मुझे ५ मिनट का समय दे दें, मैंने संशोधन दिया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

५, ५ मिनट सब को दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ३ बजे तक पिछले दिन तय करके आपने समय दिया है।

श्री भाभी—

मुझे दो मिनट ही दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन समझ लीजिये, इसके लिये दूसरी कार्यवाही करनी होगी । क्योंकि तीन बजे अपराह्न तक इसको समाप्त करना है ।

एक सदस्य—

आप सक्षम हैं, समय बढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन का फैसला है कि ३ बजे तक यह समाप्त हो जायगा । इसके बाद दूसरे भी बिल हैं । अब अगर रियासत साहब और भाभी राम जी बोलना चाहते हैं तो दो, दो मिनट बोल सकते हैं ।

(बहुत सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

इसके बाद भी कई बिल हैं जो ५ बजे तक पास होने हैं । कार्य मन्त्रणा समिति का फैसला है जिसको इस सदन ने भी स्वीकार किया है । अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई है । फिर भी अगर सदन की यह इच्छा है तो मैं १० मिनट का समय इस बिल के लिए बढ़ा देता हूं ।

श्री भाभी—

उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पेश किया गया है उसके विरोध में और अपने संशोधन के समर्थन में मुझे यह निवेदन करना है कि अभी तक सरकार की तरफ से जो विधेयक पेश होते थे हम लोग उस पर अपना संशोधन पेश करते थे । यही विधेयक ऐसा दखने में आया है जिस पर ऐसा नहीं है । यह जो आकस्मिकता निधि विधेयक है, मैं साफ कहना चाहता हूं ६ करोड़ रुपया तो पहले से है और ४ करोड़ रुपया ये और लेना चाहते हैं इसका मतलब यह साफ है कि इसका दुरुपयोग किया जायगा । समय की कमी है तो मुझे यह निवेदन करना है कि इस विषय में एक पैसा भी सरकार को नहीं मिलना चाहिये । वक्त जरूरत पर यदि रुपये की आवश्यकता हो तो अनुपूरक बजट लाकर यह लेना चाहिये । समय की कमी के कारण मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस पर इनको एक पैसा भी मिलने की आज्ञा नही मिलनी चाहिए ।

श्री रियासत हुसैन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी को इस बात की दाद देता हूं कि रुपया मांगने के वह नये नये तरीके लेकर आते हैं ।इस बात की जितनी भी दाद दी जाय उतना थोड़ा है ।बजट,सप्लीमेन्टरी बजट, वोट आन अकाउन्ट के तरीके से बजट आते हैं और रुपया लिया जाता है । इनके पास कंटिन्जेन्सी फंड में ६ करोड़ रुपया पहले से मौजूद है । ४ करोड़ रुपये की इनको और जरूरत पड़ गई है । कुछ प्लान्स में कमी पड़ गई और कुछ कारखानों के लिए भी इनको खर्च करना है । गन्ने के कारखानों के लिए रिसीवर जो रखे हैं उनको दिया जायगा । इस वजह से ४ करोड़ रुपया और चाहते हैं । एक बात मेरी समझ म नहीं आती कि रुपया लेना तो आसान है मगर उसके कारण सही रूप से नहीं बताये जाते । क्या यह इसलिये है कि अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए जो कमी पड़ती है इस ४ करोड़ रुपये के लिए उसका सहारा लेना चाहते हैं । अगर ऐसी बात है तो हांउस को पूरा हक है कि इस पर डिस्कशन किया जाय । कम से कम इस ४ करोड़ रुपये के लिए एक दिन पूरा इस हाउस को मिलना चाहिये था । हम इस बात पर अपनी नजर करते कि हमारी जो प्लानिंग चल रही है उसमें कहां तक कामयाबी मिल रही है ।

इरीगेशन के मामले में, रोड्स केप्मामले में, एजुकेशन के मामले में, शफाखानों के मामले में, इम्प्लायमेन्ट के मामले में, हाउसिंग के मामले में और हरिजनों के लिये पानी पीने की कहां तक

[श्री रियासत हुसैन]

व्यवस्था की गई है, इन सब चीजों पर हम अपनी नजरसानी करते तो पूरा समय चाहिये था। अब केवल हमारे सामने रख कर इस बिल को मन्त्री जी चाहते हैं कि इनको ४ करोड़ रुपय का अख्तियार दे दिया जाय। तो इसकी जितनी भी दाद दी जाय उतना अच्छा है। ६ करोड़ रुपये इनके पास फंड में पहले से मौजूद हैं और ४ करोड़ रुपया और चाहते हैं। लेकिन अगर यह भी रखा जाता तो हमें सूचनार्थ कुछ ऐसी बात बतलाते कि प्लान्स में कहां-कहां कमी पड़ती है, या छोटे प्लान्स में कुछ कमी पड़ती है तो उनको भी बतला देते और सूचनार्थ हमको कुछ दे देते तो ज्यादा उचित था कि रिसीवर को इतना दिया जायगा। तब हमको मालूम हो जाता कि ऐसी बात है मगर यहां तो "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो यक़ क़तरये खूंन न निकला।"

शकर के कारखानों का नेशनलाइजेशन बड़े धूम-धाम से उठाया गया, सब कुछ हो गया लेकिन जब विरोधाभास हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि हमने तो सिर्फ एरेन्जमेन्ट टेक ओवर करने की बात की है। इससे मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि न टेक ओवर करने की बात है, न नेशनलाइज करने की बात है बल्कि अपने चुने हुए आदमियों को रिसीवर बनाने की बात है। चाहे वह २२ फैक्टरियां हों, चाहे १५ फैक्टरियां हों, अगर आप उनकी लिस्ट उठा कर देखें तो आप को पता चलेगा कि किन-किन लोगों को रिसीवर बनाया है, किस आधार पर उनको बनाया है और उन्होंने क्या काम किये हैं। आप यह देखेंगे कि अपने कुछ चुने हुए आदमियों को रिसीवर बनाने के लिये यह सब किया गया है। प्रश्न के घण्टे में भी इसके बारे मे पूछा गया था। जो रिसीवर हैं, वह नादिरशाह हो रहे हैं।

आज मुरादाबाद में १० सेन्टर हैं, दस दिनों से बन्द पड़े हैं। किसान परेशान हैं, वहां कोई तोला नहीं है। किसानों का गन्ना लेना बन्द कर दिया है। कहते हैं कि तुम गुप्ता जी से हमदर्दी रखने वाले आदमी हो। नेशनलाइजेशन में सिर्फ यही है कि किसान का गन्ना सूख जाय और उसमें आग लगा दी जाय? रिसीवर्स के लिये ४ करोड़ रुपया और चाहिये कंटिन्जेंन्सी फण्ड में जिससे वे अपना काम आसानी से कर सके। इससे उनको ४ करोड़ रुपया और पानी की तरह बहाने के लिये मिल जायगा और उसका पता नहीं चलेगा कि वह कहां गया है। इसलिये मैं इस बिल का बिरोध करता हूं कि यह जनता का पैसा है। इस तरीके से हर दूसरे महीने कंटिन्जेन्सी फन्ड के नाम से पैसा लिया जाता रहेगा तो पैसे की बर्बादी होगी।

श्री चेत राम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि अभी उन्होंने यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया तो उन्होंने यह नहीं बतलाया या यह मेरी बुद्धि के पल्ले नहीं पड़ा कि इस रुपये की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्हों अपने भाषण में कहना चाहिये था यह मूल उद्देश्य होना चाहिये था लेकिन उन्होंने अपने भाषण में यह नहीं बताया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि आपने फैक्टरीज में रिसीवर अप्वाइन्ट कर दिये है, उनमें बढ़ोत्तरी हुई है जिसकी वजह से ४ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ी है। आप फैक्टरियों को नेशनलाइज करने जा रहे हैं, लेकिन जनता को इससे क्या सुविधा हुई है? मैं तो केन सप्लायर हूं। और केन सप्लायर की मुसीबतों को अच्छी तरह से जानता हूं।

बरेली फैक्ट्री में आपने एक एडमिनिस्ट्रेटर एप्वाइंट कर दिता। हमारे यहां बरेली फैक्ट्री है और दूसरी बहेड़ी फैक्ट्री है। गूलरबोझ और तराई फार्म गन्ने के सेन्टर है। भोजीपुरा बन्द पड़ा है। जो चीज मिल मालिक नहीं कर गये वह चीज यह आपके एडमिनिस्ट्रेटर लोग कर रहे हैं श्रीमन्, मैं एक बात पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि ४०, ५० आदमी तो उन्होंने रख दिये अब और कितने आदमी वह बढ़ाना चाहते हैं? इनको मंहगाई रोकना चाहिये और अगर रोक नहीं सकते तो चार करोड़ रुपये का दुरुपयोग न करें और अगर इनके शरीर में आत्मा विद्यमान है और इन शरीरों में गरीबों का लिहाज है तो मैं समझता हूं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिये।

और इस मंहगी को रोकना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, आप लाल बत्ती बार-बार दिखा रहे हैं इसलिये मैं श्री शम्भूनाथ जी चौधरी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इनको चार करोड़ रुपये की आज्ञा न दी जाय ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, इस विधेयक की प्रस्तावना के सिलसिले में माननीय सदस्यों ने तीन प्रकार के विचार व्यक्त किये । एक विचारधारा तो माननीय सदस्य मुरादाबाद की है जिन्होंने इसका आमूलचूल विरोध किया, दूसरी विचार धारा माननीय सदस्य बलिया की है जिन्होंने कि इसे सिद्धान्त से तो स्वीकार किया कि संशोधन होना चाहिये लेकिन जनमत की राय जानने के लिये परिचालित किया जाय,यह सुझाव दिया लेकिन उन्होंने कई दिनों की संख्या नहीं बताई कि कितने दिनों के लिये यह जनता के बीच में भेजा जाय । तो उन्होंने नियमों की पूर्ति नहीं की । श्रीमन, अगर नियमों के अनुसार कोई प्रश्न उठता तो ज्यादा उचित होता लेकिन मैंने इसलिये कि माननीय सदस्यों की राय से वंचित न हो जाऊं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया । उन नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मैं यह अवश्य कहूंगा कि उनका प्रश्न नियमों का पूरक नहीं था और उसमें एक त्रुटि रह गई है ।

तीसरी विचारधारा माननीय, सदस्य गोरखपुर की थी । उन्होंने भी इसको सिद्धान्त में स्वीकार किया कि संशोधन होना चाहिये । केवल वह प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं ७ दिन के लिये कि इसमें क्या संशोधन किया जाय । जो माननीय सदस्य सिद्धान्ततः इस संशोधन के समर्थक हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक होना चाहिये । जब वह इस विधेयक में संशोधन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और यह स्वीकार करते है कि छः करोड़ रुपया आकस्मिकता निधि में अपर्याप्त हैं और वृद्धि होनी चाहिये तो ज्यादा बहस नहीं रह जाती हमारे और उनके दरम्यान क्योंकि वह भी महसूस करते हैं कि रुपया बढ़ना चाहिये श्रीमन्, स्वतः माननीय सदस्य बलिया को ऐसी सूचना मिली है कि रुपया यह जो है खर्च करने के लिये है और मनमाने ढंग से कार्य किया जा सकता है । श्रीमन्, मैं उनको विश्वास दिलाऊं कि ऐसी बात नहीं है । यह निधि एक रिवाल्विग फण्ड के रूप में है और इसमें से जितना भी रुपया निकलना है वह रुपया पूरक बजट के रूप में सदन के सामने आता है और उसकी हर एक मद वोटिंग के लिये आती है ।

अगर एक मद का हो तो उसको वोट करक पास कर सकते हैं । ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैंक चेक दे दिया जाय और जितना हमारा मन जिसमें चाहा उसको खर्च कर लिया । ये तो केवल वे मदें हैं जिनका बजट में समाधान नहीं हो सका है । ऐसी आकस्मिक मदों के लिये अपरिहार्य व्यय इसके अन्तर्गत होता है । ऐसी मदों के लिये आकस्मिक निधि से रुपया लेकर सप्लीमेंट्री बजट में उसकी मांग की जाती है । जब यह सदन उसको पास कर देता है तब यह रुपया फिर उसको वापस कर दिया जाता है । कन्टीजेन्सी फंड कभी भी समाप्त नहीं होता । मान लीजिये कि अगर ६ करोड़ रुपया आकस्मिक मद में है जिसमें से साढ़े ४ करोड़ रुपया ले लिया । परन्तु फिर यही रूपया बजट के पास होने के बाद वापस कर दिया जाता है । इसको बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि राज्य में अब इतने आकस्मिक खर्चे होने लगे हैं जिन खर्चों को करना भी पड़ता है क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है । नियमों के अनुसार अगर हम इस प्रकार के खर्च करते हैं तो वे इस ६ करोड़ रुपयों की धनराशि से कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कभी कभी तो बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है और इसी प्रकार के बहुत से प्राकृतिक प्रकोप हुआ करते हैं, जो इसके अन्तर्गत आ जाते हैं । [illegible] माननीय सदस्य यह चाहेंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं, कि हम ऐसी स्थिति आने पर उस [illegible] तीन महीनों की प्रतीक्षा करें जब तक कि विधान सभा न बैठे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्होंने इन सभी बातों का संकेत नहीं किया है।

श्री रियासत हुसैन—

नेचुरल कैलेमिटीज का जिक्र उसमें नहीं किया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जो कारण अभी बताये गये हैं वे तो कम हैं और उससे भी कहीं ज्यादा और बहुत से कारण हैं। ६ करोड़ रु० तो पहले से हैं और उसके अतिरिक्त ४ करोड़ रुपये की मांग हो रही है। इसके अलावा ऐसा होता है कि भारत सरकार से दो प्रकार का खर्चा हमारे यहां रखा गया है। एक तो इयरमार्क फंड मान लिया जाय। मान लीजिय कि राम गंगा योजना के लिये कुछ धन इयरमार्क कर दिया गया तो सारा रुपया उसी योजना के अन्तर्गत ही खर्च होगा। एक इयरमार्क से दूसरे में खर्च नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का यह भी कहना है कि जो लोन या ग्रान्ट वह हमको देते ह अगर वह खर्च नहीं हो सका तो उतना रुपया हमारा कम हो जायगा और गवर्नमट आफ इंडिया उतना रुपया हम को कम देगी।

इसलिये राज्य के हित में यह करना पड़ता है कि अगर किसी योजना में किसी की गलती से,ठेकेदारों की गलती से या लापरवाही से किसी मद में रुपया कम खर्च हुआ तो उस विभाग का का रुपया जिसमें इसका खर्च हो सकता है उसको पुर्नविनियोग कर लेते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य,गोरखपुर ने बताया कि मैं उनका ध्यान नियमावली की तरफ दिलाना चाहता हूं जो उनकी सरकार ने स्वयं बनाई है। हमारी सरकार ने कोई नई चीज इसमें नहीं की है। मैं इन नियमों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं। यह नियम सन्, १९६२ में बना है और कोई भी खर्च ऐसा जो होता है वह इस नियम के अन्तर्गत होता है।

१—कितना व्यय होगा इसका संक्षिप्त ब्योरा।

२—वे परिस्थितियां जिनके कारण वार्षिक बजट में व्यय की व्यवस्था न की जा सकी, या लेखा अनुदान में पर्याप्त व्यवस्था न की जा सकी,

३—विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधान मंडल द्वारा इसके प्राधिकृत किये जाने तक व्यय का स्थगन प्रशासकीय रुप से क्यों संभव नहीं है,

४—वर्ष या उसके भाग के लिये, जैसी भी दशा हो, निधि से दिये जाने के लिये अपेक्षित धनराशि और प्रस्ताव के कारण होने वाला पूरा व्यय, और

५—अनुदान या विनियोग जिसके अन्तर्गत अन्ततः कोई अनुपूरक व्यवस्था प्राप्त करनी होगी।

जितने नियम हैं उन नियमों के पालन करने के बाद ही किसी मद पर खर्च वित्त विभाग द्वारा होता है।

अब श्रीमन, रिसीवर्स की बात आयी। मैंने तो उदाहरण दिया था कि एक आकस्मिक व्यय हमारे सामने आया। कुछ मिल वालों ने गन्ने की कीमत का पूरा भुगतान किसानों को नहीं किया, लाखों रुपया बाकी हो गया और किसान त्राहि-त्राहि करने लगे। इसी तरह से टैक्सों का रुपया भी बाकी हो गया। तो जो रिसीवर्स नियुक्त किये गये वह राष्ट्रीयकरण के लिये नहीं किये गये। माननीय सदस्य, मुरादाबाद ने कहा, जैसे कि रिसीवर्स राष्ट्रीकरण के लिए नियुक्त किये गये हों, ऐसी बात नहीं है, रिसीवर्स तो पहले भी होते आये हैं।

जो मिलें किसान-मजदूर विरोधी हो गयीं उन्हीं को हस्तगत किया गया है और रिसीवर्स बैठाये गये हैं। दो रास्ते थे। या तो किसानों को गन्ने का दाम न दिया जाता और जो हालत थी वही बनी रहती। क्या माननीय सदस्य इस बात को पसन्द करते ? हमेशा इस सदन में यह मांग रही है कि किसानों का दाम बाकी नहीं रहना चाहिये, उन्हें दाम मिलना चाहिये। इस भावना के अनुकूल रिसीवर्स को साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया गया ताकि वह भुगतान कर सकें, तो इसमें क्या ऐतराज है ?

श्री रियासत हुसैन—

मिल वालों की तरफ से अदायगी होती तो ठीक था। यह तो हमारा ही रुपया कर्जा दे दिया और कह दिया कि अदायगी हो गई।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मंत्री जी इसका कोई जवाब नहीं देंगे और मैं समझता हूं कि मंत्री जी भी अब समाप्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य इसको पारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवा घंटे के लिए समय लेते हैं और उसमें काफी समय ले लेते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में जब बात हुई थी तो उस समय ऐसा नहीं मालूम पड़ता था कि इतना महत्व है जैसा कि अब आप समझ रहे हैं। कार्य-सूची में और भी कार्य हैं इसलिये मैं इस पर वोट लेने के लिए बाध्य हूं।

माननीय शम्भुनाथ जी, कल्पनाथ सिंह जी, आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस संशोधन को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं होता। इस पर तो मैं वोट भी कराना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को जनता की राय जानने के प्रयोजन से परिचालित किया जाय और तत्पश्चात् तदानुकूल विचार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९ १९५०

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९, १९५० की धारा ४ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १९५० की धारा ४ में:—

(१) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(३) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार ४ करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी;"

(२) पार्श्वशीर्षक में शब्द 'और २ करोड़ रुपये' तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में शब्द 'तथा ४ करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैं इसका विरोध करता हूं। सारी बहस के दौरान मंत्री जी और उनके सेक्रेटरी एक कारण भी ऐसा बताने में असमर्थ रहे जिसकी वजह से माननीय सदस्यों को यह समझने के लिए मजबूर होना पड़ता कि उनको ४ करोड़ रुपया और दे दिया जाय। जितने भी तर्क सरकार की तरफ से दिये गये वह बिल्कुल नाकाफी हैं और सब बुद्धि से परे थे। इतना ही नहीं इस ४ करोड़ रुपये के संबंध में यह केवल एक धोखा देने की बात की जा रही है। मैं यह कह रहा था कि एक बात को यह कतई नहीं बता सके जो विधान सभाओं के २ सत्रों की अवधि के बीच जो अप्रत्याशित व्यय सरकार को करना पड़ा, वह ६ करोड़ रुपये की धनराशि तक पूरा करने के लिये क्यों पर्याप्त नहीं है। इसका कोई तर्क सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। इसलिये मैं इसका घनघोर विरोधी हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस फिजूलखर्ची की सरकार को न चलने दें और उनका यह बिल गिरा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०†

परिवहन मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक इसलिये करना पड़ा कि ५ से कम पैसे के सिक्कों की कमी है। इससे सरकार को भी, यात्रियों को भी और परिचालकों को भी परेशानी होती रहती है। होता यह है कि ८,९,११, और १३ पैसे के सिक्के नहीं मिलते हैं । अगर कहीं का किराया १३ पैसे है और देने वाला २५ पैसे देता है तो बुकिंग क्लर्क या कंडक्टर १० पैसे देकर कह देता है कि २ पैसे उसके पास नहीं हैं । तो इस प्रकार से यात्री को तो नुकसान होता ही है साथ साथ सरकारी कोष में भी वह नहीं जाता है । तो इसलिये यह विचार किया गया कि कठिनाई से यात्रियों को बचाने के लिए और सरकार को भी नुकसान से बचाने के लिए तथा इस परेशानी को भी दूर करने के लिए ५ पैसे कर दिया जाय अर्थात् ५,१०, १५, २० और २५ व ३० पैसे कर दिया जाय । इस तरह से बस का जो किराया है, उससे जो पैसा बचे वह ऐसी राशि में आये कि यात्रियों को ठीक से वापस हो सके । लेकिन एक परेशानी बस के किराये में और है कि किराये के ऊपर १५ प्रतिशत यात्री-कर लगाया जाता है।

तो यह मुमकिन नहीं है, लाजिमी नहीं है कि अगर हमने बसों का किराया ५ पैसे के यूनिट में कर दिया तो यात्रियों से जो धनराशि आवेगी वह भी ५ के यूनिट में होगी । जैसे अगर किराया २५ पैसे हैं तो उसका १५ प्रतिशत लगभग ४ पैसे आता है। इस प्रकार से २९ पैसे आया । तो यह प्रश्न है कि बसों के किराये में चाहे वे प्राइवेट हों या रोडवेज की हों उन पर यात्री-कर ५ के यूनिट में दिया जाय इसलिये प्रस्ताव है कि हमारा जो यह ऐक्ट है १९६२ का उसकी धारा ३ में एक प्रतिबन्ध संशोधन कर दिया जाय जिससे यह सुविधा हो जाय। यह एक छोटा सा विधेयक है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है केवल प्रतिबन्धात्मक खंड का संशोधन है। और मैं आशा करता हूं कि यह आदरणीय सदन इस पर विचार करके इसे पारित करें।

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रस्ताव पर अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है--

"उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन क अन्दर दे दे ।"

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो इस संशोधन विधेयक को रखने का उद्देश्य रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि १३ पैसे और १२ पैसे बसों का किराया होने के कारण यात्रियों को भी असुविधा होती है और खजाने का भी नुकसान होता है। इस प्रकार से जो पैसे टिकट के दिय जाते हैं, उनके जो फालतू पैसे १,२ और ३ होते हैं उनको बुकिंग क्लर्क रख लेते हैं । नीचे इसमें लिखा हुआ है कि--

"प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलने वाली यात्री-गाड़ी की दशा में, कर की धनराशि की, आवश्यकतानुसार, गणना निकटतम पैसे में की जायेगी, अर्थात् आधे पैसे और उससे अधिक को पूरा पैसा गिना जायेगा और आधे पैसे से कम को छोड़ दिया जायगा।"

---

†३० अप्रैल, १९७० की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहनलाल कपूर]

इसका मतलब यह है कि मंत्री महोदय नगरों को और गांवों को अलग अलग कर रहे हैं । नगरपालिकाओं का क्षेत्र अलग है और उससे बाहर चलने वाली गाड़ियां अलग होंगी । बाहर चलने वाली गाड़ियों का गुणन पांच और १० पैसे में करेंगे परन्तु नगर में चलने वाली गाड़ियों का १,२ या ३ में चलता रहेगा । अगर मंत्री महोदय की यह सद्भावना है और यह बिल जिस उद्देश्य से लाया गया है वह स्वागत करने योग्य है। मंत्री महोदय को बधाई देनी चाहिये । परन्तु नगर से ये जो दूसरे क्षेत्र अलग कर दिये हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इस पर विचार होना चाहिये और प्रवर समिति में इसे जाना चाहिये । नगर में चलने वाली बसों में भी इसी प्रकार से ५,१० या १५ का ही टिकट रखना चाहिये । दूसरी बात यह है कि साधारणतया केवल इतना ही नहीं है । बुकिंग में यात्री बहुत ज्यादा हैं । इस तरह से टिकट जल्दी जल्दी में खरीदा जाता है और टिकट देने वाला भी जल्दी जल्दी में दे जाता है। पैसा नोट या अठन्नी या चवन्नी की शक्ल में दिया जाता है। ये जो रोडवेज के टिकट हैं इनमें मूल्य नहीं लिखा होता है । इसका कारण यह है कि एक रुपये का टिकट है तो एक रुपया दस पैसे बताये जाते हैं । जो फालतू पैसा इस तरह से लिया जाता है वह खजाने में न जाकर, क्लर्क के जेब में जाता है। किराया पांच और दस के गुणन में लिया जा रहा है यह अच्छी बात है परन्तु साथ में यह भी करना चाहिये कि जो टिकट दिये जाते हैं उनमें बाकायदा दर लिखी हो और उसी प्रकार से हो ।

दूसरी बात यह है कि जो टिकट होता है उसमें रूट भी नहीं लिखा होता है कि कहां से कहां तक का टिकट है और बहुत साधारण तरीके से टिकट छपा होता है और दे दिया जाता है। इस तरह से जो गाड़ियां एक ही स्टेशन से कई जगह जाती हैं उससे यात्रियों को अनेक-सुविधायें होती हैं । तो इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जो सामने आते हैं । केवल एक बात को दूर करने से असुविधा दूर नहीं होती है। इन सारी असुविधाओं को दूर करने के लिए जब तक हम प्रवर समिति में अच्छी प्रकार से विचार नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं जो विधेयक का अर्थ है वह पूरा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो पंद्रह प्रतिशत यात्री-कर बढ़ाने का अधिकार लेना चाहते हैं यह पंद्रह प्रतिशत जो बढ़ाया जायेगा यह अधिक है। इसमें पांच प्रतिशत के लगभग ही किराया बढ़े तो अच्छा रहेगा । यह पंद्रह प्रतिशत किराया बढ़ाना बहुत अधिक है।

इस प्रकार से मैं समझता हूं कि यह विधेयक जो आपके सामने है इसका उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। परन्तु जब तक हम और सुविधा की बातें नहीं रक्खेंगे तब तक यात्रियों को हम पूरी सुविधा नहीं प्रदान कर सकेंगे । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रातःकाल के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि मेरठ नगर जो कि बड़ा नगर है उस जैसे नगर में वे शहरी बस चलाने के पक्ष में नहीं हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बसें और नगरों में चल सकती हैं तो मेरठ निवासियों को भी यह सुविधा दी जा सकती है।

मैं इन शब्दों के साथ, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे प्रवर समिति में भेजकर सदस्यगण अच्छी प्रकार विचार करें और सर्वांगीण रूप से विधेयक प्रस्तुत किया जाय । तभी मैं समझता हूं कि जनता का लाभ होगा और इस सदन का भी लाभ होगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मोहनलाल कपूर ने यह जो अभी संशोधन प्रस्ताव रक्खा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय मंत्री जी बड़े उदार हैं और वे उदारता के वसीभूत होकर ही इस संशोधन को लाये हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कभी-कभी बड़े से बड़े योग्य व्यक्ति से भी गलती हो जाया करती है । इसको ध्यान में रखते हुये, मुझे आशा है माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह संशोधन नगर या नगरपालिका में चलने वाली यात्री गाड़ियों को छोड़ कर शेष पर लगाया है, जहां तक मैं समझा हूं । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय

मंत्री जी उन लोगों की तरफ भी कृपया ध्यान दें कि जो गरीब यदि ११ पैसे का टिकट है तो २२ पैसे ही, आने जाने का किराया लेकर बस में चलते हैं और अगर ४ आने के लिये गये तो वह शेष ३ पैसे बीड़ी पीने की काम के लिये बेले आते हैं । मंत्री जी का ध्यान ऐसे गरीब और विवश लोगों की तरफ नहीं गया है। यह जो इस तरह से किराया बढ़ जायेगा इससे गरीबों को बड़ी असुविधा होगी । यह तो चीज वही बन्दरबांट जैसी हो रही है। न इससे यात्रियों को लाभ होगा, न अन्य किसी को । इसमें नुकसान जनता का ही होगा । जहां तक हम इतने उदार बन रहे हैं वहां हम इस पर क्यों नजर नहीं डालते हैं कि शेष पैसा वापस न करने की जो लोग गलतियां करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें तथा इस तरह का प्रबन्ध करें जिससे यह चीज पैदा न हो । उपाय यह हो सकता है कि कार्यालय से ड्यूटी पर जाते हुए कन्डक्टर्स को छोटी रेजगारी दे दिया करें । उसको बैग तो आप देते ही हैं । छोटी रेजगारी उसके पास होगी तो यह दिक्कत पैदा नहीं होगी। और कन्डक्टर की विवशता भी समाप्त हो जायगी ।

दूसरा निवेदन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गाड़ियां कहीं जाने के लिए निकाली जायं तो बिना टिकट न भेजी जायं । मैंने अपने यहां देखा है कि बरेली रोडवेज स्टेशन से नैनीताल जो गाड़ी जाती है वह २–४ टिकट काट कर बाकी बगैर टिकट ले जाई जाती है लाखों का इस प्रकार गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से कितना ही धन जो सरकारी कोष में आना चाहिये वह नहीं आ पाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे बजाय इसके कि वह किराया बढ़ाये । मुझे आशा है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय कपूर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन के समय रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं क्योंकि अनुभव यह बताता है कि २-३पैसे की जगह ५ पैसे देना पड़ते हैं, १२ की जगह १५ पैसे देने पड़ते हैं और यह ज्यादा पैसा कन्डक्टरों की जेबों में चला जाता है। नतीजा यह होता था कि पैसा यात्री को देना पड़ता था, लेकिन वह सरकारी खजाने में नहीं जाता था और न उससे यात्री को ही कोई लाभ होता था । यह विधेयक बड़ा सामयिक है, इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं । जो मेरे उस पक्ष के साथी ने कहा, शहरों में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं यह देहातों में ज्यादा व्यापक हैं, शहरों के लिए तो सिटी बस हैं । देहातों के लिये यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। माननीय मंत्री जी ने जो व्यवहारिक ढ़ग से बिल प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं।

अब दो- एक बातें में विभाग के बारे में भी कहना चाहता हूं । जहां आप यात्रियों पर पैसा बढ़ाते हैं, वहां आपको गाड़ियों की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिये । गाड़ी यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदेह होनी चाहिये। इसके अलावा और उन्हें समय पर चलाना चाहिये । इनके लिए कारगर व्यवस्था होनी चाहिये जिससे ये समय पर चलें और समय पर अपने स्थान पर पहुंच सकें । इस विभाग में खरीद फरोख्त में भी बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, उसे भी मंत्री जी देखें । मैं गोरखपुर और देवरिया की बात जानता हूं, वहां पर गोरखपुर के आधे रास्ते में बसें ठप हो जाती हैं । मैं इन सुझावों के साथ माननीय मंत्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूं । *श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७०, आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, इस बारे में मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

आशा थी कि इधर से उधर चले जाने के बाद उन्हें एक बार अवसर मिलेगा मंत्री बनने का, और मंत्री बनने के बाद मुझे आशा थी कि उनके द्वारा ऐसा बिल आयेगा, जिसका आदर प्रदेश की जनता करेगी। समाजवादी उद्देश्यों के कारण वह इधर से उधर गये थे, लेकिन आज जो यह बिल सामने आया है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि वही घिसा पिटा रवैया सरकार का अभी चला आ रहा है। इस बिल के पीछे बहाना लिया गया है कि कंडक्टरों और यात्रियों को जो परेशानियां होती थीं, वे इससे दूर हो जायेंगी। उन्हें सुविधा देने के लिए यह बिल लाया गया है।

श्रीमन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इतने कर जनता पर लगे हुए हैं कि शायद उसकी गणना में नहीं कर सकता। जहर साल बजट में, घाटे के बजट को दिखाकर, ज्यादा से ज्यादा कर लेने की बात सदन से स्वीकार करा ली जाती है। केवल एक बार ऐसा बजट आया जब कि लाभ का बजट पेश किया गया और सरकार ने कोशिश की कि जनता पर कोई कर न लगे। अभी बजट पेश नहीं हुआ है और आगे यह संभावना हो सकती है कि यात्री-कर और बढ़ाया जाये। उससे पहले यह कोशिश करना कि ढाई पैसे होते हैं तो पांच पैसे हो जायेंगे और साढ़े पांच पैसे होते हैं तो उसके बजाय छ पैसे हो जाएंगे, इससे सीधी बात यही प्रकट होती है कि ढाई पैसे के बजाय आप अब ५ पैसे में काम चलायेंगे। यात्री-कर जो पहले से ही बढ़ा हुआ है, और उसको आगे बढ़ाने की सम्भावना दिखाई पड़ती है।

इधर से कहा जाता है कि फिजूलखर्ची हम रोकेंगे, लेकिन सिंडीकेट और इंडीकेट की जो आपसी लड़ाई है, उसने इस बात के लिये मजबूर कर दिया है कि मंत्रियों की फौज बढ़ाकर खूब फिजूलखर्ची की जाये। जब मंत्रियों पर इतनी इतनी फिजूलखर्ची की जा रही है तो आप विभाग की फिजूलखर्ची किस मुंह से रोक सकते हैं? जो करों में वृद्धि की जा रही है, यह उस जनता के ऊपर की जा रही है जो गांवों में बसती है, जो किसान और मजदूर लोग हैं।

तो मैं समझता हूं कि यह बात तो अनुचित ही होगी। आवश्यकता इस बात की थी यात्री-कर इस प्रदेश से निर्मूल समाप्त कर देते। यह हमारी मांग है। जो यह विधेयक लाया गया है उसकी मूलभूत भावना में यह भी होना चाहिये कि यात्री-कर समाप्त किया जाय। यात्री-कर गरीबों, किसानों पर लगता है। इसलिये यह समाप्त होना चाहिये, माननीय मंत्री द्वारा। माननीय मंत्री ने एक नारा दिया था कि हम समाजवादी हैं। अपने को समाजवादी घोषित करके पहला काम उन्होंने यात्री-कर समाप्त करने का किया होता तो प्रदेश की जनता बहुत खुश होती। इस आधार पर यात्री कर आगे समाप्त हो जाय, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इसका सभी सदस्य विरोध करेंगे और पास नहीं होने देंगे।

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे १९६७ से १९६९ तक सरकार की ओर से कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं आयी जिसका मैं समर्थन करता लेकिन परिवहन मंत्री जी जो इत्तिफाक से बिल लाये हैं यात्री-कर संशोधन विधेयक यह बड़ी अच्छी चीज है। मैं गांव का रहने वाला हूं। अपनी कांस्टीट्युएंसी में रूरल सर्विस में १८–२० मील सफर करता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक दो पैसे के लिये झगड़ा हो जाता है। कंडक्टर के पास होता है लेकिन फिर भी वापस नहीं करना चाहता। इससे जनता का ही नुकसान नहीं होता है, सरकार का भी नुकसान होता है और कंडक्टर जो बैठा हुआ है उसका भी नुकसान होता है। यह सदन सोचेगा वह कैसे होता है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कभी कभी अपनी आंखों से देखा है, ए टी आई महोदय आ गये। आपके रोडवेज में टी० आई नहीं होता है, पर पता नहीं ए टी आई महोदय कहां से आ गये ? मैं तो केवल इसी कर के बारे में इस समय कहूंगा जब ए टी आई आ जाते हैं। कंडक्टर सुबह से चार बजे तक सैकड़ों टिकट बाट चुका होता है, तो दो तीन रुपये जमा हो जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि यह तीन रुपये कहां से आये। कभी कभी सस्पेंड होकर कंडक्टरों की सर्विस टर्मिनेट हो जाती है। यह जो बिल आया है उसमें घाटे नफे का सवाल नहीं है। अगर दो पैसे है तो छूट हो जायगा। दो पैसे से ज्यादा है तो पांच पैसे हो जायगा। सरकार को तीन पैसे मिल जायेंगे। लेकिन फायदा तभी है जब कि यात्री-कर राऊंड फीगर में कर दिया जाय। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह इस तरह का बिल लाये हैं। मुझ से यात्रियों ने कहा है कि कैसे एम०एल०ए० बन गये हो, जो एक एक पैसे के लिये झगड़ा कराते हो। पांच पैसे नहीं करवा सकते ? इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री का बड़ा आदर करता हूं। वह शिक्षक हैं। कलकत्ते में जब ट्राम्स में एक पैसा बढ़ाया गया था तो बड़ी हड़ताल हुई थी, लोगों ने कड़ा विरोध किया था। इस बिल द्वारा ढाई का पांच पैसे और पांच का छः पैसे होने जा रहा है। हमारे मंत्री जी, जिन्होंने त्याग-पत्र जब दिया था तो कहा था कि हमारे कोई मकान नहीं है, गरीब का बेटा हूं, मैं मंत्री जी से केवल यह अपील करूंगा कि देश के ८० फीसदी लोग गरीब हैं, वे लोग बस गाड़ियों पर चलते हैं। उन पर एक नया पैसा भी बढ़ाना अन्याय होगा। इसलिये मैं मोहनलाल जी कपूर के संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय रामजीलाल सहायक जिन का हृदय, मन और मस्तिष्क गरीब का है, वह इस के अन्दर कर न बढ़ायें। यह कहते हुये अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने कुछ सुझाव दिये और मेरे द्वारा प्रस्तुत बिल का स्वागत भी किया। कुछ इसमें गलतफहमी पैदा हो गयी कि इसमें कुछ दर बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने की बात नहीं है। यात्री-कर १५ प्रतिशत पहले से ही है। उसे केवल अलग कर रहे हैं। अब ढाई के ५ या ५ के ६ का जहां तक सवाल है आप खयाल कीजिये कि १७ पैसे जहां होंगे वह १६ पैसे ही तो लेंगे। इस तरह से केवल बढ़ाने वाली बात नहीं है। लाभ और हानि दोनों बातें हैं। मान लीजिये लम्बे सफर में दो चार पैसे बढ़ भी गये तो थोड़ा सहन कीजिये। रोज आप कहते हैं कि नई बसें चलाइयें। कुछ सुविधा दी जाय। तो यह कैसे हो सकेगा अगर आप कंजूसी करेंगे। माननीय सदस्यों ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जरूरत इसकी है कि हम इसको पास करके जल्दी लागू कर सकें ताकि लोगों को राहत मिल सके। मेरा निवेदन है कि यह संशोधन वापस ले लिया जायगा।

श्री मोहनलाल कपूर---

उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री के उत्तर में मुझे ऐसी कोई विशेष बात नहीं प्रतीत हुई जो मुझे प्रेरित कर सके कि यह संशोधन वापस ले लिया जाय। मुझे उनकी बात से ऐसा आभास लगा कि वह नई बसें खरीदना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से यह बिल ला रहे हैं। मैं कहता हूं कि पहले पुरानी बसों को ही ठीक कराइये। नई बसों को मैं इस बिल के जरिये खरीदने के पक्ष में नहीं हूं। बजट आ रहा है उसमें नई बसों के लिये आप प्राविजन कर सकते हैं। ढाई पैसे से कम पर आप जरूर कम करेंगे लेकिन उसके ऊपर आप बढ़ाते रहेंगे। अब अगर प्रवर समिति में आप इसको भेज देंगे तो वहां पर इस पर विचार किया जा सकता है कि किसी तरह से किराया

[श्री मोहनलाल कपूर]

भी न बढ़े और राउंड फीगर्स के लिये कुछ ऐसा किया जाय जिसमें यात्रियों को अथवा बस कंडक्टर व बुकिंग क्लर्क को कष्ट भी न हो। लिहाजा मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में इसे अवश्य भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन १५ दिन के अन्दर दे दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २,१ व प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश-मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्— उ०प्र० अधिनियम संख्या ८, १९६२ की धारा ३ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलने वाली यात्री-गाड़ी की दशा में, कर की धनराशि की, आवश्यकतानुसार, गणना निकटतम पैसे में की जायगी अर्थात् आधे पैसे और उससे अधिक को पूरा पैसा गिना जायगा और आधे पैसे से कम को छोड़ दिया जायगा, और

(ख) अन्य यात्री गाड़ियों की दशा में, कर की धनराशि की, आवश्यकतानुसार, गणना निकटतम पांच पैसों के गुणक में की जायगी, अर्थात् ढ़ाई पैसों और उससे अधिक को पूरे पांच पैसे गिना जायगा और ढाई पैसों से कम छोड़ दिया जायेगा।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, १ प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामजीलाल सहायक—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मंत्रियों द्वारा जन न्यायालयों के आयोजन के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो नियम ५१, ५६ की सूचनार्थ याचित की थीं, उनके संबंध में मुझे यह कहना है—

कार्य-स्थागन प्रस्ताव की एक सूचना मा० कृष्णानन्द राय की प्राप्त हुई, जिसमें मंत्रियों द्वारा जन न्यायालयों के आयोजन का प्रश्न उठाया गया है, जिनमें मंत्रिगण द्वारा अन्य जातियों के कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है।

इसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियम ५६ के अधीन कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है, पर कुछ तथ्य महत्व के हैं इस कारण माननीय वीरेन्द्र वर्मा इस पर वक्तव्य देंगे। इसलिये यह कल लिया जायगा।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

उपाध्यक्ष—

नियम ५१ की ४ सूचनायें प्राप्त हुई हैं—

पहली सूचना माननीय सियाराम जी की है। फतेहपुर तथा अन्य कुछ जिलों में कचहरी का समय दोपहर के बजाय सुबह से करने के विषय में है।

इसको माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जी की है अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिलों में शराब-बन्दी की घोषणा न होने से जनता में उत्तेजना है। इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है, अतः इसको अस्वीकार किया गया है।

तीसरी सूचना श्री कृष्णानन्द राय जी की है। अपहरण एवं बलात्कार के अभियुक्त पुलिस के दरोगा, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह को मुकदमें के निर्णय से पूर्व नौकरी में बहाली से संबंधित है। इसको माननीय अध्यक्ष ने केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया है। इसके बारे में भी कल सूचना दे दी जायगी।

चौथी सूचना श्री श्यामलाल कनौजिया की है। अल्मोड़ा जिले में पुलिस के संरक्षण में शराब की बिक्री के कारण जनता में रोष है। इसको भी माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया। इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, दफा ५२ में मेरे एक प्रश्न अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया। वह प्रदेश में किसानों की अर्थ व्यवस्था बिगड़ने के विषय में था। उसके बारे में तारीख का पता नहीं चला। ४ दिन हो गये स्वीकार हुये लेकिन दिन पता नहीं लगा। अगर दिन का पता चल जाय तो उसके अनुसार ही कार्यक्रम बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों को संबंधित मंत्रीजी के पास भेज दिया जाता है कि वह समय बता दें। ऐसी सूचना आपको यथासमय मिल जायगी। मंत्रीजी को समय मुकर्रर करने का आपने अधिकार दिया है। अभी समय की सूचना उनके पास से नहीं आयी है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उपाध्यक्ष तो कोई जानकारी नहीं देता।

श्री बांकेलाल—

दिल्ली में लाठी चार्ज के बारे में जो ६ तारीख को हुआ था, मेरा, श्री रामधारी शास्त्री तथा जायसवाल जी आदि का एक प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि समय दे दिया जाय। लेकिन वह अभी तक नहीं मिला, वह समय कब तक मिल जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

समय के लिये मंत्रीजी के पास भेज दिया गया है। आपको समय शीघ्र ही बता दिया जायगा।

सुल्तानपुर में जनसंघ कार्यकर्त्ता, श्री त्रियुगी नारायण पर छूरे से हमले के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

पुलिस को प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २७-४-७० को जब श्री त्रियुगी नारायण जायसवाल की पुत्री अपने स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मोहल्ला, मेजरगंज (लखनऊ नाका) के चौराहे के निकट एक टायर-ट्यूब जोड़ने की दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने उसे कुछ अपशब्द कहे। लड़की ने इस बात की शिकायत अपने घर में की दूसरे दिन सुबह श्री जायसवाल ने उस लड़के को डांटा और दो चार थप्पड़ भी मार दिये। उसी तिथि को रात में जब श्री जायसवाल अपनी दुकान बन्द करके घर जा रहे थे तो एकाएक उस लड़के ने उन्हें चाकू से घायल किया और वह भाग गया। सूचना पाने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गई और घायल, श्री जायसवाल को अस्पताल पहुंचा दिया गया। यद्यपि श्री जायसवाल को गहरा घाव लगा परन्तु उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

श्री जायसवाल की उम्र डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार लगभग ३५ वर्ष है। श्री त्रियुगी नारायण जायसवाल स्वयं नहीं परन्तु उनके बड़े भाई, श्री हृदय नरायन जायसवाल जिले में जनसंघ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। जांच से यह पाया गया है कि मारने वाला व्यक्ति श्री जुल्फिकार कार्यकर्ता नहीं है। श्री जुल्फिकार द्वारा इससे पूर्व इलाहाबाद और दूसरे शहरों में साम्प्रदायिक झगड़े करान के कथित आरोप के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। इस घटना के कारण नगर में कुछ साम्प्रदायिक तनाव हो गया था। परन्तु अब जनजीवन सामान्य हो चला है।

इस घटना की एक नामजद रिपोर्ट कोतवाली सुल्तानपुर में की गई है जिस पर एक मुकदमा कायम हुआ है और उसकी विवेचना हो रही है। अपराधी की खोज जारी है जो अब तक गिरफतार नहीं हो सका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया उस व्यक्ति ने हमले के समय भी अपनी हाजरी जौनपुर के अन्दर एक एक्साइज इंस्पेक्टर से चालान करा के दिखायी है और अलिबाई बनाने की कोशिश की है ?

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती) पीठासीन हुये ।)

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या यह सही है कि यह हमला करने वाला व्यक्ति हमला करने के बाद श्री जुल्फिकार अली की कार में जौनपुर गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसी भी कोई सूचना शासन के पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

इस केस को कौन सी दफा में दर्ज किया गया है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह केस भारतीय दंड विधान की धारा ३०७ में दर्ज किया गया है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यह घटना कब घटी और मौके पर पुलिस कब पहुंची ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह घटना दिनांक २८-४-७० को लगभग ९ बजे रात्रि को घटी और उसके थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच गयी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस घटना के कितनी देर बाद पहुंची ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

थोड़े समय के बाद पहुंची ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, पुलिस मौके पर पहुंचती नहीं है । लोग मर जाते हैं तब पहुंचती है । ९ बजे घटना हुई तो पुलिस कितने बजे पहुंची ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया कि पुलिस तत्काल पहुंच गयी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं कहता हूं कि पुलिस चार घंटे बाद पहुंची । क्या यह सही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, उनके यहां तो रोजनामचे में दर्ज होगा कि कितने बजे पुलिस वहां को रवाना हुई और उससे यह भी जाहिर हो जायगा कि कितने बजे वहां पहुंची और कब वापस आयी ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

रोजनामचे में दर्ज होगा। माननीय आचार्य जी फौजदारी के वकील हैं। इससे इनकार नहीं करता लेकिन हमारे लिये यह आवश्यक नहीं था। हमको डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिखा कि पुलिस तत्काल ही पहुंच गयी। अब १५ मिनट में पहुंची या तत्काल ही पहुंच गयी यह हमको मालूम नहीं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इससे कोई इनकार नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कभी फौजदारी की वकालत नहीं की लेकिन वह यह बतायें कि उनके पास रोजनामचे इत्यादि की कापी है जिससे यह जाहिर हो कि कितने बजे पहुंची ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। यह मालूम नहीं था कि इतनी जिरह होगी। सारा सवाल यह है कि वहां तनाव था। हड़ताल कराने की कोशिश की गयी। वह हुई नहीं। अब शान्ति है। और वह जो बेचारे घायल थे वे खतरे से बाहर हैं। बाकी इन्वेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री रामप्यारे शुक्ला (जिला सुल्तानपुर)—

क्या इसको सही मान कर कि अभियुक्त को घटना की ही रात में सुल्तानपुर से जौनपुर ले जाया गया और वहां पर नूर मुहम्मद एक्साइज इस्पेक्टर से उसका चालान कराया गया और उसकी ऐलिबाई बनायी गयी, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री चरण सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, इसकी जांच कराने की जरूरत नहीं है। जो सारा इन्वेस्टीगेशन कर रही है पुलिस उसके सामने सारी बातें आयेंगी, यहां से बातें देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस बात का विचार करते हुये कि केस की तो जांच हो ही रही है लेकिन एक जानकारी माननीय सदस्य सुल्तानपुर ने करायी है कि जो व्यक्ति हमलावर है वह उसी समय जौनपुर ले जाया गया और वहां पर एक एक्साइज इस्पेक्टर ने जो सुल्तानपुर का नूर मुहम्मद उसका नाम है उसने एक्साइट ऐक्ट के अन्दर छोटा-सा चालान कर लिया और ऐलिबाई क्रियेट कर दी, अगर इसकी जांच कराने की बात स्वीकार कर लें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री चरण सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, लाइन आफ इनवेस्टीगेशन क्या होगा और क्या-क्या होना चाहिये, अगर हम यहां से डायरेक्ट करेंगे तो मुनासिब नहीं है। अगर मैं पुलिस से कानफिडेंशियल रिपोर्ट मंगा लूं तो उनको ज्यादा मालूम होगा। आप बेफिक्र रहिये, दे विल डू देयर बेस्ट।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी बातायेंगे कि अभियुक्त श्री जुलफिकार अली खां जो नगर प्रमुख हैं इलाहाबाद के और मुसलिम मजलिस के उम्मीदवार हैं राज्य सभा के, उनकी ही जीप पर अभियुक्त जौनपुर गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि उनकी जीप में गये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों ने इस घटना को आधार बनाकर कम्यूनलटेंशन पैदा करने की कोशिश की, तो क्या मुख्य मंत्री यह बतलायेंगे कि वह कौन-सा वर्ग विशेष था जिसको रोकने की कोशिश की गयी और उसके लिए क्या कायवाही पुलिस ने की ?

श्री चरण सिंह--

किन लोगों ने की यह बताना जनहित में आवश्यक नहीं समझता ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)

दो चीजें जाननी हैं । एक तो यह कि मुलजिम जौनपुर ले जाया गया, यह एक अलग अपराध है, तो क्या मुख्य मंत्री जी उसको अलग अपराध मानकर कि उसका गलत चालान भी हुआ, जांच कराने की कृपा करेंगे ?

दूसरे यह कि मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आज तक मारने की घटना को इलेक्शन में फायदा पहुंचाने के लिए किसी पार्टी ने उसको अपना अगुवा बनाया है ?

श्री चरण सिंह--

मैं तो पहले कह चुका कि इसके जांच करने की जरूरत नहीं है कि किसकी कार में वह ले जाया गया ? सब इंस्पेक्टर था या कौन था ? यह सब बातें पुलिस के सामने होंगी और आयेंगी । आपका जो सजेशन है कि छूरा इसलिए मारा गया ताकि किसी पार्टी को इलेक्शन में फायदा हो, यह बिलकुल मेरी समझ में बात नहीं बैठती है ।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस वाकये के कुछ देर बाद किसी वर्ग ने वहां पर रात भर इस बात का ऐलान किया कि एक मुसलमान गुंडे ने जनसंघ के कार्यकर्त्ता पर कातिलाना हमला किया और दूसरे दिन हड़ताल भी करायी गयी ? और उस सिलसिले में रोकथाम करने के लिए अथारिटीज ने क्या इक़दाम किया ? अगर यह बात सही है कि वहां हड़ताल वगैरह करायी गयी?

श्री चरण सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, अब पुलिस ने, दूसरी अथारिटीज ने क्या इन्तजाम किया और किसने क्या इन्तजाम किया यह मेरी समझ में नहीं आया । उन लोगों ने हड़ताल कराने की कोशिश की उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं हुई । पुलिस और अथारिटीज की सतर्कता के कारण वहां पर अब कोई तनाव भी नहीं है । नार्मल सिच्युएशन है ।

श्री हबीब अहमद--

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह बात सही है कि उन दोनों आदमियों में जो झगड़ा था वह जिन्होंने चाकू मारा था और जिनके चाकू लगा था इनके आपस में कारोबार के मुताल्लिक कुछ झगड़ा था? यह एक व्यक्तिगत मामला था जिसको किसी तरीके से साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई तो इसके लिये अथारिटीज ने क्या इन्तजाम किया ?

श्री चरण सिंह--

अथारिटीज क्या करते जो मुमकिन था किया । यह कहना कि यह व्यक्तिगत मामला था यह मुमकिन है रहा हो लेकिन पहले जिस आदमी को चाकू लगा वह घातक हमला था । अब वह खतरे से बाहर है । उसकी जिन्दगी बच गई है । इतना जबरदस्त चाकू का प्रहार हुआ था । जब उसकी लड़की को एक आदमी ने छेड़ा और उसने धमकाया तो उसी आदमी को चाकू मार दिया गया । हो सकता है यह व्यक्तिगत मामला हो लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ।

परीक्षार्थियों द्वारा अध्यापकों पर परीक्षा भवन तथा उसके बाहर आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

अधिष्ठाता महोदय, इस वर्ष हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट तथा डिग्री कालेजों की परीक्षाओं के सुचारु रूप से एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में संचालन के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी ।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए सामान्य उपायों के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा कुछ विशेष प्रबन्ध किये गए थे जिसमें केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराने हेतु प्रत्येक जिले में शिक्षा अधिकारियों के एक या दो-दो सचल दल बनाया जाना, परीक्षा केन्द्र के प्रति ५ कमरों पर एक अतिरिक्त निरीक्षक "रिलीविंग हैन्ड" की व्यवस्था तथा ऐसे केन्द्रों पर जहां परीक्षार्थियों की संख्या ६०० से अधिक हो एक अतिरिक्त केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जाना मुख्य हैं ।

२—हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट परीक्षा केन्द्रों तथा इनके आसपास शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने तथा निरीक्षकों की सुरक्षा के लिये जिला अधिकारियों को आदेश दिये गये थे कि केन्द्रों के बाहर १०० गज की परिधि में तथा विशेष परिस्थिति पर १०० गज की दूरी के बाहर भी दफा १४४ सी० आर० पी० सी० लगाई जाय, परीक्षा केन्द्रों के आसपास १०० गज की परिधि में व्यक्तियों के छोटे या बड़े समूहों के एकत्रित होने की अनुमति न दी जाय, परीक्षा केन्द्र के प्रांगण में किसी व्यक्ति को लाठी, डन्डा अथवा घातक हथियार लेकर जाने की अनुमति न दी जाय और इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के समरी ट्रायल की व्यवस्था की जाय । उनका ध्यान इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा १४-ए की ओर आकर्षित किया गया था जिसके अनुसार केन्द्र व्यवस्थापक तथा निरीक्षक पब्लिक सर्वेन्ट माना गया है तथा उन पर आक्रमण इत्यादि के अपराध हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हैं । प्रत्येक केन्द्र के व्यवस्थापक को तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों की शक्तियां भी प्रदान की गई थी । परीक्षा के समय में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केन्द्रों पर आकस्मिक दौरा करने तथा व्यवस्थापकों से मिल कर शांति एवं व्यवस्था संबंधी मामलों पर विचार विनिमय करने हेतु भी आदेश जारी किये गये थे । डिग्री कालेजों की परीक्षाओं के संबंध में भी जिलाधिकारी आवश्यक प्रबन्ध करते हैं । शासन द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारियों का ध्यान उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ की धारा ३ व ४ की ओर आकर्षित किया गया था जिसके अनुसार परीक्षा काल में केन्द्र व्यवस्थापक तथा निरीक्षक पब्लिक सर्वेन्ट होते हैं और उन पर किसी प्रकार का प्रहार करना अथवा आपराधिक बल प्रयोग करना हस्तक्षेप्य अपराध है । केन्द्र के व्यवस्थापक को तृतीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई थीं । आगरा विश्वविद्यालय ने इस वर्ष परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिये एक फ्लाइंग स्क्वैड की भी व्यवस्था की थी जो उपयोगी रही ।

३—उपरोक्त उपायों के बावजूद भी इस वर्ष परीक्षाओं की अवधि में कुछ अप्रिय घटनायें हुईं । अभी तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में निरीक्षकों आदि पर आक्रमण आदि से संबंधित १८ घटनाओं की सूचनां प्राप्त हुई है ।

४—दिनांक ४ अप्रैल, १९७० को जब श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय, अध्यापक निरीक्षक, एकरसानन्द इन्टर कालेज, मैनपुरी शिक्षा परीक्षा के प्रथम पाली में निरीक्षण कार्य समाप्त कर लगभग ११ बजे साइकिल से घर की ओर जा रहे थे तो कालेज से थोड़ी ही दूर पर कुछ व्यक्तियों ने उनके ऊपर लाठी से आक्रमण किया । इसके फलस्वरूप वे साइकिल से गिर पड़े । वे उठ कर एकरसानन्द आश्रम की ओर दौड़े परन्तु आक्रमणकारियों ने उन्हें फिर पकड़ लिया व लाठियों के अलावा तेज धार वाले हथियारों से उन्हें घायल किया जिससे वे गिर पड़े । आक्रमणकारी तुरन्त भाग गये । कालेज के कुछ अध्यापक निरीक्षक दौड़ कर घटना स्थल पर पहुंच गये । श्री उपाध्याय को प्राथमिक चिकित्सा दी गई और उनकी जिला अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार ३ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं । पुलिस द्वारा मामले में जांच जारी है ।

५—श्री उपाध्याय की पत्नी को तत्कालिक एक हजार रुपये की सहायता अध्यापकों के राष्ट्रीय वेलफेयर फन्ड से प्रदान कर दी गई है । श्री उपाध्याय का सेवा काल कुल ८ वर्ष था, अतः नियमानुसार वे फेमिली पेन्शन के अधिकारी नहीं हैं । फिर भी यथासम्भव और किसी प्रकार आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जब परीक्षायें होती हैं तो निरीक्षक पब्लिक सर्वेन्ट मान लिये जाते हैं और पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा है गवर्नमेंट सर्वेन्ट। निरीक्षकों पर हमले होते हैं और उनके छुरे मार दिये जाते हैं और वे घायल हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि १,००० रुपये सहायता के रूप में दिये गये। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का कोई नियम आने वाला है या सरकार कोई ऐसा नियम बनाने जा रही है कि जो निरीक्षक होते हैं अगर वे ड्यूटी करते समय मर जायें तो उनकी पत्नी को उस समय तक पेन्शन दी जाय जब तक कि उसका पुत्र बालिग न हो जाय और अगर उसके कोई पुत्र नहीं है तो उसकी पत्नी को आजीवन पेन्शन दी जाय। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सूर्य प्रसाद उपाध्याय की पत्नी को पेन्शन देने के बारे में सोच रही है।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

गवर्नमेंट माननीय मित्र के प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री रामगोपाल सण्ड—

अभी मुख्य मंत्री जी ने १८ घटनाओं की सूचना दी। मेरे एक मित्र कानपुर कालेज के अन्दर पढ़ाते थे। उनकी एक परीक्षार्थी ने उंगली काट ली। मुरादाबाद में मेरे एक मित्र के गोली मारी गई और वह मुरादाबाद अस्पताल में भर्ती हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन गरीब अध्यापकों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो गये हैं उनको सरकार की ओर से चिकित्सा के लिये कोई सहायता दी जायेगी ?

श्री चरण सिंह—

जो अस्पताल में दाखिल होते हैं उन सब का इलाज तो किया ही जाता है। इसके अलावा और सहायता की क्या आवश्यकता है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

ऐसा कानून बनाया जाना चाहिये जिससे अध्यापकों का जीवन सुरक्षित रहे। जो घायल होते हैं, जिनको छुरा लगता है और अस्पताल में भर्ती रहते हैं उनको कुछ धनराशि प्रेम में अपना विश्वास प्रकट करने के लिये देनी चाहिये। ऐसी कोई योजना बनानी चाहिये।

(इस समय ४ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्षय महोदय, अध्यापकों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं फिर भी घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जो अनुशासनहीनता है और जो घटनाएं होती हैं वह कम हो जायें। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

अमेरिका में जो परीक्षा प्रणाली है उसके मुताबिक वहां का अध्यापक बच्चों को नम्बर देता है, छमाहीं परीक्षा लेता है और सालाना परीक्षा वही लेता है और पास करता है। वहां इस तरह का बोर्ड नहीं होता जिसमें पुलिस लगाई जाय। तो क्या मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया जाय ताकि ऐसी घटनायें न हों?

श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने तो यह कहा कि ला ऐण्ड आर्डर ऐसा कायम किया जाय कि घटनायें न हों और माननीय गांधी जी ने कहा कि परीक्षा की पद्धति बदली जाय। जहां तक यह प्रश्न है कि यह घटनायें बढ़ती जा रही हैं मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। मैं समझता हू कि पहले कुछ साल जरूर ऐसे थे जब कि घटनायें ज्यादा हुई इस साल की अपेक्षा। जो ला ऐन्ड आर्डर की स्थिति है सारे सूबे की उसका भी इस पर असर पड़ता है। हम चाहे राजनीति में कुछ भी हों लेकिन ला ऐंड आर्डर कायम रहना चाहिये वरना देश का और प्रदेश का काम चलेगा नहीं। अगर हम लड़कों को और दूसरे लोगों को, उभाड़ने लगें और ऐसी हवा पैदा हो जाय तो फिर कोई गवर्नमेन्ट हो उसकी कठिनाई होगी। मैं समझता हूं कि स्थिति धीरेधीरे सुधरती जा रही है और अगले साल तक इतनी घटनायें नहीं होंगी अगर हमारे माननीय मित्रों का सहयोग इस गवर्नमेन्ट को हासिल होता रहा। दूसरी बात जो यह कही गई कि परीक्षा प्रणाली बदली जाय तो घटनाएं नहीं होंगी। यह सुझाव शायद पहला आया है तो इस पर विचार कर लिया जायगा लेकिन यह जरूरी है कि अमेरिका और हमारे यहां में बड़ा फर्क है। उस कांटेक्स्ट में जो आपके सुझाव हैं परीक्षा के सिलसिले में वह ठीक बैठते नहीं हैं लेकिन फिर भी इक्जामिन कर लेंगे आपका सुझाव।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। क्या यह मानते हुए कि पिछले साल के आंकड़े अधिक थे और इस साल के कम हैं फिर भी गोली भी चली और छुरे भी चले हैं और अध्यापकों को मारा भी गया है तो इसके महत्व को देखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई उच्चस्तरीय जांच करावेंगे जिससे आगे चलकर इस तरह की घटनायें कम हो सकें?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री उपाध्याय पर हमले करने वाले विद्यार्थी थे या गैर-विद्यार्थी थे? यदि विद्यार्थी थ तो क्या उनक स्कूल से निष्कासन वगैरह पर भी विचार किया जायगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

तीन गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन यह सूचना नहीं है कि वे विद्यार्थी थे या गैर-विद्यार्थी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

नकल की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण ही घातक हमले हो रहे हैं और नकल की प्रवृत्ति का कारण है छात्र की साल भर की योग्यता का मापदंड तीन घंटे का पर्चा। तो क्या मुख्य मंत्री जी इस त्रुटिपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विदेशों में जो परीक्षा प्रणाली है उसका अध्ययन करके सदन को रिपोर्ट मिल सके?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

प्रतिवर्ष यह प्रवृत्ति बढ़ती ही चली जा रही है। जो अध्यापक हैं, इनविजीलेटर्स हैं उनके जीवन की सुरक्षा नहीं है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसी पद्धति बनाई जाय जिससे उनके ऊपर अनिवार्य जीवन बीमा या इसी प्रकार की कोई सुरक्षात्मक चीज लागू की जाय ताकि उनके लिए कुछ हो सके।

श्री चरण सिंह---

माननीय मित्र का यह कहना कि घटनायें बढ़ती जा रही ह वह ठीक नहीं है। सन् १९६६-६७ के आंकड़े मुझे याद नहीं हैं लेकिन मुझे यह याद है कि कितने ही जिलों में दफा १४४ लगानी पड़ी थी । १८ घटनायें हुई हैं और उसमें से एक सीरियस घटना हो गई है। उनको पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और जो कानून के मुताबिक जो आज है उसका इन्वेस्टमेंट होगा और ट्रायल होगी । अगर इसमें किसी प्रकार की ढील हो तब तो गल्ती है । श्री जगदीश गांधी ने कहा कि यहां की परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जाय, उसको हम देख लेंगे ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे यहां के स्कूलों में पढ़ाई के अधिकांश समय में हड़ताल होती है या फिर पढ़ाई नहीं होती है, किसी तरह की पढ़ाई नहीं होती है ? अब तो पास होने का एक ही तरीका रह जाता है कि नकल करो और आवश्यकता हो तो छूरा चला दो । क्या इस पर भी विचार किया जायगा कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर नहीं हो सकते ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकार की बातों में नहीं जाता कि ऐसी घटनायें कितनी बढ़ी हैं या घटी हैं परन्तु यह अवश्य है कि काम करते हुये, अपनी ड्यूटी को अन्जाम देते हुये अध्यापकों पर घातक हमला होता है । ऐसी स्थिति में उनके लिए या तो कम्पलसरी बीमा करवाया जाय या फिर कोई ऐसी चीज की जाय जो उनकी सुरक्षा के लिए उचित समझें ।

श्री चरण सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझको फिर दोहराना पड़ता है कि अगर किसी अध्यापक की अपने कर्त्तव्य का पालन करते समय मृत्यु हो जाती है तो जैसा कि एक सदस्य ने कहा कि उसके बच्चों के लिए, उसकी विधवा के लिये कुछ दिनों के इन्तजाम हो जायं जब तक कि उसके लड़के बालिग न हो जायं जिस प्रकार से पुलिस का है जो बदमाशों से मुकाबिला करते हुए मर जाते हैं । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि जब तक कि उसकी विधवा है उसको वही पे मिलती रहेगी जब तक कि वह ५८ वर्ष का नहीं हो जाता । यह उसी दिन से होगा जब से उसकी मृत्यु होती है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस बात पर गवर्नमेंट विचार करेगी जिसका मैं आश्वासन भी दे चुका हूं । बीमें वाली जो बात है वह मुझको अपील नहीं करती है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि व्यवस्था करने के बाद भी १८ मौतें हो चुकी हैं । इस संबंध में जब पहली घटना हुई थी तो क्या अट्ठारहों घटनायें एक साथ ही हुईं, बराबरी से हुईं, या फिर एक के बाद दूसरी और जब पहली घटना हुई तब मुख्य मंत्री जी ने कौन सी कार्यवाही उस पर की ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस प्रकार के प्रश्न इस समय नहीं पूछे जा सकते हैं ।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

मैं अपने प्रदेश के डाइनामिक मुख्य मंत्री जी से बच्चों का हित ध्यान में रखते हुये क्या यह प्रश्न कर सकता हूं कि क्या वह महसूस करते हैं कि यह जो परीक्षा प्रणाली है उससे विद्यार्थी

[श्री जगदीश गांधी]

पढ़ते नहीं हैं और अपनी शक्ति को केवल नकल करने में ही लगा देते हैं। यदि वे ठीक पढ़ें तो वे अवश्य ही देश के होनहार नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकते हैं। क्या मुख्य मंत्री जी इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन को कुछ बता सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर तो वह जवाब दे चुके।

श्री जगदीश गांधी--

श्रीमन्, मैं चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री चरण सिंह--

बस एक ही बात की कसर रह गई कि शिक्षा सचिव से यह कहने का विचार रखता हूं कि वह माननीय जगदीश गांधी जी को जरूर बुलाकर उनके विचारों को सुन लें।

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

इस बात को देखते हुए कि हर हुकूमत ने इस समस्या को ला ऐंड आर्डर की समस्या ट्रीट किया है और फिर भी ये वाकयात होते जा रहे हैं, क्या मुख्य मंत्री जी शिक्षा शास्त्रियों का कोई ऐसा कमीशन गठित करेंगे जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की भावनाओं के बारे में जांच करें ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री अनन्त राम जायसवाल--

क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि प्रारम्भिक पढ़ाई में या कालेज तक की पढ़ाई में विद्यार्थियों को सुसंस्कृत करने के लिए किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाती और उनके ऊपर असर पड़ता है सिनेमा वगैरह का ? इसके फलस्वरूप जो घटनायें हो रही हैं इस तरफ भी सरकार ध्यान देगी ?

श्री चरण सिंह--

मैं माननीय जायसवाल जी से पूर्णतः सहमत हूं कि हमारे बच्चों को कोई नैतिक शिक्षा वगैरह प्रारम्भिक अध्ययन काल में दी ही नहीं जाती। लेकिन यह प्रश्न एक और दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि जो नैतिक शिक्षा दी जाय वह कैसी दी जाय। कैसी दी जाय तो सवाल होता है कि आपकी एजूकेशन सैक्यूलर नहीं, आप किसी दर्शन विशेष या धर्म विशेष का प्रचार कर रहे हैं, अगर नैतिक शिक्षा देते हैं तो। तो यह बात उसके साथ जुड़ी हुई है, पूर्णतः तो नहीं लेकिन कुछ जरूर जुड़ी हुई है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि इधर हमें ध्यान देना चाहिये। यह काफी बड़ा सवाल है। जो रुटीन एडमिनिस्ट्रेशन है उसी से अभी तक फुरसत नहीं मिल पायी है। शिक्षा के संबंध में सारे ही ढांचे को हम बदलना चाहते हैं लेकिन वह आसान बात नहीं है। बीस वर्ष से हमारे लीडरान और हमारे साथी यही बात कहते रहे हैं लकिन या तो उसको कर नहीं पाये या समुचित ध्यान नहीं दे सके। एजूकेशन बहुत इम्पार्टेंट सब्जैक्ट है। अगली जैनरेशन का निर्माण और सारे देश के भविष्य का निर्माण इसी पर निर्भर करता है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। जैसे ही समय मिलेगा रोज के झंझटों से तो इधर ध्यान देने का हमारा इरादा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि चूंकि सरकारी अनुदान देने में इस प्रश्न पर भी विचार किया जाता है कि परीक्षाफल क्या रहा किसी विद्यालय विशेष का, इसके कारण बहुत से स्कूलों में स्कूल की तरफ से ही नकल करायी जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नकल जो करायी जाती है, यह भी कारण है कोई ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं अपना प्रश्न फिर दोहरा देता हूं । चूंकि सरकारी सहायता देने में इस बात पर भी विचार किया जाता है कि विद्यालय विशेष का परीक्षाफल क्या रहा, इसलिये कुछ विद्यालयों की तरफ से स्वयं नकल करायी जाती है या उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है जिसका अंतिम परिणाम होता है कि इस तरह की घटनायें होती हैं । अगर सरकार की जानकारी में यह बात है तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, संभावना तो है इस बात की भी और माननीय जायसवाल जी की नोटिस में अगर इस तरह के कुछ विद्यालय हों तो बतला दें तो हम उनको ग्रांट देते समय इस का ध्यान रखेंगे ।

कई सदस्य--

एक प्रश्न और.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब काफी प्रश्न हो गये ।

अब हम कल ११ बजे तक के लिए उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ मई, १९७० ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २९ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७० पर]

तालिका

उन चीनी मिलों की सूची जिनमें सरकारी रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश मार्च, १९७० में दिये गये हैं तथा उनके जिम्मे उस समय गन्ना मूल्य, कमीशन, गन्ना उपकर, क्रय कर तथा व्याज के बकाये

क्रम-सं०	नाम जिला	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य कमीशन तथा व्याज का बकाया	गन्ना उपकर क्रय कर का बकाया	योग
१	२		३	४	५
१	सहारनपुर	महालक्ष्मी शुगर मिल्स को० लि०, इकबालपुर	०.४४	१०.६८	११.१२
२	सहारनपुर	लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स लि०, सहारनपुर	१.०९	८.२४	९.३३
३	सहारनपुर	गंगा शुगर कारपोरेशन लि०, देवबन्द	०.०९	१५.७१	१५.८०
४	मुजफ्फरनगर	सर शादीलाल शुगर एंड जनरल मिल्स लि०, मनसूरपुर	०.६५	११.८८	१२.५३
५	मेरठ	बलवन्त शुगर मिल्स लि०, मलियाना	४.२२	१३.२५	१७.४७
६	बुलन्दशहर	पन्नी जी शुगर ऐंड जनरल मिल्स, पन्नी-नगर	०.८२	१७.८५	१८.६७
७	मुरादाबाद	अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर	४.५३	१.०५	५.५८
			इस मिल ने सरकार की पूरी रकम कुर्क होने के पहले ही अदा किर दिया। अतः इसे रिसीवर में लाने की आवश्यकता नहीं रही।		
८	बिजनौर	धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर	२.४३	५.२६	७.६९
९	बरेली	एच० आर० शुगर फैक्टरी (पी०) लि०, बरेली	२.०९	१४.१५	१६.२४
१०	फैजाबाद	कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स, मोती नगर	१०.५८	९.६३	२०.२१

१	२	३	४	५
११—गोरखपुर	महाबीर शुगर मिल्स (पी) लि०, सिसवा-बाजार	३.३०	३.९०	७.२०
१२—देवरिया	श्री सीताराम शुगर मिल्स को० लि०, बैतालपुर	०.९९	५.२३	६.२२
१३—देवरिया	देवरिया शुगर मिल्स लि०, देवरिया	१.३२	४.५६	५.८८
१४—देवरिया	विष्णुप्रताप शुगर वर्क्स लि०, खड्डा	१३.४०	७.८७	२१.२७
१५—रामकोला	रामकोला शुगर मिल्स को० लि०, रामकोला	१.०६	७.०५	८.११
१६—	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स (पी०) लि०, रामकोला	१३.११	३९.३३	५२.४४
१७—	कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स, भटनी	१२.४७	१२.४१	२४.८८
१८—रामपुर	रजाकुन्लन्द को० लि०, रामपुर	२३.०५	२०.२०	४३.२५
		इस मिल में पहले असरकारी रिसीवर थे।		
१९—बाराबंकी	बुढ़वल शुगर मिल्स को० लि०, बुढ़वल	३०.२८	४.३७	३४.६५
		उनको हटाकर सरकारी रिसीवर नियुक्त होने के आदेश दिये गये।		

इनके अतिरिक्त सरसावा, अमरोहा तथा बाराबंकी की मिलें पहले से ही रिसीवरशिप में थीं। उनके रिसीवरशिप में आने की तिथि तथा उस समय के उनके देयों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम सं०	नाम चीनी मिल	रिसीवरशिप में आने की तिथि	देय गन्ना मूल्य कमीशन तथा ब्याज का बकाया	गन्ना उपकर क्रय का बकाया (लाख रुपये)	योग
१	दी किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, सरसावा, जि० सहारनपुर ..	२०-१०-६७	१४.५३	१८.९६	३३.४९
२	कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा, जिला मुरादाबाद ..	८-१०-६९	१७.००	उपलब्ध नहीं है।	
३	रामचन्द एन्ड सन्स शुगर मिल्स (प्राइवेट) जिला बाराबंकी ..	३०-९-६९	२८.७९	३२.३५	६१.१४

उक्त चीनी मिलों में से गन्ना मूल्य तथा सरकारी देयों के बकायों को पूर्ण रूप से अदा करने के पश्चात निम्नलिखित मिलों को रिसीवरशिप से रिलीज (मुक्त) कर दिया गया है:—

१—महालक्ष्मी शुगर मिल्स को० लि०, इकबालपुर, जिला सहारनपुर।

२—लार्ड कृष्ण शुगर मिल्स लि०, सहारनपुर।

३—गंगा शुगर कारपोरेशन लि०, देवबन्द, जिला सहारनपुर।

४—धामपुर शुगर मिल्स लि०, धामपुर, जिला बिजनौर।

५—देवरिया शुगर मिल्स लि०, देवरिया।

६—रामकोला शुगर मिल्स लि०, रामकोला, जिला देवरिया।

अयोध्या शुगर मिल्स राजा का सहसपुर, मुरादाबाद, को रिसीवरशिप में नहीं लिया गया क्योंकि उसने रिकवरी सर्टीफिकेट जारी होते ही सब बकाया का भुगतान कर दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८५ पर)

धारा ४-क के अन्तर्गत छूट दी जाने वाली इकाइयों का विवरण

क्रम संख्या	इकाइयों के नाम	वस्तु जिस पर छूट दी गई	छूट जिस तिथि तक दी गई
१	सर्वश्री दास हिटैची लि०, शाहिबाबाद	इलेक्ट्रिक मीटर्स	१४-१२-६५ तक
२	सर्वश्री अल्यूमुनियम केमिकल्स लि०, गाजियाबाद।	ए० सी० एस० आर० एण्ड अल्मुनियम कन्डक्टर्स	१८-१०-६६ ,,
३	सर्वश्री इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० नैनी, इलाहाबाद।	तदैव	१८-६-६८ ,,
४	सर्वश्री जीप फ्लश लाइट इण्डस्ट्रीज लि०, इलाहाबाद।	ड्राई सेल बैटरीज	७-१०-७१ ,,
५	सर्वश्री आर० के० सेठ, ऐशबाग, लखनऊ।	आल अल्युमीनियम एण्ड ए० सी० एस० आर० कण्डक्टर्स	१२-१-७२ ,,
६	सर्वश्री मेसर्स एल० एम० वायर्स एंड केबिल्स, मुरादाबाद।	तदैव	१२-१-७२ ,,
७	मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कं० आफ इण्डिया प्राइवेट लि०, नैनी, इलाहाबाद	इलेक्ट्रिक मोटर्स एण्ड स्वीच गीयर्स।	१२-१-७२ ,,
८	सर्वश्री वेश इडस्ट्रीयल कं० लि०, गाजियाबाद।	सेनीटरी केन्स	२७-५-७२ ,,
९	सर्वश्री गुडलक रबर एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, लखनऊ।	टायर्स आफ ट्राईसायकिल पैडिल रबर, ब्रेक रबर एण्ड रबर पार्ट्स	२०-८-७१ ,,
१०	मेसर्स संजय इन्जीनियरिंग वर्क्स, गाजियाबाद।	मास्टर पम्प एण्ड प्लम्बर ब्लाक्स इंटर्नल कम्बसन इंजन।	१४-९-७० ,,
११	सर्वश्री जनता इन्डस्ट्रीज, देवरिया।	हैंड पम्प्स, सेन्ट्री-फ्यूगल पम्प्स एण्ड आइरन कास्टिंग।	१४-९-७० ,,
१२	सर्वश्री पायनियर इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज, मेरठ।	ए० सी० इलेक्ट्रिक मोटर्स एण्ड पम्पिंग सेट।	६-२-७१ ,,
१३	सर्वश्री प्रकाश इ-सेक्टीसाइड लि०, नैनी, इलाहाबाद।	बी० एच० सी० डस्ट, डी० डी० टी० डस्ट, एल्डीन डस्ट।	१९-६-७० ,,
१४	सर्वश्री देवेन्द्र ब्रदर्स, कानपुर	सायकिल ट्यूब।	१४-११-७१ ,,
१५	सर्वश्री हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स (प्राइवेट) लि०, इलाहाबाद।	मेरर्स एण्ड टपेण्ड ग्लास	२६-२-७२ ,,
१६	मेसर्स कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, मिर्जापुर	बेन्जीन हेक्साक्लोराइड	२५-४-७२ ,,

नत्थी 'ग'

तारांकित

(देखिये प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९४ पर)

विधान सभा प्रश्न आगामी सत्र४थे सोमवार के लिये द्वारा एम०एल०ए० श्री मोहम्मद असरार अहमद

क्रम-संख्या	अवधि	संख्या ट्रक दुर्घटना कुल	विवरण मार्ग (किस सड़क पर कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुई।)	दुर्घटना संख्या प्रति सड़क	कितने व्यक्ति मरे	कितने व्यक्ति घायल हुए	कितनी संपत्ति की क्षति हुई	क्या-क्या मदद की गई
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	१-४-६८ से ३१-३-६८।	२५	बदायूं-कछला मार्ग	६	१७	७	रु० ३,३२७	दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को चिकित्सालय भेजकर उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध कराया गया।
			बदायूं-बरेली मार्ग	४				
			बदायूं-उसावां मार्ग	२				
			बदायूं-बबराला मार्ग	२				
			बदायूं-बिसोली मार्ग	५				
			बिसोली-कछला मार्ग	१				
			बदायूं-दातागंज मार्ग	२				
			कुवरगांव-बदायूं मार्ग	१				
			बदायूं-कादर चौक मार्ग	२				
२.	१-४-६८ से ३१-७-६९।	२६	बदायूं-कछला मार्ग	३	१९	१४	४,३२३	
			बदायूं-बरेली मार्ग	५				
			बदायूं-उसावां मार्ग	५				
			बदायूं-बबराला मार्ग	३				
			बदायूं-बिसौली मार्ग	३				
			बिसौली-कछला मार्ग	४				
			बदायूं-दातागंज मार्ग	१				
			कुंवरगांव-बदायूं मार्ग	१				
			बदायूं-कादरचौक मार्ग	१				

प्रेस विज्ञप्ति विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९९ पर)

जिलेवार चीनी मिलों की सूची जो रिसीवरों द्वारा चलाई जा रही हैं

जिले का नाम	चीनी मिल का नाम
मुजफ्फरनगर	१—सर शादीलाल शुगर एन्ड जनरल मिल्स, मन्सूरपुर।
मेरठ	२—जसवन्त शुगर मिल्स, मेरठ।
बुलन्दशहर	३—पन्नीजी शुगर एन्ड जनरल मिल्स, पन्नीनगर।
बरेली	४—एच० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली।
फैजाबाद	५—कमलापत मोतीलाल शुगर मिल्स, मसोधा।
गोरखपुर	६—महाबीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार।
देवरिया	७—श्री सीताराम शुगर मिल्स, बैतालपुर।
	८—विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स लि०, खड्डा।
	९—महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला।
	१०—कमलापति मोतीलाल शुगर मिल्स, भटनी।
रामपुर	११—रजा बुलन्द शुगर कम्पनी, लि०, रामपुर।
बाराबंकी	१२—बुढ़वल शुगर मिल्स कम्पनी लि०, बुढ़वल।
	१३—रामचन्द एड सस शुगर मिल्स, बाराबंकी।
सहारनपुर	१४—किसान कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी लि०, सरसावा।
मुरादाबाद	१५—कुन्दन शुगर मिल्स, अमरोहा।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १००३ पर)

मुरादाबाद जिले में कार्य कर रही करघा उद्योग सहकारी समितियों की सूची एवं वर्ष १९६८–१९६९ तथा १९६९–७० में उनको दिये गये रिबेट की सूचना

क्रम सं०	जिला मुरादाबाद में कार्य कर रही करघा उद्योग सहकारी समितियों के नाम	रिबेट जो दिया गया	
		१९६८–६९	१९६९–७० (२८–२–७० तक)
१	करघा बीवर्स सहकारी समिति लि०, रानी नगल, मुरादाबाद	५६१७.१०	३३७.५०
२	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, इढ़ावाला, पिपलसाना	११,४३५.१९	४१०.२२
३	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, रुस्तमपुर, टिगरी	१०,३९७.०२	३९१.२०
४	भारतीय हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, शाही चबूतरा, अमरोहा ..	शून्य	शून्य
५	गृह उद्योग कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, मण्डीखास, भोजपुर	८५०.६०	२,१९२.५९
६	बुनकर गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, ठाकुरद्वारा	६,२७५.५८	४,७१४.४६
७	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कांठ, मुरादाबाद	१०,९५६.०४	८३०.८१
८	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, सईसगली,	शून्य	शून्य
९	हसनपुर हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, हसनपुर	६,०७५.५५	११५.६२
१०	चन्दौसी हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, चन्दौसी	शून्य	९,१६४.०६
११	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, पृथ्वीगंज, दक्षिण कांठ	११,१५५.५२	३९२.८५
१२	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, गढ़ी, भोजपुर	३,१०३.०७	४१७.५१
१३	हैन्डलूम बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, थकिया जाट	शून्य	१,०५२.५२
१४	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० (उत्पत्ति कन्द्र), पिपलसना ..	शून्य	१७,८७.००
१५	जनता गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, चौक, अमरोहा	१,६११.९३	शून्य

क्रम सं०	जिला मुरादाबाद में कार्य कर रही करघा उद्योग सहकारी समिति का नाम	रिबेट जो दिया गया १९६८–३९	१९६९–७० (२८–२–७० तक)
१६	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० (उत्पत्ति केन्द्र), भोजपुर ..	शून्य	९४३.०२
१७	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कोरी, रवाना	२,२२२.६०	शून्य
१८	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, जूल धकिया दिलारी	३,२८८.४५	१,७१८.२८
१९	हैण्डलूम इक्सपोर्ट प्रमोशन कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, अमरोहा	शून्य	शून्य
२०	बुनकर गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, शनीचर बाजार, पकवारा	शून्य	शून्य
२१	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, ठाकुरद्वारा	शून्य	शून्य
२२	इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव टेक्सटाइल लि०, नवगांव	शून्य	शून्य
२३	गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, मोती मस्जिद, पिपलसना	६५१.२०	४,५६०.३०
२४	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, हकीमवारा, पिपलसना	५,५३०.१०	४,४००.५५
२५	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, नल, पिपलसना	शून्य	१,२९४.२८
२६	हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, रुकुद्दीन सराय, सम्भल	शून्य	शून्य
२७	गृह उद्योग करघा सहकारी समिति लि० वजीराबाद, नवगोरी	शून्य	शून्य
२८	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, पीरूयाह	शून्य	८५५.८०
२९	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, गढ़ी पिपलसना	शून्य	४२८.९१
३०	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, सम्भल	शून्य	३,६३५.४३
३१	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, पृथ्वीगंज, कांठ	शून्य	शून्य

क्रम सं०	जिला मुरादाबाद में कार्य कर रही करघा उद्योग सहकारी समिति का नाम	रिबेट जो दिया गया	
		१९६८–६९	१९६९–७० (२८–२–७० तक)
३२	गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, कांठ, मुरादाबाद	शून्य	शून्य
३३	हैण्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कटघर, मुरादाबाद	शून्य	शून्य
३४	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, बराही	शून्य	शून्य
३५	हथकरघा गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, पीरूच्चा	शून्य	शून्य
३६	करघा गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, बसवानगंज	९७९.३५	३४५.९३
३७	कोआपरेटिव हैण्डलूम वीवर्स सोसाइटी लि०, बचरांव	शून्य	शून्य
३८	करघा उद्योग सहकारी समिति लि० जफराबाद बरही, बराहवान	शून्य	शून्य
३९	बुनकर गृह उद्योग सहकारी समिति लि०, सबलपुर, मुरादाबाद	५,५५९.२५	शून्य
४०	हथकरघा उद्योग सहकारी समिति लि०, नल, अमरोहा	शून्य	शून्य
४१	हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० अमरोहा	शून्य	शून्य
४२	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, पृथ्वीगंज सुमाली, कांठ	शून्य	३९२.८५
४३	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, बरही, बराहवान, मुरादाबाद	शून्य	१,८१६.८७
४४	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, नीमवाला, भोजपुर, मुरादाबाद	शून्य	१,०७१.२२
४५	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, पचमी सरीफनगर, मुरादाबाद	शून्य	१,८४९.३९
४६	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, चौक भोजपुर, मुरादाबाद	१,०८९.४२	८७३.०८
४७	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, नई मस्जिद धाकिया पीरू	शून्य	१,१७७.३४
४८	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, नकलन भोजपुर	शून्य	१५३.३४

क्रम सं०	जिला मुरादाबाद में कार्य कर रही करघा उद्योग सहकारी समिति का नाम	रिबेट जो दिया गया	
		१९६८–६९	१९६९–७० (२८–२–७० तक)
४९	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, नरखेरा	शून्य	३,५१६.००
५०	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, सुमाली, सुरजननगर	४,५७०.८८	शून्य
५१	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, रक्ताभनगर, सहसपुर	शून्य	शून्य
५२	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, कोट, पिपलसना	शून्य	१,६४२.०८
५३	करघा उद्योग सहकारी समिति लि०, इमामबाड़ा, रानीनगल	४,८०५.७०	५९७.६६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५० एल० ए०—१९७०—८४५ (मैग०)